राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 75 वां दिवस संख्या 36

सोमवार,

दिनांक 1 अप्रेल, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 को विधान सभा भवन में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, राजकीय उपक्रम, पंचायत, समाज-कल्याण, सिंचाई, वन, आबकारी, भाषा, उपनिवेशन, रा. केनाल व खाद्य विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री बालसिंह सोढा।

पोकरण तहसील के अकालग्रस्त ग्रामों में लगान की वसूली

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर की पोकरण तहसील के 10 गांवों में अकाल घोषित नहीं किया गया है और पटवारियों द्वारा उपरोक्त 10 गांवों में सात वर्ष का भू-राजस्व एक साथ वसूल किया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि अकाल के दूसरे वर्ष दो वर्ष से अधिक भू-राजस्व एक साथ वसूल नहीं किये जाने का सरकार का आदेश है?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर पांच-सात वर्ष से लगातार अकालग्रस्त रहा है?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां। किन्तु इन दस ग्रामों में गत वर्षों का भू-राजस्व एक साथ वसूल नहीं किया जा रहा है, केवल दो वर्षों के भू-राजस्व की रकम वसूल की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) सम्पूर्ण जिला नहीं किन्तु बहुत से ग्राम अकालग्रस्त रहे हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : फर्स्ट प्रश्न के हिसाब से तो यह उत्तर नहीं दिया गया।

श्री बालसिंह सोढा : मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि आज बीघोड़ी वसूल हो रही है, वसूली के बाद आदेश देने से क्या मतलब हल होगा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां से बहुत पहले आदेश दे दिये गये हैं कि जो गांव अकालग्रस्त नहीं है, वहां 2 साल की बीघोड़ी वसूल की जाय, जहां अकालग्रस्त घोषित है, वहां तो बीघोडी की वसूली का सवाल ही नहीं। 10 गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं किये गये थे यहां भी दो साल से अधिक बीघोडी वसूल नहीं होगी।

श्री बालसिंह सोढा : उनसे वसूली 7 साल की हो रही है, इसलिये मैं मन्त्री महो-

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
दय से आश्वासन चाहूंगा कि वे आश्वासन दें कि उनसे दो साल से ज्यादा की बीघोडी वसूल नहीं की जायगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं यह वसूली नहीं होनी चाहिये। राजाज्ञा की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, आप उसे कलेक्टर को दिखा सकते हैं। वैसे कलेक्टर को आदेश पहले से ही दे दिये गये हैं।

श्री बालसिंह सोढा : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि वसूली नहीं होनी चाहिये पर वहां वसूली हो रही है····

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं जैसलमेर कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उन लोगों से ब्याज भी वसूल किया जा रहा है, राहत देने के लिये तो वसूली स्थगित की गई थी, ब्याज वसूल हो रहा है तो फिर राहत का कहां सवाल रहा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां से स्पष्ट आदेश हैं कि जो गांव अकालग्रस्त नहीं हैं, वहां 7 साल की बीघोडी वसूल नहीं करके केवल दो साल की बीघोडी वसूल की जाय।

श्री पृथ्वीसिंह : उनसे ब्याज वसूल किया जा रहा है, क्या यह जायज है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजाज्ञा स्पष्ट है, ब्याज का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री शीशराम!

पलाना लिग्नाइट खान की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

999. **श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर) :** क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पलाना लिग्नाइट खान के विकास हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिये रूसी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी? अगर हां, तो उस रिपोर्ट के आधार पर अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मंत्री, राजकीय उपक्रम (श्री प्रद्युम्नसिंह) : जी हां। इस रिपोर्ट के बन जाने के पश्चात् आर. एस. ई. बी. से थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की योजना तैयार कराई गई जो इस रिपोर्ट पर आधारित है। थर्मल पॉवर की योजना अभी तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नहीं ली गई। चूंकि ओपन कास्ट की योजना थर्मल पॉवर की योजना से सम्बन्धित है अतः इसमें कोई प्रगति नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सरकार द्वारा सूची प्राप्त नहीं हुई)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न! श्री कालूराम!

ग्राम पंचायत बिलाडा को दी गई धनराशि

1000. **कालूराम आर्य (बिलाड़ा-सु.):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा वर्ष 1961 से 1964 तक विकास कार्यों हेतु ग्राम पंचायत बिलाड़ा को समय समय पर अनुदान, ऋण दिया गया? यदि हां, तो किस किस तारीख को कितना कितना रुपया किस किस काम के लिये दिया गया?

(2) क्या उक्त रकम का उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं तो आज तक उसकी वसूली बाबत व खर्च करने बाबत

(श्री कालूराम आर्य)
पंचायत समिति द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सात कार्यों में रकम का पूर्ण उपयोग हो गया है । शेष के लिए रकम के उपयोग अथवा वसूली के बारे में जांच करवाई जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री गंगासहाय !

ग्राम बसवा से लगान की वसूली

1001. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बसवा, जिला जयपुर के कुछ काश्तकारों से बन्दोबस्त की शरह बाराजी के बजाय चाही दर से ज्यादा लगान वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारान से कितना राजस्व बन्दोबस्त रेट से ज्यादा वसूल किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस गैर कानूनी वसूली के विरुद्ध सम्बन्धित काश्तकारान ने जिलाधीश, जयपुर को उज्रदारियां सन् 1951 में प्रस्तुत की थीं ?

(3) क्या यह सही है कि सक्षम अधिकारियों ने इस मामले में यह निर्णय दिया है कि बन्दोबस्ती लगान की बन्दोबस्ती अवधि के बीच संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः आज्ञा दी जाती है कि लगान शरह बन्दोबस्त से वसूल किया जाता रहे । यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया और इस पर अमल कब कराया गया ?

(4) क्या यह सही है कि यह मामला जिलाधीश, जयपुर के कार्यालय में गत 18 वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो बन्दोबस्ती रेट से ज्यादा वसूल किये गये लगान को सम्बन्धित काश्तकारान को वापस लौटाने में विभाग को कितने वर्ष और लगेंगे ?

(5) क्या ऐसे छोटे काश्तकारान से गैर कानूनी तरीके से बन्दोबस्ती रेट से ज्यादा लगान वसूल करना राज सरकार की घोषित नीति के अनुकूल है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): इसे स्थगित करने की प्रार्थना है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया। अगला प्रश्न ।

श्री गंगासहाय : एक फरवरी को मैं प्रश्न दे चुका हूं, पत्र दे चुका हूं फिर भी अभी तक उत्तर नहीं आया है, बड़ी शर्म की बात है विभाग के लिए ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 18 साल पुराना केस है ।

श्री गंगासहाय : 18 साल इस केस को चलते हो गये । मैं एक फरवरी को पत्र दे चुका हूं फिर भी उत्तर नहीं दिया जा रहा है, यह विभाग के लिए शर्म की बात है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उत्तर तो मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय अगली टर्न पर उत्तर देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : अगली टर्न कब आ रही है, 5 को तो खत्म होने वाला है ।

Page No.4

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कल ही मेरी टर्न है, उसके बाद अगली टर्न सेटरडे को पड़ेगी।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : फिर तो सेशन है ही नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं माननीय सदस्य को सूचना भेज दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कल रख लीजिए, परसों रख लीजिए, इन्टेरिम रिप्लाई तो दीजिए इतने साल से परेशान किया जा रहा है।

श्री केशरीसिंह हाडा : सूचना कब मांगी थी, अब तक उत्तर क्यों नहीं आया ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथूराम !

समाज कल्याण विभाग में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारी

1002. श्री नाथूराम (बागीडोरा): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समाज कल्याण विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें से किस किस श्रेणी में कितने 2 कर्मचारी आदिवासी व अनुसूचित जन जाति के हैं ? जिलेवार व पद-वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस विभाग में निर्धारित सुरक्षित प्रतिशत का कोटा प्रत्येक वर्ग में पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री नारायण-सिंह मसूदा) : (1) समाज-कल्याण विभाग में कुल 963 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक श्रेणी में आदिवासी व अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। जिलेवार कर्मचारियों की सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सदन की मेज पर सूची रखी है, उसमें आर. ए. एस. की कुल संख्या बताई है, प्रतिशत नहीं बताया है। कुल कितने अधिकारी हैं और पर्सेन्टेज क्या है ? सरकार द्वारा निर्धारित कोटा पूरा हुआ या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आर.ए.एस. और आई. ए. एस की कुल संख्या 5 बताई है। दूसरी सेवाओं में हैं, उनका प्रतिशत बताया है। इसका प्रतिशत नगण्य मात्र है। ये सेवाएं पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ही निर्धारित होती हैं, योग्यता के अनुसार व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो एक साल तक जगह खाली रखते हैं और फिर भी नहीं मिले तो भर दिया जाता है। निर्धारित योग्यता के अनुसार व्यक्ति नहीं मिल पाते इसलिए प्रवेश नहीं कर पाते। यही कारण है।

दूसरी सेवाओं में जैसा कि सूची में दिया हुआ है, राज्य सेवा में 17 प्रतिशत हैं, अधीनस्थ सेवा में 25 प्रतिशत हैं, लिपिक वर्गीय सेवा में 13 प्रतिशत हैं और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 41 प्रतिशत हैं।

मैं मानता हूं कि आर. ए. एस. और आई. ए. एस की सेवाओं के अन्दर कोई··

श्री जयनारायण (लसाड़िया) : जो समाज कल्याण विभाग में नौकरियां वगैरह

Page No.5

(श्री जयनारायण)
देने का सवाल है, वहां स्थान खाली होते हैं तो एक साथ अलग अलग पोस्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं ? सुरक्षित स्थान जो 12।। प्रतिशत रखे गए हैं उन पर शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नौकरियां नहीं मिल पातीं ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : एडवर्टाईजमेंट का जहां तक प्रश्न है, डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा को भरने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, बाकी नियमानुसार जो नीचे की सेवाएं हैं, उनमें पदोन्नत करने के लिए, उन सेवाओं में से चांस अवश्य दिया जाता है ।

श्री जयनारायण : मेरा प्रश्न यह नहीं था । मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है । मैं पूछ रहा था कि कोई स्थान रिक्त हो, जैसे मान लीजिए 15 स्थान रिक्त हैं तो 15 ही स्थानों को सरकार एक साथ एडवर्टाइज करती है या अलग अलग करती है जिससे शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन है उस पर नहीं आ पाते और उन लोगों को नौकरियों में नहीं लिया जा सकता ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वेकेन्सीज के अनुसार सेवाओं में भरे जाते हैं और जैसा मैंने निवेदन किया जहां एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता होती है, वहां एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जहां पदोन्नत होकर प्रवेश होता है, वहां उसी प्रकार किया जाता है ।

श्री नाथूराम : राजस्थान में 26 जिले हैं तो आज 20 साल हो गए अभी तक समाज कल्याण अधिकारी के पदों के लिए लड़के नहीं हैं ? अभी तक क्यों नहीं रखे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : समाज-कल्याण अधिकारी के पद पर रखना चाहिए इन लोगों को, मैं मानता हूं लेकिन कितने समाज–कल्याण अधिकारी इन जातियों के हैं, इस समय मेरे लिए कहना कठिन है ।

श्री नाथूराम : आज इन जातियों में कई बी. ए और एम. ए. लड़के बेकार हैं । सर्विस में हैं लेकिन समाज कल्याण अधिकारी के पद पर किसी को नहीं रखा जाता है, क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : योग्यतानुसार इन पदों पर चयन होता है, उनका प्रमोशन भी होता है और उन्हीं कारणों से संभव है कि उस स्थान तक कोई पहुंच नहीं पाता हो या कम पहुंचते हों लेकिन यह खयाल जरूर रखा जाता है · · · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): योग्यता का जो प्रश्न मंत्री महोदय ने कहा, मेरे खयाल से कोई संतोषजनक कारण नहीं है । ऐसे कई योग्य व्यक्ति हैं इन जातियों के अन्दर जिनको समाज-कल्याण अधिकारी का पद दिया जा सकता है । मंत्री महोदय कहते हैं कि आवश्यक है कि इनको मौका दिया जाय, तो कम से कम स्थान तो आप भरिए अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों द्वारा, शीघ्रातिशीघ्र भरिए ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह हमेशा राज्य सरकार के ध्यान में है और इसमें हमेशा राज्य सरकार चिंतित रहती है कि जितने स्थानों पर इन जातियों के लोग आ सकें आयें, उनके लिए प्रतिशत भी निर्धारित है और योग्यताएं भी । जहां राजपत्रित सेवाओं का प्रश्न है, पी. एस. सी. द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उन योग्यताओं के अनुसार भर्ती

Page No.6

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

की जाती है। केवल समाज-कल्याण विभाग का ही प्रश्न नहीं है। यह जो प्रतिशत मुकर्रर है, सारी राज्य सेवाओं के लिए है और उनका पी. एस. सी. द्वारा अथवा जिस श्रेणी के पद हैं, उनके लिए उसी प्रकार से चयन होते है··

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): समाज-कल्याण विभाग आदिवासियों के लिए बनाया गया है इसमें ····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विट्ठल भाई : तो उस विभाग में आदिवासियों को ऑफिसर बनाने में क्या हर्ज है। योग्य या अयोग्य का क्या सवाल है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आंकड़े बताइये।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह व श्री विट्ठल भाई एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नाथूराम : इसमें कितने रिजेक्ट हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे कई प्रश्न हमेशा आते हैं, काफी पूरक प्रश्न पूछ लिए।

श्री नाथूराम : एक सप्लीमेन्टरी और।

श्री विट्ठल भाई : हमेशा यही जवाब देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग दें।

श्री जयनारायण सांलंदिया (निवाई) : इन जातियों में बहुत से योग्य व्यक्ति आज भी बेकार बैठे हैं। आपका कहना गलत है कि वे लोग योग्य नहीं हैं। बी. ए. व एम. ए. बैठे है। आप उनको लेते नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों को लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चुन्नीलाल इंदलिया। प्रश्न संख्या 1003।

गंगानगर क्षेत्र में ली गई भूमि का मुआवजा

1003. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि गंग नहर क्षेत्र में कई किसानों की भूमि राज्य सरकार ने वर्षों पूर्व ले ली थी जिसके बदले में उन किसानों को न भूमि दी गई और न मुआवजा ही दिया गया ?

(2) ऐसे किसानों की भूमि का मुआवजा व बदले में भूमि न देने का कारण क्या उनसे संबंधित मिसलें गायब हो जाना है ?

(3) क्या कलेक्टर, गंगानगर द्वारा डाक से सो.जी.।रेव.।5232 दिनांक 1-9-67 द्वारा श्री गंगाराम सुपुत्र हीराराम ब्राह्मण निवासी रायांवाली (55 आर.बी.) तहसील रायसिंहनगर की मिसल असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, रेवेन्यू (बी) जयपुर के पते से भेजी गई जो सचिवालय में उपलब्ध नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि यह मिसल सन् 1947 के पहले से चल रही है और कई बार गुम हो चुकी है ? कलेक्टर, गंगानगर द्वारा कई बार सिफारिश करके मिसल भेजी गई और सचिवालय से गुम हो गई ?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(5) अब कब तक इनका फैसला कर दिया जायगा ? क्या राज्य सरकार उस काश्तकार को इतने वर्षों का हरजाना देगी ? नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कितना और कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : इसका सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से है, इसलिए उस विभाग के मन्त्री जवाब देंगे।

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 1004

श्रीमती शिवकुमारी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री हरिवल्लभ शर्मा !

श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : यह जो प्रश्न स्थगित किया गया है इसमें 1947 से मिसलें चल रही हैं, मिसलें गायब हो गई हैं, आज 22 साल हो गये, इतने लम्बे समय से मुआवजा नहीं दिया गया और आज इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है, विधान सभा की बैठक 4 दिन और चलेगी। इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, आज इसको टाला जाता है तो 6 महीने की फिर देरी होगी। मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : यह मामला सन् 1947 से चल रहा है, अनेक काश्तकार मारे मारे फिर रहे हैं, मुआवजा अभी तक तय नहीं, इनको कितने साल हो गए सन् 1947 से लेकर आज तक मुआवजा नहीं मिला, कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा। मुख्य मंत्रीजी जवाब दें। यह बड़ा महत्त्वपूर्ण मामला है।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है। उसके बाद मैं दो प्रश्न और पूछ लिए।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : हम दबाने से नहीं दबेंगे, हम इस सवाल को दबने नहीं देंगे।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मदनसिंह !

श्री **हरिवल्लभ शर्मा** : मेरे प्रश्न का तो उत्तर आने दीजिए।

श्री **उपाध्यक्ष** : बाद में पूछ लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य शुरू से यहां पर बैठे हैं, आपके पधारने से भी पूर्व यहां आकर बैठे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री हरिवल्लभ शर्मा !

पंचायत समिति बोर्डों के प्रधान व उप-प्रधान के रिक्त स्थानों का चुनाव

1005. **हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बोली के प्रधान तथा उप-प्रधान के पद गए दो वर्षों से रिक्त हैं ?

(2) इन दोनों पदों के रिक्त स्थानों के लिए क्या कभी कोई तिथि आज तक निश्चित की गई ? यदि हां, तो फिर इनके चुनाव किस कारण नहीं कराये गये ?

(3) क्या राज्य सरकार का आगामी चुनाव तक इन पदों का चुनाव कराने का इरादा नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इन पदों के चुनाव कब तक कराये जावेंगे ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी हां। प्रधान का पद 26-12-66 से तथा उप-प्रधान का पद 21-2-66 से रिक्त है।

(2) जी नहीं। उप-प्रधान का चुनाव प्रधान के द्वारा कराये जाने का ही प्रावधान है। प्रधान ने उप-प्रधान का चुनाव नहीं कराया अतः स्थान रिक्त रहा। प्रधान का स्थान रिक्त होने के समय चतुर्थ आम चुनाव का कार्य चल रहा था जिसके कारण जिला स्तरीय अधिकारी व्यस्त थे ऐसी स्थिति में पंचायती राज के उप-चुनावों पर प्रतिबंध लगाया गया था। चुनाव के पश्चात् कृषि की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाकर प्रतिबंध लगाया गया।

(3) इरादा है।

(4) शीघ्र ही करवाए जायेंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह प्रश्न गए सत्र में भी पूछा गया उस समय भी यही जवाब राज्य सरकार की ओर से दिया गया कि प्रधान व उप-प्रधान के पदों पर चुनाव निश्चित रूप से कराया जायगा यह प्रश्न पहले आया था 14-6-67 को, उसके बाद 10 महीने बीत गए लेकिन अभी तक तिथि निश्चित नहीं हुई। इसलिए अगर बता दें कि जून से पहले करवाये जायेंगे या मई तक कराये जायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : चुनाव कराये जाने के लिए लिखा जा चुका है, चुनाव विभाग को और कलेक्टर्स को इसके कार्यक्रम के बारे में लिखा गया है कि कार्यक्रम की रूपरेखा बनायें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : लिखा तो गया है लेकिन कौनसी तारीख निश्चित की चुनाव के बारे में, यह भी मालूम हो। क्या जून के पहले पहले हो जायेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि पंचायत विभाग की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सहूलियत के हिसाब से इलेक्शन डिपार्टमेंट तय कर पायेगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपके पंचायत विभाग के मारफत चुनाव होते हैं। दूसरा विभाग नहीं करवाता है। प्रश्न यह है कि पहले भी राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था। ठीक 10 महीने हो गए। पंचायत की दो महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई है। 7 लाख का बजट है। ऐसी स्थिति में प्रधान या उप-प्रधान का चुनाव करवाने की कोई व्यवस्था करवायें। शीघ्रातिशीघ्र में तो 10 महीने हो चुके हैं।

Page No.9

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया यह तारीख तय करना पंचायत विभाग का काम नहीं है। इसलिए मैं कुछ निवेदन नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह बताई कि चुनाव काफी असें से नहीं हो रहे हैं। माननीय सदस्य को मालूम है कि रीसेन्टली जब पंचायत की डिमाण्ड रखी गई थी तब यह कहा गया था कि जिन पंचायत समितियों में प्रधान और उप-प्रधान नहीं है वहां चुनाव शीघ्र ही करा दिए जायेंगे। अब विलम्ब होने वाला नहीं है उसमें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कोई परिभाषा तो कर दीजिए कि आपके विलम्ब की क्या परिभाषा है। 10 महीने तो पहले आश्वासन दिए हो गए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या मंत्री महोदय, कुछ ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि आगामी पंचायत चुनाव हो, उससे पूर्व चुनाव कराने के लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट को सरकार द्वारा लिखा जायगा कि चुनाव करा दिये जायं।

श्री हरिवल्लभ देवपुरा : मैंने कहा, लिख दिया गया है। प्रोग्राम चालू है। प्रधान या उप-प्रधान के जहां स्थान रिक्त हैं, उनके चुनाव पहले ही करा दिए जायेंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इस कार्यवाही को दो साल लग गये क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट के अन्दर यह प्रोवाईडेड है कि कलेक्टर खुद स्वयं आथोराईज है कि वह पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव करा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न पूछ लिया गया है। जितना स्पष्ट उत्तर दे सकते थे, उतना दे दिया है। उसके बाद अब कुछ नहीं बचता है।

(माननीय सदस्य श्री हरिवल्लभ के खड़े होने पर)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। आर्डर आर्डर।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, शीघ्रातिशीघ्र का स्पष्टीकरण कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय खराब हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम प्रश्न है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या 1006

श्री मदनसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री बीरबल।

श्री गंगानगर जिले के ग्रामों में शराब की स्वीकृत दुकानें

1007. श्री बीरबल (संगरिया सु.): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या श्री गंगानगर जिले के शराब के ठेकेदारों ने ग्रामों में बिना विभागीय स्वीकृति के खुले ग्राम शराब बेचने की दुकानें खोल रखी हैं? अगर हां, तो इन नाजायज दुकानों के विरुद्ध अब तक विभाग ने कोई कार्यवाही की है ?

(2) विभाग से स्वीकृत शराब की दुकान जिले में किस-किस गांव में है और उनकी स्वीकृति कब कब दी गई है ?

उप-मंत्री, आबकारी (श्री शिवचरणसिंह): (1) जी नहीं। किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) सूची संलग्न है। इनमें से 28 मुख्य दुकानें एवं 20 उप-दुकानें बीकानेर स्टेट के समय से स्वीकृत हैं। शेष वर्ष 1962-63 से स्वीकृत हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य: क्या यह सही है कि वहां गांवों में नाजायज दुकानें अब भी मौजूद हैं ?

श्री शिवचरण सिंह: इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अगर आप बतायेंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य: क्या सूचना देने पर आप उनको कैन्सिल करके मुकदमा चलायेंगे ?

श्री शिवचरण सिंह: जरूर चलायेंगे। कानून में प्रावधान है।

श्री उपाध्यक्ष: अलग प्रश्न।

प्रश्न संख्या 1008

श्री रामानन्द अग्रवाल:
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
श्री रामचन्द्र आर्य।

तहसील नोहर में नये आबाद चक।

1009. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) तहसील नोहर, जिला श्री गंगानगर में राजस्थान नहर क्षेत्र में नये चक आबाद हुये हैं वे कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन नये चकों की आबादी आज तक मंजूर नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और कब मंजूर होगी ?

(3) क्या यह सही है कि नये आबाद शुदा चकों के काश्तकारों ने मौके पर मकान तामीर कर रखे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध विभाग में कितने मुकदमें चल रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार की हजारों मिसलें उपनिवेशन तहसीलों में चल रही हैं यदि हां, तो उनके मकान की स्वीकृति क्यों नहीं दी जाती और कब तक दी जायेगी ?

(5) क्या यह सही है पुराने समय से कब्जा वालों पर भी मुकदमें चल रहे हैं ? यदि हां, तो इनका फैसला कब तक हो जावेगा ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(6) क्या यह सही है कि कस्बा रावतसर मे प्रति दिन नाजायज कब्जा करके मकान तामोर किये जा रहे है ? यदि हां, तो पंचायत द्वारा कितने अतिक्रमणकारियों को रिपोर्ट महकमा उपनिवेशन को की गई है और उन पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं हुई है, तो क्यों नहीं ?

(7) क्या यह सही है कि ग्राम पंचयतों की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ?

(8) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के ग्राम अधिकतर जागीर क्षेत्र में थे और काश्तकारों को अपनी भूमि पर जमीदारों द्वारा जबानी कब्जा दिया जाता था और आबादी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था ?

(9) क्या यह सही है कि इस प्रकार के पुराने कब्जा वाले गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है ? कितनी मिसलों में फैसला दिया जाकर पट्टे दिये गये है ? और बाकी मामलों का कब तक फैसला होगा ? तहसील नोहर के ग्रामों में राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल कितने मुकदमें चल रहे है ?

राज्य मंत्री उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) : (1) इस क्षेत्र में राजस्थान नहर के आने से नये चक प्लान बनाये गये हैं जिसके अनुसार तहसील राजस्व नोहर की सीमा का कोई महत्व नहीं रह जाता है फिर भी इस क्षेत्र में फिलहाल उपनिवेशन विभाग की 4 तहसीलों में जो नये चक तजबीज हुये हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार हैं:–

(1) नोरंगदेसर तहसील नई आबादी	1
(2) हनुमानगढ़ तहसील नई आबादी	10
(3) सूरतगढ़ नं. 2 तहसील नई आबादी	9
(4) रावतसर तहसील नई आबादी	9
	29

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं।

(1) जी नहीं, जो मिसलें नाजायज तामीर की उपनिवेशन तहसीलों में चल रही हैं वे नई आबादियात से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि उन पुरानी आबादियात में नाजायज मकानों की मिसलें नियम न करने हेतु चल रही है।

(5) यह सही नहीं है।

(6) कस्बा रावतसर में जो भी नियम के विरुद्ध नाजायज कब्जा करता है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है। ग्राम पंचायत रावतसर की तरफ से अतिक्रमण-कारियों के विरुद्ध लगभग 15 उज्र प्राप्त हुये जिनकी मिसलें मुरतिब की जाकर आगामी कार्यवाही हेतु कार्यालय सचिव, मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ़ जंक्शन को प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(7) यह सही नहीं।

(8) जी हां।

(9) नाजायज कब्जों के नियमन हेतु जो मिसलें चल रही हैं उनकी संख्या 438 व

(श्री मनफूलसिंह)

ग्राम पंचायत, रावतसर की 15 उजरदारियां कुल 453 मिसलें हैं। इन मिसलों में अन्तिम आदेश होने पर ही पट्टे दिये जा सकेंगे। फिलहाल ये मिसलें विचाराधीन हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रश्न सं. 4 में आपने कहा 'जी नहीं'। क्षेत्र में जागीरदारों का तमाम इलाका था उनकी बताई हुई जमीन पर कोई भी बढ़ी हुई आबादी नहीं है। पुराने पड़े हुये मकानात को बेचे हैं, उनके बारे में कोई मुकद्दमा चल रहा है तो आपने कहा 'जी नहीं'। क्या यह गलत नहीं है?

श्री मनफूलसिंह : पुरानी जो आबादी बनी है वह मैंने 438 बताई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या राजस्थान सरकार ने उस इलाके के अन्दर 8 साल से बेचना बन्द कर रखा है, और उसको मंजूरी नहीं दी जा रही है जिससे लोगों को आबाद होने में बड़ी तकलीफ है। इस तकलीफ को दूर करने के लिये उपनिवेशन विभाग कितने दिनों में निर्णय लेगा?

श्री मनफूलसिंह : कोलोनाईजेशन के अन्दर जो आलरेडी आबादी है उनके अन्दर तीन केटेगरी हैं, जिसके अन्दर जो 54 से पहले हैं जिन्होंने मकान बना लिये हैं, उनको बिना कीमत रेगूलराईज कर दिया गया है, दूसरे सन् 1959 से पहले जिन्होंने मकान बना लिये हैं, उनको भी रेगूलराईज कर दिया है, लेकिन उनसे कीमत वसूल की गई है 30 रु. प्रति स्क्वायर गज से और तीसरी जो सन् 1965 से पहले हैं उनको भी हम प्लानिंग डिपार्टमेंट से डिप्टी चीफ टाऊन प्लानर जब नक्शा पेश करेंगे तब ये मिसलें ली जायंगी। अभी ये विचाराधीन हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये जो आपने 30 रु स्क्वायर गज से दी है वह किस हिसाब से है?

श्री मनफूलसिंह : मैंने तो 30 पैसे बताये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने तो 30 रु. स्क्वायर यार्ड बताया है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : बताया तो आपने 30 रु. गज ही था।

श्री मनफूलसिंह : वह गलती हो गई होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक जानकारी चाहूंगा कि उस इलाके में 8–9 साल से आबादी मंजूरी नहीं करने से बड़ी तकलीफ हो रही है। आपका प्लानिंग विभाग है, वह तो बिलकुल ढिलाई से काम कर रहा है। इसको आप कितने दिनों तक स्वीकृत करा देंगे?

श्री मनफूलसिंह : माननीय सदस्य को मैंने बताया कि जो नये चक कटे हुये हैं उनके अन्दर जब तक राजस्थान केनाल में पूरी तरह पानी नहीं चला जाता है–यह नॉन पेरेनियल है, जब तक पेरेनियल नहीं हो जाता है तब तक वे बसने को तैयार नहीं है। माननीय सदस्य को मालूम हैं क्योंकि वे उसी इलाके के रहने वाले हैं। नाजायज कब्जे वालों की तीन केटेगरी बनाई हैं। इसके अन्दर एक कमेटी बना दी गई थी जिसमें डिप्टी चीफ टाऊन प्लानर बीकानेर, एक्स. ई.

Page No.13

(श्री मनफूलसिंह)
एम., पी.डब्लू. डी., डिप्टी कोलोनाइजेशन कमिश्नर बीकानेर, स्थानीय बी. डी. ओ., प्रधान है। डिप्टी कोलोनाइजेशन कमिश्नर इसका चेयरमैन है। जिनकी दरख्वास्त आती है उन पर विचार किया जाता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें आपने एम. एल. ए. को क्यों नहीं रखा, इसकी उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

एक माननीय सदस्य : इसलिये कि वे विरोधी पार्टी के हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें एम.एल.ए. के अधिकारों का हनन किया गया है ?

श्री रामकिशन (वैर) : यह ठीक बात है इसका जवाब आना चाहिए ।

श्री मनफूलसिंह : यह प्रश्न विचाराधीन है। यह प्रश्न अब आपने पेश किया है इस पर विचार कर लेंगे।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : बगैर प्रश्न खड़े किये आपको विचार करना चाहिये ।

श्री मनफूलसिंह : यह जो कमेटी बनी हुई है वह नोहर से आने वाले माननीय सदस्य के पूर्व की बनी हुई हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यह आप गलत परम्परा डाल रहे हैं विधान सभा सदस्य को न रख कर ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : यह तो अनिवार्य होना चाहिये इस पर विचार करने की क्या बात है।

श्री रामकिशन : आप यदि इस प्रकार नहीं करते हैं तो लोकतन्त्र का नुकसान कर रहे हैं।

उपनिवेशन मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): चक आबादी के लिये जो जमीन कटती है उनके प्लान्स तजवीज करने के लिये आबादी बसाने के लिये यह कमेटी है, जहां तक जमीन बेचने का सवाल है वह सैट प्रिन्सिपल्स के आधार पर बेची जाती है उसमें एम. एल. ए. होना आवश्यक है। चक आबादी लेण्ड बेचने का सरकार को अधिकार है उसके लिये अलग विभाग हैं उस विभाग के लिये यह आवश्यक नहीं है कि जमीन बेचने में एम. एल. ए. को भी मेम्बर बनायें यह हिन्दुस्तान के किसी अन्य प्रान्त में भी नहीं है इसलिये इस पर इतना जोर देना अनुपयुक्त है।

श्री हीराभाई : फिर मन्त्री महोदय ने क्यों कहा कि विचाराधीन है।

श्री रामचन्द आर्य : फिर सिंचाई मंत्री की क्या आवश्यकता है यह काम कमिश्नर ही देख लेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरी सिंह हाड़ा :

ग्राम चतरगंज में मकान तुड़ाने के नोटिस

1010. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी की तहसील हिण्डोली के ग्राम चतरगंज में क्या तहसीलदार हिण्डोली द्वारा ग्रामीणों के मकान तुड़ाने के नोटिस दिये गये हैं?

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(2) क्या यह सही है कि सरपंच चेता द्वारा पंचायत के इस निर्णय की सूचना दिये जाने पर भी कि ग्राम चतरगंज के पास वाली भूमि आबादी में शुमार कर ली जावे तहसीलदार हिण्डौली द्वारा आबादी में शुमार नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने ग्रामीणों पर 200 रु. तक जुर्माना करने के उपरान्त भी मकान तुड़ाने के हुक्म दे दिये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) जी नहीं।

(2) सरपंच ने मनमानी रिपोर्ट की थी जो नियमानुसार नहीं थी। इस भूमि को आबादी में परिवर्तन करने के बारे में ग्राम वासियों को आपत्ति है। यह भूमि प्राइमरी स्कूल की हद में आती है। आबादी के योग्य नहीं है।

(3) जी हां, भूराजस्व की अधिनियम की धारा 91 के तहत कब्जा नाजाइज होने से कार्यवाही की जाकर रूपाला गूजर पर पेनाल्टी लगाई है जिसकी अपील कार्यालय कलेक्टरी में चालू है अभी अपील का निर्णय नहीं हुआ है। मकान तुड़ाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : स्कूल हद कितनी है और पंचायत आबादी की हद कितनी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा कि मैंने निवेदन किया यह भूमि प्राइमरी स्कूल की हद में आती है लोग वहां के नहीं चाहते कि इसको आबादी में परिवर्तित की जाय। तहसीलदार भी हक में नहीं वह कार्यवाही पंचायत के मार्फत पंचायत के प्रस्ताव द्वारा एस. डी. ओ. के पास जानी चाहिये। इसके बारे में कोई पंचायत का प्रस्ताव नहीं आया है केवल सरपंच साहबान ने ही लिखा है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : प्रश्न संख्या 2 में सरपंच ने प्रस्ताव पास कर भेजा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास सूचना है सरपंच ने मरजी से रिपोर्ट की थी। इस भूमि को आबादी में परिवर्तित करने में ग्राम वासियों को आपत्ति है क्योंकि यह प्राइमरी स्कूल की हद्द में आती है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यह सूचना कहां से मिली है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बून्दी जिला क्लेक्टर से।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : या विकास अधिकारी से ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह !

ग्राम पंचायत नगर द्वारा आयोजित मेला

1011 श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नगर, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो मेला किस वर्ष से लगाया जा रहा है ?

Page No.15

(श्री दिग्विजय सिंह)

(2) जिस वर्ष से मेला चालू हुआ तब से 1967 तक मेले से सालवार कितनी कितनी आमदनी हुई ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि मेले से हुई आय को ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक कार्य में खर्च नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो किस किस कार्य में और कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई ? कृपाया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

राज्य-मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी हां। पंचायत द्वारा मेला सन् 1954 से लगाया जा रहा है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

तहसील सांगोद में लिफ्ट तथा फ्लो इरिगेशन का सर्वे

1012. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सांगोद तहसील के कनवास व सांगोद आर. आई. सी. क्षेत्र में किन किन स्थानों पर लिफ्ट व फ्लो इरिगेशन की दृष्टि से सर्वे किया जा चुका है और उनकी क्या रिपोर्ट आई है ?

(2) दांता तालाब, अरु नदो व सिलोनिया गांव के सर्वे कब से विचारधीन हैं और उनमें क्या प्रगति हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रगति सन्तोषजनक नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री उपनिवेशन, (श्री मनफूलसिंह): (1) 5 लिफ्ट योजनाओं का सर्वे किया जा चुका है उन पर काम भी प्रगति पर है फ्लो इरिगेशन योजना का सर्वे नहीं किया गया।

(2 व 3) दांता तालाब व सलोनिया गांव के समीप योजना का प्रारम्भिक सर्वे पिछले वर्ष ही किया जा चुका है दोनों योजनायें सिंचाई की दृष्टि से बहुत ही महंगी व अनुपयोगी साबित हुईं ?

श्री जुझारसिंह : यह लिफ्ट योजना है वह क्यों महंगी है जब कि वहां पॉवर अवेलेबल है ?

श्री मनफूलसिंह : तकनीकी दृष्टि से सही नहीं माना गया।

श्री जुझारसिंह : इससे कितने गांवों में इरिगेशन होने की संभावना है ?

श्री मनफूलसिंह : इसमें एक हजार बीघा का तो इरिगेशन हो चुका है कुल पांच हजार का है।

श्री जुझारसिंह : सलोनियां गांव में कितने बीघा का तो इरिगेशन लिफ्ट से होगा या नहरों द्वारा होगा ?

श्री मनफूलसिंह : लिफ्ट से होगा ।

श्री जुझारसिंह : कितने बीघे में ?

श्री मनफूलसिंह : यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : तो फिर आपने कैसे कह दिया कि अनइकोनॉमिकल है, पांच हजार बीघे में होगा और एक हजार में हो रहा ? एक भी बीघे में नहीं हो रहा है स्कीम हाथ में ही नहीं ली है वह जो स्कीम जिसके लिफ्ट होने के लिए रिक्वेस्ट किया गया वह इन्जीनियर साहब ने नामन्जूर कर दी ?

श्री मनफूलसिंह : सलोनियां गांव के समीप की जो योजना सही नहीं थी उसको अनुपयोगी माना गया इस पर काम नहीं किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य !

केन्द्र से मंगाया गया अनाज

1013. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में भारत सरकार से पिछले तीन सालों में कितने हजार टन कौन-कौन सा अनाज मंगाया गया है ? इसकी सालवार मात्रा क्या है ?

(2) इस अनाज के मंगाने से राज्य सरकार को क्या हानि अथवा लाभ रहा ?

(3) राज्य के उत्पादन की दृष्टि से भारत सरकार से अनाज मंगाने की आवश्यकता कब तक रहेगी ? गत तीन वर्षों में हर वर्ष अनाज का उत्पादन कितना कितना हुआ ?

उप मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) भारत सरकार से राज्य में पिछले तीन साल में निम्न प्रकार अनाज आया:--

नाम साल	आयातित गेहूं	माइलो
1965	1,51,300 टन	
1966	3,66,726 टन	1,?5,000 टन
1967	2,41,000 टन	1,34,769 टन

(2) आयातित गेहूं व माइलो की वितरण योजना नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चालू है ।

(3) जब तक अनाज के मामले में राज्य सरकार आत्म निर्भर नहीं हो जाती है । गत तीन सालों में हर साल अनाज का जो उत्पादन हुआ उसकी सूची संलग्न ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री हंसराज आर्य : आत्म निर्भर कब हो जायगा ?

श्री रामदेवसिंह : जब आवश्यकता के माफिक अनाज होने लग जाय ।

श्री हंसराज आर्य : क्या आपने इसके लिए कोई साल निश्चित किया है ?

खाद्य-मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : वैसे राजस्थान अनाज के मामले आत्मनिर्भर है लेकिन भौगोलिक स्थिति की वजह से सात

Page No.17

(श्री परसराम मदेरणा)
साल में दो साल अकाल पड़ जाता है और दो साल ठीक ठीक फसल नहीं होती इस कारण किसी न किसी क्षेत्र में अकाल रहता ही है इस तरह से प्रोडक्शन कम हो जाता है उस अरसे में आत्मनिर्भरता में कमी आ जाती है। फिर भी भारत सरकार ने 70.71 के साल तक आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है।

श्री रामकिशन (वैर) : इस तरह की तो कई बार घोषणा हो चुकी।

श्री हंसराज आर्य : 64–65 और 65–66 में अनाज का कम पैदावार का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : अकाल पड़ने की वजह से।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि 14 तारीख को कान्फ्रेन्स हुई थी तो उसमें न्यूनतम भाव आपने तय किये थे, वे क्या थे ? अनाजवार बताये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : गेहूँ की लेवी ली जावेगी और राजस्थान के लिए 75 हजार टन का टारगेट इसके लिए है और गेहूं के भाव माल और मैक्सिकन का भाव 76) प्रति क्विन्टल और बाकी सुपीरियर का 81) प्रति क्विन्टल रखा है।

श्री हंसराज आर्य : चने का भाव।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : देश भर में चने की रोक नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : क्या भविष्य में लेवी ली जावेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : गेहूं के मामले में ली जावेगी।

श्री हंसराज आर्य : वह किस से ली जावेगी।

श्री परसराम मदेरणा : अभी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट तय नहीं किया है, पर प्रोड्यूसर से तो नहीं ली जावेगी।

श्री रामकिशन : आपने कहा पांच सालों में दो बार अकाल पड़ जाता है। फिर तीसरी योजना में टारगेट निश्चित किये थे अनाज उत्पादन के तो क्या वे इस अकाल को ध्यान में रख कर किये थे ? 16 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य रखा था।

(उत्तर नहीं मिला)

श्री हंसराज आर्य : आपने इन अकालों का उपाय भी सोचा कि कब से ये पड़ने बन्द हो जावेंगे ?

ऊंटड़ा बान्ध

1014. सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में ऊंटड़ा बान्ध बनाने में क्या खर्चा हुआ ?

(2) इस बान्ध से कितनी भूमि की आबपाशी होती है ?

(श्री सुमेरसिंह)

(3) इस बान्ध द्वारा भूमि की आबपाशी होने से राजस्व आय व कृषि की उपज में कितनी वृद्धि हुई ?

(4) क्या यह सही है कि इस बान्ध के बनने से अन्य गांवों की कृषि भूमि की उपज में बाधा पहुँची है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस बान्ध के बन जाने के बाद रूपनगढ़ क्षेत्र तहसील किशनगढ़ के तमाम कुओं का पानी सूख गया ?

(6) रूपनगढ़ क्षेत्र की तरफ के कुओं का पानी सूख जाने से इस तरफ काश्त की पैदावार में कमी हो जाने से इस क्षेत्र की तरफ के कुओं में पानी व काश्त को तरक्की करने को पानी की व्यवस्था के बारे में सरकार की क्या योजना विचाराधीन है और यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है।

उप मंत्री, कृषि (श्री मनफूलसिंह): (1) 6,39,374) रुपये।

(2) वर्षा की कमी के कारण इस बान्ध में पानी इतना उपलब्ध नहीं हुआ जिससे आबपाशी की जा सकें।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुमेरसिंह : जब वर्षा जिस साल बहुत अच्छी हुई उस साल कितना आया ?

श्री मनफूलसिंह: ज्यादा से ज्यादा एवरेज 11 इन्च का था तब भी उसमें पानी नहीं भरा।

श्री सुमेरसिंह : इससे कब कितनी भूमि सिंचित कर पाये है ?

श्री मनफूलसिंह : बिलकुल नहीं हो पाई है।

श्री सुमेरसिंह : जब बिलकुल नहीं हो पाई अनसर्विसेबल है तो क्या सरकार विचार करेगी कि इसके नीचे के कुए इस बान्ध के कारण सूख गये तो उनको पानी को रोक न हो इसके लिए सरकार इसे अनसर्विसेबल डिक्लेयर करेगी ।

श्री मनफूलसिंह : कैचमेन्ट एरिया में पानी आया ही नहीं तो कुए सूखने का प्रश्न कहां से पैदा हुआ।

श्री सुमेरसिंह : कैचमेन्ट एरिया के कुओं के लिए नहीं कहता, बान्ध के नीचे जो कुए हैं वे नदी के बन्ध जाने से सूख गये सोर के अभाव में यह मेरा कहना है।

श्री मनफूलसिंह : माननीय सदस्य ने जानकारी दी है। फिर हम एक बार जांच इसकी करवा लेंगे।

वन विभाग में भूमि पर नाजायज कब्जे

1915. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूट सु.): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में वन विभाग की भूमि पर कई भूमिहीन किसानों ने नाजायज कब्जे किये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने नाजायज

(श्री विट्ठल भाई)
कब्जा किया है और उस पर वन विभाग ने कानूनी कार्यवाही की है ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा): जी नहीं। जिला बांसवाड़ा में आदिवासियों द्वारा वन विभाग की भूमि पर कब्जा करने का प्रयत्न किया गया। अतिक्रमण के कुल केसेज की सूची सलंग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री विट्ठल भाई : जो आपने सूची दी है उसमें ये लोग जिन्होंने अतिक्रमण किया सभी भूमिहीन थे क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह जानकारी नहीं है मेरे पास इस समय।

श्री विट्ठल भाई : यही तो जानकारी मांगी है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जब बांसवाड़ा में भूमिहीन किसानों के नाजायज कब्जे के बारे में पूछा गया तो आपने कहा और लिस्ट दी तो क्या 963 सभी भूमिहीन हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसमें भूमिहीन भी हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें भूमिहीन कितने हैं यह स्पष्ट पूछा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसकी जानकारी अलग से दी जा सकती है। आपका आशय इससे यह है कि भूमिहीनों ने कब्जा कर लिया तो वह भूमि जंगल से रिलीज होनी चाहिए। अगर यही आशय है तो निवेदन कर दूं कि आलरेडी जो जमीन कमेटी की सिफारिश से रिलीज हो चुकी है वह 4052.10 एकड़ है और बाकी भूमिहीन है या नहीं इसकी जानकारी राजस्व विभाग को हो सकती है। वन विभाग को नहीं। वन विभाग तो केवल जिन्होंने अनधिकृत कब्जा किया है उनका काग्नीजेन्स लेता है। अब रेवेन्यू रिकार्ड से हमारा सम्बन्ध नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : जब हमने आपसे पूछा तो आपको रेवेन्यू विभाग से पूछना चाहिए।

श्री नारायणसिंह मसूदा: आपके आशय से मैं समझ गया। आप अगर भूमिहीन किसानों कब्जा किया तो रिलीज क्यों नहीं की जाती है इस तरह प्रश्न पूछते तो उसी तरह से जवाब दिया जाता।

श्री विट्ठल भाई : वह तो बाद में पूछते।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके लिए राजस्व विभाग से जानकारी करें।

श्री उपाध्यक्ष : यह विभाग से जानकारी मंगवा कर माननीय सदस्य को भिजवा दी जावे। यह पूछा और आपने जवाब नहीं दिया।

श्री हीराभाई : मुकदमा चलाया उन पर कोर्ट में या आपके विभाग ने फैसला किया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : 963 मुकदमे पंजीबद्ध हुए हैं जिनमें से 159 तो अदालत में

(श्री नारायणसिंह)मसूदा
और 144 विभाग से तय किये गये। बाकी 660 में कार्यवाही चल रही है।

श्री हीराभाई : सरकार की नीति है कि उनको भूमिहीन मानकर उनके कब्जे को अधिकृत किया जावे। तो ऐसी सूरत में उन पर मुकदमें न चलाये जाकर वापिस लिये जावें क्या सरकार ऐसा नहीं सोचती ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजस्व विभाग की जमीन पर अगर भूमिहीन लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया है तो 66 के दिसम्बर महीने तक सरकार ने आज्ञा निकाली है कि एक सीमा तक अनधिकृत कब्जों को रेगुलेराइज किया जावेगा और सरटन प्रीमियम लिया जावेगा और बाकी मुकदमे चालू नहीं रखे जावेंगे।

पर जहां वन विभाग की जमीन का मामला है उस पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है तो इसके बारे में भी विचार किया जावेगा कि किस प्रकार की जमीन पर कब्जा किया गया है। अभी कुछ नहीं कह सकते।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, प्रश्न कर्ता !

श्री विट्ठल भाई : यह शिकायत सारे बांसवाड़े जिले में है। किसानों के पास जमीनें थीं पहले वाली, उनको ले लिया है। पीपलखूंट में जंगल एरिया आ गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कम से कम उनको वन विभाग से निकाल कर रेवेन्यू विभाग में डालकर उन किसानों को दी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वन विभाग से रिपोर्ट आने के बाद राजस्व विभाग में परिवर्तित हो जाती है तो विचार किया जा सकता है। जब तक वन विभाग के अधीन हैं और वन विभाग उसको रेग्युलेराइज कर दे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं ली जा सकती है।

श्री विट्ठल भाई : जब तक वन विभाग से इसको निकालने की कार्यवाही नहीं होगी तब तक यह कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीरामचन्द्रआर्य (नाहेर से आप बैठिये। आपसे बहुत दूर है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें भूमियों पर 15–15, 20–20 वर्ष से आदिवासियों का कब्जा है वन विभाग की भूमि के अन्दर वहां के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में कुछ नहीं मिला और कई कारणों से वे इन कब्जों को नाजायज करार देकर कहते हैं कि इन कब्जों को हटाया जाय, तो ऐसी दुर्व्यवस्था वहां पर हो रही है, और एक आतंक सा फैला हुआ है, और आदिवासी बहुत दुखी हैं और उनकी रोजी रोटी का प्रश्न है। उस भूमि से उनको बेदखल करके निकाल दिया जायगा तो उनकी दुर्दशा होगी। तो मेरे निवेदन करने का मंत्री महोदय से यही तात्पर्य है कि ऐसे मामलों को सहानुभूतिपूर्वक निपटाने की कोशिश की जाय, और उन लोगों को शरणार्थियों के रूप में परिवर्तित न करें ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करने का विचार करे।

श्री हीराभाई : मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक बात यह भी है कि जहां पर इम

Page No.21

(श्री हीराभाई)
रती जंगल हैं और जो लाइन बनी हुई है वह लाइन रेवेन्यू विभाग और वन विभाग के तालमेल से नहीं बनी हैं। कई नक्शों में वह रेवेन्यू में हैं और कई नक्शों में वन विभाग में है, और उनमें पुरानी खेती चली आ रही है। पुरानी आदत अलग थी और पुराने आधार पर कब्जा कर लिया था, और कई जगह ऐसा भी है कि वहां वन विभाग का एक पेड़ भी नहीं है, लेकिन वन विभाग के एरिया में जमीन मानकर अब उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं तो उसके बारे में वन विभाग से रिपोर्ट मंगाकर आप करेंगे तो वन विभाग तो यही कहेगा कि हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। यही बतायेगा। उसके लिए एक जांच के तरीके से करेंगे और उसका निर्णय लेंगे तो वह लोगों के हित से रिपोर्ट मंगायेंगे तो नहीं हो सकता है या तो एक ऐसी स्पेशल कमेटी बना कर या वन विभाग के मंत्री जी उस जिले में पधार कर जांच करें या और कोई ऐसा तरीका बनाकर उसकी जांच की जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जिला स्तरों पर कलेक्टर, डी. एफ. ओ. और शायद कोई एक और मेम्बर हैं...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : जिला प्रमुख।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिला प्रमुख, ये लोग मिलकर वहां पर भूमि कुछ रेवेन्यू में ट्रान्सफर होना चाहिए, इसकी सिफारिश करके भेज सकते हैं। बल्कि यहां तक भी उनको इजाजत है कि यदि तीनों एक मत हों तो वहीं पर फैसला ले सकते हैं और रेवेन्यू को ट्रान्सफर कर सकते हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर काफी समय ले लिया है।

श्री रामकिशन : यह बहुत एजिटेटिंग प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां पर जंगल की हद्दबन्दी तो बाद में हुई है और खेती जो है वह पहले से है और उस खेती को जंगल की हद्दबन्दी के अन्दर ले लिया गया है। बहुत से खेतों और फलदार वृक्षों को जंगल की हद्दबन्दी के अन्दर ले लिया गया है। हद्दबन्दी खेतों के ऊपर कर दी गई है और बहुत से मकानात तक उसके अन्दर ले लिये गये हैं। ऐसी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक निपटाना मैं समझता हूं परम आवश्यक है। यह तो एक अन्याय है एक तरह का। जिनके खेत पहले से हैं और बन्दोबस्त के बाद में जमीन को वन विभाग ने अपने अन्तर्गत ले लिया है। तो ऐसे मामलों के अन्दर सरकार की नीति निर्धारित होनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कुछ उदाहरण मेरे सामने भी आये हैं, और उस मौके पर मैंने वन विभाग वालों से यह कहा था कि डिमार्केशन बाद में हुआ हैं, और खेती पहले से करते हुए लोग चले आ रहे हैं तो उनको वहां से हटाने का सवाल नहीं रहता है, और ऐसे केसेज कहीं पर नोटिस के अन्दर आयेंगे तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
उनको रेग्युलेराइज करने के लिए निश्चित तौर से सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। इसमें काफी समय ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्य मंत्रीजी ने यह फरमाया है कि 65-66 के अन्दर नाजायज कब्जा किया है उनको मान लेंगे, यह सिंचाई विभाग पर भी लागू होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है।

श्री पृथ्वीसिंह (बालो) : जिनके मकानात गिर गए हैं कम से कम उनका मुआवजा तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न। श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या सिंचाई क्षेत्र में आपका यह कानून है जो लागू होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्रीजी ने यह फरमाया इसका साफ हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज !

प्रश्न संख्या 1016

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री जगन्नाथ !

तहसील देवली में रेवेन्यू बन्दोबस्त

1017. श्री जगन्नाथ (टोड़ारायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवली तहसील में पिछला रेवेन्यू बन्दोबस्त कब हुआ था ?

(2) जिस समय बन्दोबस्त हुआ उस समय कितना रकबा इस तहसील में सबायनक था ? कितनी काबिल काश्त थी और कितनी नाकाबिल काश्त ?

(3) इस समय कितने रकबे में काश्त हो रही है और कितने रकबे में चरागाह हैं ?

(4) उपरोक्त जानकारी कृपया पंचायत क्षेत्र के अनुसार दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने प्रश्न किया है उसका उत्तर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी को मेरे साथ नाराजगी है ?

श्री रामकिशन : वे कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई नाराजगी हो तो वह साफ हो

(श्री रामकिशन)
जाय उत्तर दें या न दें। उत्तर नाराजगी का है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) तहसील देवली जून, 1964 में देहात भूतपूर्व स्टेट जयपुर व टोंक, बूंदी के कुछ गावों को मिलाकर बनाई गई है। जयपुर स्टेट से आये हुए ग्रामों में 89 ग्रामों का संवत् 1999 में तथा 4: ग्रामों का संवत् 2014 में, तत्कालीन बूंदी स्टेट के 25 ग्रामों का सम्वत् 1999 तथा तत्कालीन टोंक स्टेट के 7 ग्रामों का 1999 में सेटलमेंट हुआ था, और तहसील केकड़ी से 1955 में आये हुए 4 ग्रामों का 1955 में सेटलमेंट हुआ था।

(2) उस समय का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(3) इस समय तहसील देवली ने कुल काश्त रकबा 160334 एकड़ व चरागाह का रकबा 33854 एकड़ है।

(4) पंचायत वार काश्तशुदा रकबे की तथा चरागाह के रकबे की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्षजी, नासिरदा ग्राम में 5349 बीघा काश्तशुदा रकबा है जिसमें 1981 बीघा रकबा ऐसा सम्मिलित है जिसको अभी चरागाह में बदला गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नासिरदा कहां है?

श्री जगन्नाथ : नासिरदा पंचायत क्षेत्र के अन्दर 5349 बीघा जो जमीन है··

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कौन सी ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उनकी तरफ मुखातिब होकर बोलिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : काश्तशुदा 5339 है और चरागाह का रकबा 1981 बीघा है।

श्री जगन्नाथ : इसमें इतना चरागाह का रकबा किस आधार पर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से सवाल है।

श्री रामकिशन : अलग से नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 430 बीघा मवेशियों की तादाद लेकर एस. डी. ओ. और पंचायत ने स्वीकार किया होगा। यह अलग प्रश्न है।

श्री जगन्नाथ : बन्दोबस्त हुआ उसके अन्दर 1955 में 41 ग्राम जयपुर रियासत के आये जिसमें कई सिवाय चक की जमीनें थीं और जिस वक्त कोई पाबन्दी नहीं थी। उस वक्त अच्छी भूमि देखी उसी पर काश्त कर लेते थे तो 5 और नम्बर 6 पर 10 बीघा काश्त कर ली, और जिस वक्त यह लागू हुआ इसका नाम क्या कि जिस वक्त में 5 नम्बर और 6 नम्बर के रकबे पर 10 बीघा काश्त कर ली और पटवारी ने 5 नम्बर के रकबे को काश्त में लगाया 10 बीघा और 6 नम्बर के रकबे पर 5 बीघा पर काश्त की गई थी उसको नहीं लिया।

(श्री जगन्नाथ)

(12 मध्यान्ह)

और जो 6 नम्बर पर 5 बीघा काश्त दिखाया है उसको भी नहीं लेंगे और धारा 91 के तहत पेनल्टी नहीं मांगी जायगी क्योंकि संवत् 2012 से पहले का कब्जा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मैं समझता हूं आशय उनका यह है कि सेटलमेंट में जो रकबा चरागाह के तौर पर दर्ज है और जिस पर काश्त करदी है, बरसों से काश्त करते आ रहे हैं उनके बारे में एस. डी. ओ. से इन्क्वायरी कराई जाकर अगर वहां पर पशुओं की संख्या ज्यादा है तो सिवाय चक में परिवर्तित हो सकता है और रेगुलेराइज हो सकता है।

श्री जगन्नाथ : हमारी तहसील में 2200 बीघा रकबा काश्त किया हुआ था उसमें से 1200 बीघा रोक दिया गया और 1000 बीघा नहीं लिया गया उस पर काश्त करते चले आ रहे हैं। क्या उसको भी रेगुलेराइज किया जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस बारे में विचार किया जायगा। जो लोग 10 साल से काश्त करते चले आ रहे हैं, यदि सेटलमेन्ट में वह चरागाह है तो एस. डी. ओ. की सिफारिश पर सिवाय चक में परिवर्तित किया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो पुराने जमाने से काश्त करते चले आ रहे हैं और उनकी जमीन को चरागाह कर दिया है उनको रेगुलराइज करेंगे या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पुराने समय में बगैर पूछे जो जमीन पड़ी रहती थी उस जमीन पर काश्त कर लेते थे और सेटलमेंट संवत् 1999 में हुआ। उसके बाद जिस जमीन पर किसी का 10 साल से ज्यादा समय से कब्जा है और उस पर काश्त की है और लगान बराबर जमा करा देते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह गंभीर है जिनका कब्जा पहले से ही काश्त की भूमि पर था....

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री विजयसिंह रावत : जो सवाल पूछा गया है उसको मजाक में टाल दिया गया है। वहां के किसानों को दिक्कत हो रही है। इस पर सुटेबल एक्शन लेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे चुके हैं।

प्रश्न संख्या 1018

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

भारत पाक संघर्ष के दौरान फसल को क्षति

1019. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1966 के भारत-पाक संघर्ष के समय राज्य के किस किस ग्राम में कितनी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कितनी खड़ी फसल का नुकसान हुआ और अब तक किस किस की कितनी कितनी क्षति पूर्ति की गई है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इस हानि का कितना कितना अनुमान लगाया गया और इसके विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा कितने कितने नुकसान की क्षति पूर्ति की मांग की गई है ?

(3) भारत सरकार से क्षति पूर्ति हेतु कितनी धन राशि की मांग की गई थी और उसमें से अभी तक कितनी सहायता मिली है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सन् 1966 में भारत पाक संघर्ष नहीं हुआ है। सन् 1965 में भारत पाक संघर्ष के दौरान खड़ी फसलों को नुकसान केवल दो जिलों में हुआ जिसका अनुमान इस प्रकार है:—

(1) जोधपुर में 3230) रु.

(2) बाड़मेर में 5,95,833) रु.

कुल 5,99,063) रु.

जोधपुर जिले में विभिन्न क्षेत्रों से 1,098) रु. की सहायता अनुदान के रूप में देकर क्षतिपूर्ति की गई।

बाड़मेर क्षेत्र में किसी को भी क्षतिपूर्ति के लिये सहायता नहीं दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा 5,99 063 रु. की राशि की क्षति का अनुमान लगाया गया। इसके अतिरिक्त गांव वासियों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की गई।

(3) भारत सरकार से 5,96000) रु. की धनराशि मांगी गई थी।

भारत सरकार से एक मुश्त में कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई।

31-1-68 को भारत सरकार ने बाड़मेर जिले में फसल की क्षतिपूर्ति के लिए अनुग्रहित अनुदान (एक्स ग्रेसिया ग्रान्ट) सहायता के रूप में निम्न दर पर प्रदान करने की सहमति दी जाती है :

तहसील	दर प्रति क्विन्टल ग्वार	बाजरा
बाड़मेर रु.	45	48
शिव रु.	50	38
चोहटन रु.	50	40

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या सरकार की यह मान्यता है कि बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर जिलों को 1965 के संघर्ष में फसल की कोई क्षति नहीं हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी सूचना नहीं है लेकिन सहायता नहीं मांगी गई इस लिये नुकसान नहीं हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको सूचना नहीं है या वास्तव में नुकसान नहीं हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गंगानगर में नहीं हुआ बीकानेर में भी शायद नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर की तरफ जिस समय हमला हुआ उसके तुरन्त बाद एसेसमेंट हुआ उसके अनुसार सूचना दी थी कि इतना नुकसान हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राज्य सरकार को भारत सरकार ने

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी सूचना के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसलमेर में कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार की दृष्टि से गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में कोई नुकसान नहीं हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मेरी सूचना है नुकसान नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आपकी सूचना गलत हो सकती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गलत कैसे हो सकती है, जानकारी करके उत्तर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस बिना पर भारत सरकार ने अनुदान देने की अनुमति दी है उसका टोटल अमाउन्ट कितना होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो एसेसमेंट की पद्धति भारत सरकार ने निकाली है उसके अनुसार हरेक फसल के लिये जो प्रोसिजर बताया है उसमें कहा है कि पहले एसेसमेंट करके एस. डी. ओ. से वेरिफाई कराकर कलेक्टर के पास भेजें और कलेक्टर वेरिफाई करे उसके बाद जो दर मुकर्रर की गई थी उस हिसाब से भुगतान करें।

श्री भैरोंसिंह : आपको भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी। एसेसमेंट आपने पहले ही करा लिये थे तब फिर एसेसमेंट में क्यों देरी हुई कि किसको कितना देना है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टोटल अमाउन्ट भारत सरकार ने 5 लाख 96 हजार दिया है। अब हरेक व्यक्ति को हरेक गांव में कितना कितना देना है इसको तय करने में टाइम लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने भारत सरकार से मांग कब की थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 26-4-67 को।

श्री भैरोंसिंह : 26-4-67 के पश्चात् दो वर्ष बाद सेंक्शन हुई है इस विलम्ब का कारण क्या है ? क्या विलम्ब नहीं करने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लिखा जाता रहा है उसके बाद ही तो सेंक्शन आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 2 वर्ष बाद सेंक्शन आई है इसमें किसकी तरफ से देरी हुई ? क्या भारत सरकार ने जो पत्रावली मांगी थी वह आपने देरी से भेजी इस कारण सेंक्शन देरी से हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एसेसमेंट की सूची उन्होंने गांववार मांगी थी वह हमने भेज दी थी।

श्री भैरोंसिंह : शुरू में दे दी थी या नहीं उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में जिन लोगों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फसल को नुकसान हुआ उनको हन्ड्रेड परसेंट कम्पनसेशन दिया है लेकिन आपकी सरकार एक पैसा भी नहीं दे सकी। गंगानगर में अनूपगढ़ तहसील और हिन्दूमल कोट में नुकसान हुआ, बीकानेर में कोचना, करड़ा, नायला आदि में फसल को नुकसान हुआ उनके पेपर्स दुर्भाग्य से अभी मेरे पास नहीं हैं। एक एक तहसील का एस्टिमेट कराया, बदकिस्मती से पेपर्स इस समय मेरे पास हैं नहीं राज्य सरकार ने लिखा है कि हमारे यहां नुकसान हुआ उसकी क्षति पूर्ति भारत सरकार को करनी चाहिये लेकिन राज्य सरकार ने उस पर जोर नहीं दिया। गंगानगर में जो नुकसान हुआ उसके बारे में आपके यहां से लोगों के पास चिट्ठियें आई हैं कि आपकी क्षति पूर्ति के लिये भारत सरकार को लिखा है। और आप कहते हैं कि गंगानगर बीकानेर में नुकसान नहीं हुआ। क्या आप इसकी जांच करवाने को तैयार हैं कि गंगानगर और बीकानेर में नुकसान हुआ या नहीं? और आपने जो बाड़मेर में कुछ गांवों की सूची दी है, उनसे दुगने गांवों में बाजरे की फसल नष्ट हुई है। तो आप इसकी दुबारा जांच कराने के बारे में आश्वासन देने की स्थिति में हैं या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां इसकी सूची का प्रश्न है, जितने गांवों का सरकार को वहां से उस वक्त जांच कराके पता लगा उसकी लिस्ट भारत सरकार को भेज दी गई। जहां तक किसी ऐसे गांव का प्रश्न है जिस जिस गांवों की सूचना पेश नहीं हुई उनका नाम इस सूची में दर्ज नहीं है। जिन गांवों में वास्तविक नुकसान हुआ है उनकी लिस्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। जहां तक यह जांच करवाने का प्रश्न है कि बीकानेर में नुकसान हुआ है या नहीं, गंगानगर में नुकसान है या नहीं तो मैं समझता हूं कि नुकसान हुआ होता तो जरूर यहां पर फायलों में दर्ज होता और उसकी लिस्ट जरूर भेज दी गई होती। इसका आशय है कि वहां पर नुकसान नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात तो यह है, मुख्य मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि बाड़मेर जिले के रोहिडा गांव को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, उस गांव का एक एक घर नहीं छोड़ा, बिल्कुल खेती नहीं बची, चार महीने तक लोग वहां जा नहीं सके। इसी तरह से रावडा गांव है, पुनराज का पार है, शवा की बावड़ी है और बूटा है-यह जो गांवों के नाम दिये हैं, इन सब गांवों की सारी फसल नष्ट हो गई थी, गांव नष्ट हो गये थे। और माननीय मंत्री महोदय, जो खाद्य मंत्री हैं वह उस इलाके में कापडाऊ जाकर आये थे और वह जानते हैं कि वहां फसल नष्ट कर दी गई थी। ऐसी स्थिति से आप अन्दाज लगा कर चलें कि वहां फसल नष्ट नहीं हुई और उन गांवों के नाम नहीं दें तो इससे यह साफ साबित होता है जिन लोगों की फसल का नुकसान हुआ है उसकी आपको जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से गंगानगर जिले में हिन्दूमल कोट से लेकर अनूपगढ़ तक, जहां जहां पाकिस्तान से संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष के दौरान तमाम सीमावर्ती गांवों में फसल नष्ट हुई है लेकिन हमारी सरकार ने उसका अन्दाज नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस तो यह होता है कि भारत सरकार पैसा देना चाहती है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
लेकिन राजस्थान की सरकार सही असैसमेंट न करने के कारण उस पैसे को नहीं लेना चाहती है। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन गांवों के लोग फसल छोड़कर पाकिस्तान चले गये उन गांवों का नाम सूची में दर्ज करने का प्रश्न नहीं उठता है। जिन गांवों के लोग यहीं रहें और उनकी फसल नष्ट हो गई, उनका प्रश्न उठता है और उन गांवों की सूची तैयार की गई है।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : एक जानकारी।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है, मंत्री महोदय का उत्तर है वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। अगर पाक आक्रमण के द्वारा लोगों की खेती के अन्दर नुकसान हुआ है और खास तौर से जब प्रश्नकर्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में पूरा मुआवजा दिया गया है, भारत सरकार हमको मुआवजे की रकम देने के लिए तैयार है तो इस सरकार के ऊपर कौनसी बिजली पड़ गई है कि मुआवजा उचित रूप से न दे अफसोस की बात यह है कि सीमावर्ती हिन्दूमल कोट आदि में आक्रमण हुआ, वहां लोगों का नुकसान हुआ, उसके सम्बन्ध में सरकार बिल्कुल जानकारी देने में कासिर रहती है यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजा बराबर दिलाया जाय, जल्दी से जल्दी दिलाया जाय, भारत सरकार से मांग की जाय। भारत सरकार, हमारी उचित मांग होगी तो अवश्य उस मांग की पूर्ति करेगी।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, रानूका, मदेरा, हिन्दूमल कोट, खख्खा, इन चार इलाकों में हमला हुआ, दो दो माह तक गांव खाली रहे और आप कहते हैं कि फसल नष्ट नहीं हुई। मुख्य मंत्री जो वहां पधारे थे, उनको दरख्वास्त दी थीं और उन्होंने इनाम बांटे। लेकिन आप कहते हैं कि फसल का नुकसान नहीं बताया।

श्री जुझारसिंह : एफीशियेन्ट मंत्री है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, इन कागजों में क्या डिटेल्स दी हैं, इसको जाने बिना तो मैं उत्तर नहीं दे सकता। यह कह सकता हूं कि गंगानगर में फसल के नुकसान की बात मेरे सामने नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : नुकसान की बात आई है और आप आंखों से देख कर आये हैं। खख्खा के पास बिल्कुल फसल नहीं छोड़ी है।

श्री केदारनाथ : खख्खा, मान्यवर, रूपया के पास है, वह दो तीन महीने खाली रहा और खख्खा दो महीने तक खाली रहा। वह दो तीन महीने तक पाकिस्तान के कब्जे में रहा तो फसल को कौन यूटीलाइज करता।

श्री भैरोंसिंह : रोहिड़ा गांव का नाम नहीं है तो क्या उस गांव के सब लोग पाकिस्तान चले गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मैं अभी सूचना नहीं दे सकता।

Page No.29

श्री भैरोंसिंह : फिर सूचना क्या दे रहे हैं। आपने कह दिया कि जो लोग पाकिस्तान चले गये उन गांवों को शामिल नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि रोहिड़ा खाली हो गया था, उसकी फसल नष्ट हो गई थी लेकिन उस गांव का नाम नहीं है। क्या यह माना जाय कि इस गांव को इसलिए सूची में दर्ज नहीं किया क्योंकि इसके सब लोग पाकिस्तान चले गये थे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री ने कहा कि फसल का नुकसान हुआ हो ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सारी फसल का नुकसान हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक छोटा सा मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, रोहिड़ा का गांव सारा का सारा उजाड़ हो गया, मान लीजिए सारी बस्ती चली गई, कहीं चली गई··

श्री भैरोंसिंह : कहीं नहीं गई। हिन्दुस्तान के अन्दर एक एक बच्चा आज भी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आपत्तिजनक प्रश्न तो नहीं पूछता, बस्ती चली गई, गांव खाली हो गया, और मवेशी, ढोर वगैरह द्वारा यहां सारी फसल बरबाद हो गई तो ऐसी स्थिति के अन्दर भी वहां के लोगों का नुकसान हुआ है, उनको फसल का फायदा प्राप्त नहीं हुआ है और वह नुकसान पाकिस्तान के आक्रमण के कारण हुआ है।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : रोयड़ा तो गैर आबाद है उसमें फसल नहीं होती है, वहां जमीन पड़ी हुई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा जांच करा कर मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया। प्रश्न समाप्त हुए। स्थगित प्रश्न !

श्री भैरोंसिंह : रोहिड़ा गैर आबाद नहीं है। यह रोहिड़ा है, रोयेड़ा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगित प्रश्न !

श्री भैरोंसिंह : 741 !

स्थगित प्रश्न

(22-3-68)

सरप्लस कर्मचारी

741. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (26) जी. ए. सी. 66, दिनांक 13 जुलाई सन् 1967 के क्रम में किस किस विभाग से कितने कितने कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इनमें कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और इनको कब कब नियुक्त किया गया था ?

(ग) इनके पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्री (मथुरादास माथुर) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रश्न में अंकित परिपत्र जारी नहीं किया गया परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 1 (33) जी. ए. सी. । 66, दिनांक 13-C-67 के अन्तर्गत 205 कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया। इन विभागों में पदों में कमी होने के कारण और चूंकि इनकी नियुक्ति 1-10-66 के पश्चात् हुई थी वे सरकारी आदेशानुसार समावेश (एब्जोर्पशन) के पात्र नहीं थे। इसलिए इनको सेवा मुक्त किया गया।

(ख) इनमें 24 भूतपूर्व सैनिक हैं जो 1967 में नियुक्त हुए थे।

(ग) कमी में आने के कारण सेवा मुक्त किए गये कर्मचारियों के पुर्नवास हेतु एक परिपत्र जारी कर दिया गया है जिसमें उनको नई नियुक्तियों में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह : इन भूतपूर्व सैनिकों के साथ कोई विशेष रियायत है ?

श्री मथुरादास माथुर : भूतपूर्व जितने भी सैनिक हैं उनको राज्य सरकार में नौकरी देने के लिए और उनको एब्जार्व करने के लिए राजस्थान सिविल सर्विस एब्जोर्पशन ऑफ एक्स सर्विस मेन रूल्स, 1959 में लागू होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के अनुसार सरप्लस घोषित होने के पश्चात जो सेवा मुक्त हुए हैं, उन सेवा मुक्त फौजियों को राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार कोई एब्जोर्पशन की नीति है।

श्री मथुरादास माथुर : एब्जार्व करने के लिए जिन जिन डिपार्टमेंट के अन्दर जगह खाली हो वहां इनको एब्जार्व करने के लिए रूल्स में प्रावधान है भूतपूर्व सैनिकों के लिऐ साढे बारह पर्सेन्ट रखने का रूल्स के अन्दर प्रावधान है, इस साढ़े बारह पर्सेन्ट के हिसाब से खाली जगहों पर उनको एब्जोर्व करने में प्रायोरिटी दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : इन फौजियों को सरप्लस घोषित करने के सम्बन्ध में, कि फौजियों को सरप्लस घोषित किया जाय या नहीं किया जाय और किया जाय तो किस आधार पर किया जाय इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ?

श्री मथुरादास माथुर : सरप्लस करने में फौजियों और गैर फौजियों का सवाल पैदा नहीं होता। फौज से सेवा मुक्त होने पर फौजियों को राज्य सरकार द्वारा नौकरी दी जाती है तो वह राज्य सरकार के नौकर हो जाते हैं, राज्य सरकार के कानून के अन्तर्गत वह राज्य सरकार के नौकर हो जाते हैं। अब जिस महकमे में है उस महकमे में है उस महकमे को तोड़ दिया जाता है तो वह सरप्लस घोषित कर दिए जाते हैं। 1-10-66 के पहले पहले के जितने मुलाजिम हैं, उनको सरप्लस घोषित करने पर राज्य सरकार की जवाबदारी है कि उनको वह नौकरी दे और दूसरे विभागों में एब्जार्व करे। और 1-10-67 के बाद में जो आए हुए हैं, जिनकी सर्विसेज टर्मीनेट की थीं, ऐसे केस 27 केस हैं दो सौ में से, जो प्रिवेन्टीव फार्म में कमी होने के कारण ज्यादातर एक्साइज डिपार्टमेंट से सरप्लस

(श्री मथुरादास माथुर)
हुए हैं, उनको दूसरी जगह पर एब्जोर्ब करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : ये जो सरप्लस हैं क्या ये ग्राउट ऑफ एम्प्लोयमेंट है।

श्री मथुरादास माथुर : वे ग्राउट ऑफ एम्प्लोयमेंट नहीं हैं, जब तक एब्जोर्ब नहीं किया जाता है तब तक उनको घर बैठे हुओं को भी तनख्वाह मिलेगी। जो 1–10–60 के बाद के हैं वे सरप्लस नहीं हैं, वे ग्राउट ऑफ सर्विस है। 1–10–66 से पहले के सरप्लस हैं, वे ग्राउट ग्राफ सर्विस नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो यह बता दीजिए कि कितनों को सर्विसेज टर्मिनेट हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : ग्रापने तो सरप्लस का पूछा था, वह बता दिया।

श्री भैरोंसिंह : यों ही बता दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : यों हो बताने की तो परिपाटी नहीं है, क्योंकि एक दो फीगर्स इधर उधर हो जाय तो फिर ग्राप हमें ऊंचा नीचा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

स्थगित प्रश्न 805

स्थगित प्रश्न

(23–3–68)

रतनपुरा के निवासी द्वारा जंगलात की भूमि पर अवैध कब्जा

805. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री ओंकार लाल आदि निवासी रतनपुरा नायब तहसील बकानी, जिला झालावाड़ ने फोरेस्ट की भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल बोदी ?

(2) क्या यह भी सही है कि दीगर ग्राम वासियों की शिकायत होने पर भी फोरेस्ट विभाग द्वारा इसको नहीं रोका गया ? और न ही कोई कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह है कि इस जमीन के बाबत राजस्व विभाग (क) के अनुभाग अधिकारी द्वारा तार जिला फोरेस्ट अधिकारी झालावाड़ को 18–7–6 को दिया गया कि उक्त आसामियों को जमीन हांकने में नहीं रोका जावे ?

(4) क्या यह सही है कि बिना एलाटमेंट कमेटी व बिना भूमि राजस्व में आये यह जमीन दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। वन भूमि पर अवैध कब्जा करने की सूचना सर्व प्रथम वन रक्षक से मिलते ही रेंज अधिकारी ने तुरन्त रोकथाम की कार्यवाही की थी। ग्रामवासियों की शिकायतें तब तक प्राप्त नहीं हुई थीं।

(3) जी हां।

(4) भूमि अलॉट नहीं की गई है। वह अभी वन सीमा में ही है।

श्री भैरोंसिंह : यदि कोई वन विभाग की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करलें तो किस कानून के माफिक प्रॉसिक्यूशन होता है ?

श्री नारायणसिंह : फोरेस्ट एक्ट के मातहत, उन पर कार्यवाही की जाती है, चालान किया जाता है और अगर, और भी अधिक फसल वगैरह की हो तो तहसीलदार को कहा जाता है कि वह उस फसल को जब्त करने की कार्यवाही करे।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि फोरेस्ट एक्ट के माफिक इसका चालान कर दिया गया है ?

श्री नारायणसिंह : यह तो मैं जवाब दे चुका हूं कि प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं हुआ है ?

श्री नारायणसिंह : इसलिए नहीं हुआ कि फसल उगा दी गई थी और उनको काश्त की इजाजत दे दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : बांसवाड़ा के मामले में तो जवाब दिया कि अनधिकृत रूप से कई व्यक्तियों ने काश्त करली थी, उनका प्रोसीक्यूशन किया गया और इसमें, जब कि एक ही व्यक्ति था तो उसका प्रोसीक्यूशन नहीं किया गया। एक ही कानून में यह दो प्रकार की व्यवस्था कैसे है ?

श्री नारायणसिंह : यहां फसल खड़ी थी, विशेष कारण था....

श्री भैरोंसिंह : यही विशेष कारण था क्योंकि यह कांग्रेस का नेता था ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री शिवनाथसिंह :

स्थगित प्रश्न

(25-3-68)

झुंझुनूं–उदयपुरवाटी सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

816. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं उदयपुरवाटी को जाने वाली पक्की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है और उसमें जिन जिन काश्तकारों की काश्त की जमीन सड़क में ली गई हैं, उसका लगान अभी तक नहीं काटा गया है ? तथा काश्तकारों से सड़क में आने वाली जमीन का लगान वसूल किया जा रहा है ?

(2) इस सड़क में यह जमीन कितने अर्से से ली गई हैं ? और अभी तक इस सम्बन्ध में लगान कम करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां।

(2) सन् 1958 सड़क में आई हुई भूमि का लगान माफ किये जाने की कार्यवाही जारी है अभी तक निर्माण विभाग से नक्शे प्राप्त होने शेष हैं।

श्री शिवनाथसिंह : अब तक यह कार्यवाही किस स्टेज तक पर पहुंच गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक दो गांवों का ताल्लुक है, हमारे पास सूचना आ चुकी है। जो बड़ा गांव और हासलसर में भूमि सड़क के काम में ली गई थी, उसके लिए

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
विलीनीकरण हेतु लिखा जा चुका है। शेष भूमि के बारे में निर्माण विभाग से किसी प्रकार के नक्शे नहीं प्राप्त हुए हैं, नक्शे नहीं देंगे तो कैसे यह कार्यवाही की जा सकती है।

श्री शिवनाथ सिंह : जिम्मेवारी किस अधिकारी की थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भूमि अवाप्ति अधिकारी है, वह जिस प्रकार जो जो मुआवजा चुकाता जाता है, उसकी लिस्ट, नक्शे भेजता जाता है कि कौन से खसरा नं. को कितनी जमीन काटी है, किसको कितना मुआवजा दिया गया है, वह तहसील में आती है तो तहसीलदार वेरिफाई कर के लगान काटता है।

श्री शिवनाथ सिंह : जिसको जमीन 10 साल पहले ले ली गई थी और उससे लगान अभी तक वसूल किया जा रहा है, उसके काटने की कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पी. डब्लू. डी. वाले नक्शे भेजेंगे कि इतनी जमीन ली है और हमारे कब्जे में आ चुकी है, उसी का लगान काटेंगे, वह नहीं आवे तब तक कैसे काटेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह : 10 साल पहले उसकी भूमि ले ली गई और उससे बराबर उस काटी गई भूमि का लगान ले रहे हैं तो किस तारीख से लगान काटने की कार्यवाही करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस तारीख से कब्जा लिया गया तभी से उस जमीन का लगान माफ कर दिया जायगा।

श्री शिवनाथ सिंह : यह कार्यवाही कब तक हो जायगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब से बात कर लूंगा और नक्शे आ जायेंगे तो जल्दी ही कार्यवाही कर ली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

स्थगित प्रस्ताव

2[illegible]–3–68

पाठशाला भवन रटलाई के लिए एकत्रित धनराशि

833. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रिटलाई ग्राम (जिला झालावाड़) से पाठशाला भवन के लिये दस हजार रुपया का जन सहयोग सन् 67 में प्राप्त हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि यह रकम रटलाई ग्राम से एकत्रित की जाकर पंचायत समिति को स्कूल भवन निर्माण के लिए दी गई है ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं (2) जी नहीं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत एवं विकास के द्वारा विकास विभाग में 10 हजार रुपया ग्राम रटलाई की ओर से देना निकाला है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : राजस्थान विकास रन पत्र ने क्या निकाला है क्या नहीं निकाला है, इसकी मुझे जानकारी नहीं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह सही है कि रटलाई ग्राम से पाठशाला भवन के लिए दस हजार रुपये का जन सहयोग सन 67 में प्राप्त हुआ है ? मैंने कहा कि इस प्रकार की कोई रकम जमा नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : यह मेरे पास लिखा हुआ है कि 10 हजार रुपया स्कूल भवन बनाने के लिए दिया गया, यह सही है या झूठ है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मेरी जानकारी में नहीं है, संपादक के पास यह सूचना कहां से आयी है, कैसे निकली है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कालीसिंध पिक-अप वेयर पर व्यय

1004. श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कालीसिंध पिक-अप वेयर कब बन कर तैयार हुआ ? इसमें कुल कितना रुपया, कितना रकबा सिंचित किये जाने की संभावना से व्यय किया गया था ? अभी इस बांध से कितना रकबा वास्तव में सिंचित किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सिल्ट डिपोजिट हो जाने के कारण बांध का पानी इकट्ठा रख सकने की कैपेसिटी कम हो गई है ? यदि हां, तो कितनी ? और इस कैपेसिटी को बढ़ाने के व भविष्य में कायम रखने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं व आगे क्या किये जाने वाले हैं ?

(3) बांध की नहरों में पानी का बिगाड़ बचाने हेतु पिछले पांच सालों में क्या प्रयास किया गया है ? उस पर कितना खर्चा हुआ है व क्या परिणाम निकले हैं ?

उत्तर

(1) कालीसिंध पिकअपवेयर सन् 1956 में बनकर तैयार हुआ, इस पर 8,30,889) रु. खर्च आया था। पूरी नहरें व उप नहरें बनने पर इससे 20,000 एकड़ भूमि सिंचित होने की सम्भावना थी। अभी इससे लगभग 100 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

(2) जी नहीं।

(3) सिपेज से बचाव के वास्ते नहरों को पक्का बनाया जा रहा है, इस काम में अब तक 6555 रु. का खर्च हो चुका है।

ग्राम रेवासा में चरागाह की भूमि

1006. श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ के ग्राम रेवासा में जंगलात विभाग द्वारा चरागाह के लिये जमीन छोड़ी गई है जिसके लिये ग्रामवासियों ने मांग की थी ?

(2) क्या यह सही है कि जंगलात विभाग ने यह शर्त भी रखी थी कि यदि

(श्री मदनसिंह दांता)
ग्रामवासी वन विभाग की पत्थर गड्डी में पूरी मदद करेंगे तो जमीन छोड़ी जावेगी ? यदि हां, तो यह किस प्रकार की शर्त की, और शर्त पूरी होने पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, वन विभाग ने 1963-64 में क्लोजर का कार्य प्रारम्भ करते समय करीब 100 एकड़ भूमि गांव के मवेशियों की चराई हेतु उनकी मांग पर गांव के निकट छोड़ी थी।

(2) जी हां, पंचायत के सुझाव पर 1966-67 में यह निर्णय लिया गया कि यदि गांव वाले श्रमदान द्वारा पत्थर की दीवार अतिरिक्त रकबे पर बना देंगे तो उतना क्षेत्र उनके मवेशियों की चराई हेतु मौजूदा रकबे में से खोल दिया जावेगा। गांव वालों ने कुछ कार्य प्रारम्भ किया है। आयन्दा वर्षा से पूर्व उनके मवेशियों के लिये उतने रकबे में चराई की सहूलियत दे दी जायगी।

केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार की भाषा

1008. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के संस्थानों को पत्र किस भाषा में लिखती है ? क्या उन मूल पत्रों के साथ किसी प्रकार के अनुवाद भी भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो किस भाषा में ?

(2) केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के संस्थान राज्य सरकार को पत्र किस भाषा में लिखते हैं ? क्या इन पत्रों के साथ कोई अनुवाद भी साथ भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो अनुवाद किस भाषा में होते हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार को संस्थानों को अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में पत्र लिखती है। मूल पत्रों के साथ अनुवाद नहीं भेजे जाते हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के संस्थान राज्य सरकार को बहुधा अंग्रेजी में और कभी कभी हिन्दी में पत्र लिखते हैं। राज्य सरकार के हिन्दी पत्रों के उत्तर अक्सर हिन्दी में होते हैं। केन्द्रीय सरकार से भी मूल पत्रों के साथ अनुवाद नहीं आते हैं।

राजस्थान नहर परियोजना पर व्यय

1016. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या राजस्थान कैनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कैनाल परियोजना पर अभी तक कितना कितना व्यय—(1) वर्क्स (2) प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट व (3) बोर्ड एस्टेब्लिशमेन्ट पर हुआ है ? प्रत्येक वर्ष का व्यय अलग अलग बताने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त वर्षों में बजट प्रोवीजन प्रत्येक वर्ष कितना कितना था ?

(3) डिपार्टमेंट्स नोर्म के अनुसार एस्टेब्लिशमेंट पर वर्क्स का कितना प्रतिशत व्यय होना चाहिए ? वह उसके विरुद्ध राज-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
स्थान केनाल परियोजना पर कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है ? प्रत्येक वर्ष का अलग अलग बतावें।

(4) वर्ष 67-68 में इस प्रोजेक्ट पर कितना बजट प्रोवीजन है ?

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 1967-68 के बजट प्रोवीजन को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट पर व्यय बहुत अधिक है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कमी के लिए क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1, 2 व 3) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) तीन करोड़ रुपये।

(5) इस वर्ष में एस्टेब्लिशमेंट पर होने वाले व्यय में संशोधित कमी कर दी गई।

(कृपया परिशिष्ट . देखें)

वृद्धावस्था पेन्शन के लिए आवेदन

1018. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्पालाल नाम के एक व्यक्ति ने बीकानेर के जिलाधीश महोदय को वृद्धावस्था पेन्शन अथवा राजकीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि सहायता मिलने में विलम्ब से परेशान होकर इस व्यक्ति की मृत्यु जिलाधीश कार्यालय के सामने हो गई ? यदि हां, तो इसके विषय में विलम्ब का क्या कारण था और उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पटवार मण्डल खामीयाद के पटवारी के विरुद्ध गबन का मामला

544. श्री हरजीराम बुरड़क—(लाडनू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गौरीशंकर पटवारी, पटवार मण्डल खामीयाद, तहसील लाडनूं, जि. नागौर को गबन के मामले में विभाग से सेवामुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ केस कब पुलिस में दायर हुआ, न्यायालय में मामला कब गया, फैसला न्यायालय से कब हुआ और न्यायालय में क्या फैसला हुआ तथा उसे विभाग से कब हटाया गया ?

(2) उक्त पटवारी के खिलाफ गबन का केस एक ही था या अधिक थे ? यदि अधिक थे तो किस किस प्रकार के केस थे ? और फैसला न्यायालय में सभी का हुआ या नहीं ?

(3) उक्त पटवारी से वसूल होने वाली रकम किससे वसूल की गई और कब वसूल की गई ?

Page No.37

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। श्री गौरीशंकर के विरुद्ध पुलिस में केस दिनांक 23-6-61 को दिया, न्यायालय में मामले दिनांक 1-.1-61 को दायर हुए तथा उसे निम्न सजाएं न्यायालय द्वारा दिनांक 4-7-66 को दी गई :—

(1) अण्डर सैक्शन 409 आर. पी. सी. में 12 माह की कैद, 1500)रु. जुर्माना एवं जुर्माना न देने की सूरत में 4 माह की और कैद।

(2) अण्डर सैक्शन 409, 406 आर. पी. सी. में 6 माह की कैद, 240)रु. जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 माह की कैद।

उन्हें दिनांक 11-7-61 से ही डिसमिस कर दिया गया था।

(2) उक्त पटवारी के विरुद्ध तीन मामले थे जिनमें से दो मामलों का उल्लेख ऊपर आ चुका है। इसके अतिरिक्त एक मामला सेशन जज मेड़ता के यहां भी आर. पी. सी. की धारा 409 के अन्तर्गत चला था, जिसमें वह सन्देह के आधार पर बरी कर दिया गया था। प्रश्न भाग 1 के उत्तर में संख्या 1 पर जिस मामले का उल्लेख है, उसके सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर ने सेशन कोर्ट में अपील कर रखी है, जिसका निर्णय होना अभी शेष है।

(3) श्री गौरीशंकर एवं मियालाराम नम्बरदार दोनों के विरुद्ध शामिल गबन के मामले हैं। अभी रकम की वसूली की कार्यवाही श्री मियालाराम नम्बरदार के विरुद्ध की जा रही है।

नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

545. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मौजूदा नायब तहसीलदार लाडनूं के खिलाफ काफी शिकायतें हैं? यदि हां, तो कौन कौनसी शिकायतें राज्य सरकार को और जिलाधीश को कब कब प्राप्त हुईं और उनमें क्या क्या कार्यवाही कब कब की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि समाचार पत्रों में भी उक्त अधिकारी के खिलाफ कई प्रकार की शिकायतें प्रकाशित हुई हैं? यदि हां, तो कब कब कौन कौन से समाचार पत्र में और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ किन्हीं शिकायतों में जांच की कार्यवाही चालू है? यदि हां तो किन किन के पास कौन कौन सी जांच की कार्यवाही चालू है और उक्त अधिकारी पर क्या क्या आरोप हैं तथा जांच की कार्यवाही किस स्टेज तक हो चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जो इस प्रकार हैं:—

(1) शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-1.-67 द्वारा श्री बुद्धाराम मार्फत

(राजस्व मंत्री)
सरपंच ग्राम पंचायत बाबत रसद की चीजों में गड़बड़ करने।

(2) शिकायती पत्र श्री हरजीराम सदस्य विधान सभा दिनांक 31–8–67 बाबत मनमानी करने व लोगों को परेशान करने।

(2) दोनों शिकायतें जांच हेतु जिलाधीश नागौर को 31–11–67 को भिजवा दी गई जो इनके बारे में आवश्यक जांच कर रहे है। सरकार के ध्यान में नहीं आई है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) उत्तर प्रश्न के भाग 1 में दिया जा चुका है। अभी प्रारम्भिक जांच चल रही है।

लेवी में इकट्ठा किया गया अनाज

श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) लेवी से इकट्ठा किया हुआ अन्न सरकार किस दर से जनता को उपलब्ध करेगी ?

(2) सरकार क्या हर पंचायत के मुकाम पर सस्ते अनाज की दुकानें खोलेगी ?

उत्तर

(1) लेवी में इकट्ठा किया हुआ अनाज आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों में वितरित किया गया जिसकी कि प्रत्येक मास में क्रय दर खर्चे के अनुसार निर्धारित की गई है। खरीफ फसल अच्छी हो जाने तथा रबी फसल के अच्छे आसार नजर हो जाने के कारण निर्धारित भाव पर लेवी में इकट्ठा किया हुआ गेहूं बिकना सम्भव न होने की स्थिति में भावों में कमी करने गेहूं की बिक्री हेतु राज्य सरकार की ओर से दिनांक 11– –68 को यह आदेश जारी किये गये हैं कि जिलाधीश प्रचलित बाजार भावों से 51– रुपये तक कम भाव पर उपलब्ध माल की बिकोती समिति राय से जो कि निम्न अधिकारियों की होगी कर सकेंगे।

1. जिलाधीश।

2. जिला ट्रेजरी ऑफीसर।

3. जिला रसद अधिकारी।

(2) राज्य सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक पंचायत के मुकाम पर सस्ते अनाज की दुकानें खुलवाये। खरीफ फसल के अच्छे उत्पादन एवं रबी फसल के अच्छे आसार होने के कारण प्रभावग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्यत्र ऐसी दुकानों की आवश्यकता भी नहीं रही है। खाद्यान्न खुला पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

पचायत समितियों के अध्यापकों की बकाया का भुगतान

547. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों के अधीन कार्य कर रहे अध्यापकों में से किस किस जिले के कितने कितने अध्यापकों के वेतन व वेतन वृद्धि की कितनी कितनी बकाया रकम का भुगतान किया जाना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री श्रवणलाल)

(2) भुगतान बकाया रहने के मुख्य मुख्य कारण क्या हैं? और भुगतान करने के सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सदन की मेज पर रखे गये विवरण में भुगतान बकाया रहने के मुख्य मुख्य कारणों का उल्लेख कर दिया गया है। भुगतान करने की आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित पंचायत समितियों द्वारा की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ग्राम पंचायत किशनगढ़ रेनवाल की जमीन का किराया

548. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत किशनगढ़ रेनवाल की जमीन का किराया किस किस व्यक्ति में कितना कितना बकाया चला आ रहा है और कब कब से?

(2) अब तक वसूली नहीं किये जाने के कारण क्या हैं?

(3) वसूली के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और वसूली कब तक हो जायेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन को मेज पर रखी गई है।

(2) वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) यथासंभव शीघ्र।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

तहसीलदार व नायब तहसीलदार लाडनूं के विरुद्ध शिकायतें

549. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि श्री जेठमल नाहटा, लाडनूं, जिला नागौर ने दिनांक 6-1-67 को जिलाधीश महोदय नागौर को यह शिकायत की कि तहसीलदार व नायब तहसीलदार लाडनूं चीनी के स्पेशल परमिट फर्जी काट कर चीनी काले बाजार में बिकवा रहे हैं इसलिये जिलाधीश महोदय नागौर ने एस.-डी. श्रो. डीडवाना को इस की जांच सौंपी? यदि हां, तो इस जांच में क्या नतीजा निकला और उक्त जांच में कौन कौन दोषी पाये गये? और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां। जिलाधीश, नागौर ने एस.-डी.-श्रो., डीडवाना को इस शिकायत के बारे में जांच के आदेश दिये थे। प्रारम्भिक जांच से परमिटों के सही होने की शंका है। अभी तक जांच चल रही है। एस. डी. श्रो. डीडवाना को जांच शीघ्र पूर्ण करने हेतु ताकीद करदी गई है।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में खर्च की गई धनराशि

550. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)-क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(1) गत तीन सालों में राजस्थान में कौन कौन से जिलों के कितने कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये और हर जिले में हर साल सहायता बीज, घास, पानी व राहत कार्यों में कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन सालों में टौंक जिले की हर तहसील में कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये और उनमें उपरोक्त प्रकार का कितना खर्चा किया गया?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति लाडनूं द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय

551. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)– क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर ने दिनांक 1-1-65 से लेकर अब तक किन किन निर्माण कार्यों के लिए कितने कितने रुपये किन किन को कब कब दिये और उनमें जन सहयोग कितना कितना होना चाहिये था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या कुछ निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है? यदि हां, तो क्या उनके बाबत समिति के ओवरसियर द्वारा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है? यदि हां, तो किन किन निर्माण कार्यों का कब कब दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्य जो पूर्ण नहीं हुए है उनकी रकम मय दण्डनीय ब्याज के बसूल की जानी है? यदि हां तो किस किस निर्माण कार्य की किन किन से कितनी कितनी रकम असल व ब्याज की वसूल करनी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख किया हुआ है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका भी उल्लेख किया हुआ है। (सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

ग्राम पंचायत चौहटन की गोचर भूमि

552. श्री अब्दुलहादी (चौहटन) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम पंचायत चौहटन में कुल कितनी गोचर भूमि है?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं. 323 को ग्राम पंचायत चौहटन ने गोचर होने

(श्री अब्दुलहादी)
के लिये प्रस्ताव पास किया था जिसकी तहसीलदार चौहटन ने भी सिफारिश की थी मगर अभी तक इसका कोई फैसला नहीं किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि 3 साल का अर्सा होने के बावजूद भी मामले को लम्बा किया जा रहा है?

उत्तर

(1) वर्तमान में भांजा चौहटन में 5771) 3 बीघा गोचर भूमि है।

(2) जी हां।

(3) मामला अभी विचाराधीन है।

लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों के एक्सीडेन्ट और मुआवजा

553. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री में ठेके पर काम करवाये जाते हैं?

(2) यदि हां, तो कितने मजदूर कारखाने के अन्दर ठेकेदार के पास काम करते हैं और किस किस ठेकेदार के पास कितने कितने मजदूर कार्य करते हैं?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों के पास जो मजदूर काम करते हैं उन पर बीमा योजना लागू है अथवा नहीं?

(4) यदि वे इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं तो उनको एक्सीडेन्ट होने पर मुआवजा दिया जाता है या नहीं? अब तक इन ठेकेदारों का काम करते हुए कितने मजदूरों के एक्सीडेन्ट हुए हैं और किन किन को मुआवजा दिया गया है?

उत्तर

(1) हां, कोयले और जिप्सम की लदाई उतराई, तथा विस्तार एवं निर्माण के कार्य कम्पनी द्वारा ठेके पर कराये जा रहे हैं।

(2)

नाम ठेकेदार	कार्य	मजदूरों की संख्या
(1) श्री गुरदीप सिंह भास	कोयले व जिप्सम की लदाई उतराई।	स्थाई 12 आकस्मिक (वेगनों के आने पर निर्भर) 60 से 190
(2) श्री सरदारी लाल भारद्वाज	नये बोयलर व टरबाइन हाउस का निर्माण कार्य	48
(3) श्री जुम्मा सईदों	नईरा मिल का निर्माण	20
(4) श्री हरगोविन्द	बिजली की लाइन के विस्तार और क्वेरी में रेल्वे ट्रक की मजबूती के लिये खम्भों की स्थापना	25

(3) बीमा योजना (ई. एस. आई.) कोल व जिप्सम कोन्ट्रेक्टर के मजदूरों पर

(श्री श्रम मंत्री)
लागू है शेष ठेकेदारों के मजदूरों पर लागू नहीं है।

(4) जिन मजदूरों पर ई. एस. आई. योजना लागू नहीं है उन्हें भी कर्मकार क्षति पूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति मिल सकती है इस तरह के ठेकेदारों के मजदूरों के किसी एक्सीडेन्ट की सूचना कारखाना निरीक्षक कोटा के रिकार्ड के अनुसार प्राप्त नहीं हुई है।

तहसील चोहटन में भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन

554. श्री अब्दुलहादी (चोहटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील चोहटन में पिछले साल कितने भूमिहीन किसानों को कितनी कितनी भूमि आवंटन की गई? तथा यह भूमि कितने समय के लिए उन्हें दी गई?

उत्तर

तहसील चोहटन में वर्ष 1967 में कुल 3103 व्यक्तियों को 68092 एकड़ भूमि आवंटन की गई है। यह भूमि 3 साल के लिए आवंटन की गई।

झालरापाटन तहसील में वन विभाग की भूमि का रेवेन्यू विभाग में परिवर्तन

555. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालरापाटन तहसील, जिला झालावाड़ में कौन कौन सी फोरेस्ट की भूमि रेवेन्यू विभाग में दिये जाने की कार्यवाही संबंधित कमेटी के पास है और वह कहां कहां की कितनी कितनी जमीन है जो काबिल काश्त है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस कमेटी की मिटिंग इस कार्य के लिये कब कब हुई? अगर नहीं, तो किस कारण से?

(3) क्या यह सही है कि डिवीजनल फोरेस्ट अधिकारी मीटिंग नहीं बुला रहे हैं?

(4) इन जमीनों को रेवेन्यू में कब तक परिवर्तित किया जावेगा?

उत्तर

(1) तहसील स्तर समिति के संयोजक विकास अधिकारी तथा जिला स्तर समिति के संयोजक जिलाधीश है। अतः कहां कहां किसकी कितनी भूमि की मांग के सम्बन्ध में कार्यवाही किस किस समिति में चल रही है इसकी जानकारी जिलाधीश अथवा विकास अधिकारी ही दे सकते हैं। कहां कहां कितनी कितनी भूमि काबिल काश्त है इसका पता तहसील स्तर समिति द्वारा वन जांच समिति की शिफारिश के अनुच्छेद 23 पर लिए गए निर्णय के अनुसार वृहत भू-क्षमता सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही मालूम हो सकती है।

(2) तहसील स्तर समिति की बैठकें 2-6-65, 23-3-66, 17-6-66, 9-8-66, 9-5-67 एवं 26-8-67 को हुई। 17-6-67 को बैठक बुलाई गई थी किन्तु तहसीलदार पाटन तथा प्रधान पंचायत समिति झालरापाटन के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने से बैठक नहीं हो सकी।

Page No.43

(श्री राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। तहसील स्तर समिति के संयोजक विकास अधिकारी हैं अतः मण्डल वन अधिकारी द्वारा बैठक बुलाने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) तहसील स्तर तथा जिला स्तर समितियों में निर्णय लिए जाने पर ही वन भूमि को राजस्व विभाग में परिवर्तित किया जा सकता है।

सीकर जिले में अपाहिज एवं वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन

556. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले से अपाहिजों एवं बूढ़ों को पेन्शन दिये जाने की योजना के अन्तर्गत पेन्शन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं?

(2) गत दो वर्षों में कितने प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय किया गया है?

(3) सीकर जिले में इस योजना के अधीन कितने लोगों को पेन्शन दी जाती है? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में अपाहिजों व बूढ़ों की पेन्शन के लिये प्रस्तुत कोई प्रार्थना-पत्र समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(2) सन् 1966-67 में 97 वृद्ध एवं 3 अपाहिज व्यक्तियों को सहायता दी गई है।

(3) सन् 1967-68 में सीकर जिले में पेन्शन के लिये 50,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष कितने लोगों को पेन्शन दी जा सकेगी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध हो सकेगी।

डिप्टी कमिश्नरों के पास विचाराधीन अपीलें

557. श्री बनवारीलाल (धौलपुर): क्या वित्त एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कर विभाग के डिप्टी कमिश्नरों (अपील्स) के पास कुल कितनी अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) इनमें से कितनी ऐसी अपीलें हैं जो कि 2 वर्ष या उससे पहले की हैं?

(3) दो वर्ष या उससे ज्यादा समय की अपीलों पर अब तक फैसले क्यों नहीं हो पाए हैं?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

दबलाना माईनर से पानी नहीं पहुंचने के कारण

558. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बूंदी के गुडा बांध की दबलाना माईनर पर इस वर्ष

Page No.44

(श्री केशरीसिंह हाडा)
करीब 50–60 बीघा जमीन बिना पानी के रह गई ?

(2) यदि हां, तो इस नहर पर कितने काश्तकारों को विभाग पानी समय पर नहीं दे सका ?

(3) काश्तकारों को समय पर पानी नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि विभाग समय पर नहरों की पूर्ण मरम्मत नहीं करा सका ?

उत्तर

1–ऐसी कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई ।

2–काश्तकारों को समय पर पानी दिया गया है ।

3–प्रश्न ही नहीं उठता ।

4–जी नहीं ।

बांध वाणियावास के टूट जाने से क्षति

559. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस बार सन् 1967 में बाढ़ आने से पाली तहसील का बांध वाणियावास टूट गया ? यदि हां, तो कब और उससे कितनी धनराशि का नुकसान हुआ ?

(2) क्या सरकार इस बांध का निर्माण करने जा रही है ? यदि हां तो कब तक इस कार्य को समाप्त कर देगी ?

उत्तर

1–जी हां, 7 सितम्बर, 1967 को । 22120) रु० का नुकसान हुआ ।

1–जी हां, कार्य शीघ्र पूरा करवा दिया जायेगा ।

स्थगित प्रश्न

(25-3-68)

श्री माधोपुर तहसील में आबादी भूमि की मांग

431. **श्री हरलालसिंह खर्रा** : (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) श्री माधोपुर तहसील में किन किन पंचायतों द्वारा बढ़ती हुई आबादी के लिये कितनी कितनी भूमि की कब कब मांग की गई है ?

(2) उपरोक्त मांगों के अनुसार किन किन पंचायतों में कितनी कितनी भूमि आबादी में परिवर्तित की गई व किन किन की मांग पेन्डिग पड़ी है ? व इतनी देरी क्यों हो रही है ?

उत्तर

1–श्री माधोपुर तहसील की निम्नलिखित 6 पंचायतों द्वारा बढ़ती हुई आबादी के लिये उनके नाम के आगे अंकित

Page No.45

(श्री राजस्व मंत्री)

भूमि की मांग की गई है:—

क्र. सं.	नाम पंचायत	किस तारीख को मांग की गई	रकबा जिसकी मांग की गई	
1	झाडली	22-1-66	134 बी.	4 बि.
2	कोटड़ी शिमारला	29-3-66	4	7
3	कांवट	9-10-67	2	17
4	मलिकपुर	6-10-67	41	9
5	गढ़ टकनेश		39	4
6	रींगस		7	6

2-उपरोक्त पंचायतों में से निम्नलिखित 2 पंचायतों को उनके नाम के आगे अंकित करने को आबादी में अंकित रकबे को आबादी में परिवर्तित करने की स्वीकृति हो चुकी।

क्र. सं.	नाम पंचायत	रकबा जिसका आबादी में परिवर्तन करने की स्वीकृति हुई।	
1	गढ़ टकनेत	20 बीघा, 0 बिस्वा,	दिनांक 12-2-67 को स्वीकृति हुई अभी तक कब्जा नहीं दिया गया।
2	रींगस	3 ,, 1 ,,	पंचायत द्वारा रकम जमा न करने की वजह से कब्जा नहीं दिया गया।

निम्नलिखित 4 पंचायतों की मांग कागजात मुकम्मिल न होने के कारण पेन्डिंग है।

क्र. संख्या	नाम पंचायत
1.	झाडली
2.	कोटड़ी शिमारला
3.	कांवट
4.	मलिकपुर

(12.27 म. प)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था 4 बजे के बाद दी जायगी।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ! महारावल श्री लक्ष्मणसिंह जी !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम, राजस्थान स्टेट रोड़वेज कारपोरेशन की स्थापना हुई उसके पश्चात् राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण मार्ग इस निगम के द्वारा राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत ले लिये गये। इस निगम पर 12 करोड़ रुपया इन्वेस्ट यानि कुल पूँजी लगाई गई। इतनी बड़ी पूँजी लगाने के पश्चात् भी यह निगम सफलता प्राप्त कर सका हो यह मेरी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मान्यता नहीं है यह एक व्यवसायी विभाग है, इसका संचालन व्यवसायिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। लेकिन उसके अन्दर दुर्व्यवस्था है और बड़े मैनेजमेंट के द्वारा इस विभाग के अन्दर...

(12.28 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभा-नेत्री पदासीन)

33,69,000) रु० का घाटा है सभापति महोदया, दुर्व्यवस्था का एक प्रमाण मैं निवेदन करूं। इस निगम के अन्तर्गत कुल वाहन 547 हैं, उनमें से केवल 250 ही वाहन चालू हैं और 297 वाहन ठप्प हैं। 15 बसें भी सरकार के द्वारा रिपेअर कराने की व्यवस्था वहां हो, ऐसा मैं नहीं अनुभव करता। इन 250 चालू बसों में से बहुत सी ऐसी बसें हैं कि जिनकी हालत बहुत खराब है और जो कि फेयर कन्डिशन में हैं, उनमें सफर सुरक्षित नहीं है। अब तक गत दस माह में 97 दुर्घटनाएं, एक्सीडेन्ट्स हो चुके हैं इन एक्सिडेन्ट्स के अन्दर 21 मनुष्य मारे गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनता की जान और माल इसमें अरक्षित है। इस निगम की औसत आय, एवरेज इन्कम पर किलोमिटर यदि 100) रुपये है तो औसत खर्चा पर किलोमिटर 105) रुपये हैं। यानि निगम लाभकारी संस्था सिद्ध नहीं हुई हैं।

जैसा कि मैंने सभापति महोदया, अभी निवेदन किया कि इसमें घाटा 10 माह के अन्दर 3369 हजार है, मैं अब तक अनुभव करता हूं कि यह घाटा 3369 हजार से बढ़ कर अब 35।।–36 लाख तक पहुँच जाना चाहिए। गत 10 माह में 1,15,40,000 यात्रियों ने इस निगम के वाहनों के द्वारा यात्रा यानि सफर की। इनमें से 90 प्रतिशत यात्रियों का यह अभिमत है कि प्राइवेट बसेज से निगम बसेज खराब हालत में हैं, पिछड़ी दशा में हैं, इनकी सीटें इतनी अच्छी नहीं हैं, मशीनरी ठीक नहीं है, और वह संस्था यदि सब दृष्टि से निकम्मी है, यह मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सरकार अगर समाजवादी सिद्धांत को लेकर और राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को लेकर राष्ट्रीयकरण की योजना को क्रियान्वित करती है तो मेरा दल इस सिद्धांत का समर्थन नहीं कर सकता लेकिन एक हद तक अगर इस योजना को क्रियान्वित सरकार करना भी चाहे और जिद्द पर तुली हुई हो तब भी मैं निवेदन करूंगा कि 500 बसों में से आधी से ऊपर अगर आपकी बसें ठप्प हैं तो कम से कम 200 बसें और, इस योजना को इस रूप में कार्यान्वित करें कि, प्राइवेट बसें इसके साथ स्वस्थ प्रतियोगिता के तौर पर लगायें और सिद्ध करें कि राष्ट्रीयकरण की योजना जो सरकार की है, वह सफल योजना है। वह जनता की हितकर योजना है, तब तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण का कोई अर्थ है, वरना राष्ट्रीयकरण केवल कागज के अन्दर रखकर आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, यह दुर्व्यवस्था है, इसके अन्दर जनता के धन का अपव्यय है, जनता का शोषण है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि यदि राष्ट्रीयकरण की योजना को सफल रूप से कार्यान्वित करना है तो आप कन्सोलीडेशन की ओर विशेष ध्यान दें, एक्सपैन्शन की तरफ विशेष ध्यान मत दें।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इस निगम के कर्मचारी हैं, उनकी भी सेवा अनिश्चित है, सर्विस का टेन्यूअर इन्सक्यूअर है। वह नहीं जानते कि उनका भविष्य क्या है, डांवाडोल है, वे सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। या किस श्रेणी में आते हैं ऐसी स्थिति में उनमें भी असंतोष व अशांति है।

मैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करूं कि 22-2-68 को शीतला अष्टमी का मेला था, यह मेला चाकसू के पास एकत्रित होता है और वहां पर हजारों यात्री जाते हैं। आपने वहां प्राइवेट बसें भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की। आपकी स्वयं की व्यवस्था भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक एक बस के अन्दर बकरों की तरह 75-75, 80-80, 90-90 से भरकर नियमों की अवहेलना की मानों आपके ही बनाए हुए नियम आपकी बसों पर लागू नहीं होते हैं। अगर प्राइवेट बसेज ऐसी होतीं तो पता नहीं क्या क्या मुकदमें करते। मेरे पास एक फोटो है, वह फोटो भी सदन की मेज पर रखूंगा। यात्री छत पर बैठे हैं। और खचाखच ठसा-ठस बस में बैठे हैं, चारों तरफ दो तीन पुलिस के सिपाही नीचे निगाह कर घूम रहे हैं, मानो कोई दुर्व्यवस्था ही नहीं हो। यह फोटो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चाकसू जयपुर से 40 किलोमीटर है और किराया 1.40) रु. है लेकिन आपने 1.80) रु. वसूल किया है। इसका परिणाम है जो मेरे पास टिकट नं. 027421 है वह भी सदन की मेज पर रखता हूं। टिकट पर लिखा है शीतलामाता से जयपुर 1.40 पैसे प्रति यात्री, आपने अधिक लेकर जनता को लूटा है और अपने बनाए हुए नियमों की अवहेलना की है। प्राइवेट बस ओनर अगर इस तरह की दुर्व्यवस्था करके और ज्यादा किराया वसूल करता तो उसका चालान होता, मुकदमे चलते। परमिट कैंसिल होता। मंत्री महोदय का पुनीत कर्तव्य है कि आप इस बारे में जांच करें और आप वे बिल्स की जांच करें, वे बिल्स के अन्दर आपको पता चलेगा कि हर यात्रा के समय कितने कितने यात्री उसके अन्दर बैठे।

एक दूसरी बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण है। डूंगरपुर से साबला बस चलती है। दो बसों को आपने परमिट दे रखा है। एक बस डूंगरपुर से बनकोड़ा होते हुए साबला और दूसरी डूंगरपुर से बदकोड़ा होती हुई कतीसोर होते हुए साबला जाती है। यह परमिट आपने अपने कृपा पात्र किसी कांग्रेसजन को कई वर्षों से दे रखा है। यह बस जो डूंगरपुर से निकलकर बनकोड़ा और कतीसोर होकर साबला जाती है एक बार भी बनकोड़ा से कतीसोर साबला नहीं गई और न जाती है और न ही जायगी।

जो दूसरी बस है वह डूंगरपुर से बनकोड़ा होकर साबला जाती है, वह जर्जर बुरी दशा में है, समय पर नहीं चलती। दो-दो तीन-तीन दिन तक ठप्प पड़ी रहती है और उसके उपरांत कई व्यक्तियों ने, मैंने स्वयं वहां एक विधायक के नाते रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी का ध्यान आकर्षित किया, लिखित रूप से उनको दिया, डूंगरपुर के जिलाधीश से मैंने निवेदन किया लेकिन उस शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

इतना ही निवेदन करके मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल के नेता ने जिन मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उस सम्बन्ध में उनके सुझावों के लिए तो आभारी हूं और जो कुछ उन्होंने व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में बतलाया, उसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जैसे वह उत्सुक हैं, इस कार्य को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, वैसे ही सरकार भी उत्सुक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यह....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप उत्सुक नहीं हैं, आपके विभाग में बड़ी दुर्व्यवस्था है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जितनी भी दुर्व्यवस्था है, इसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। जो आपके इस सम्बन्ध में उचित, मुनासिब सुझाव मिलें, उनका बहुत स्वागत है लेकिन देखने का सवाल यह है कि एक राष्ट्रीयकरण नीति के तौर पर चाहते हैं और एक राष्ट्रीयकरण की नीति पर नहीं चाहते हैं। तो मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था कि हमारी सरकार की यह नीति है कि हम राष्ट्रीयकरण को समाजवादी दृष्टिकोण से चलाने के लिए कटिबद्ध हैं और उस दिशा में जनता को सुविधायें मिलें और राज्य सरकार उसके लिए विशेष प्रयत्न करे, यह हमारा आशय रहता है। आपने शीतलामाता के बारे में फरमाया। वह एक दिन का मेला था और एक दिन के मेले के अन्दर जो इस सदन में यह आवाज उठी थी कि आप राष्ट्रीयकरण की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो हमने इस अवसर का उपयोग किया और परीक्षण के तौर पर किया कि इससे हम देखें कि कितना लाभ निगम को होता है। हमने जरूर यह व्यवस्था की है कि निगम को सम्पूर्णतया इस काम को दें और मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि निगम में लगभग 40 हजार के तौर पर आय हुई है। यह एक विशेष प्रयत्न के आधार पर आय हुई है। यह जो आपने फोटोस्टेट कापी के बारे में कहा कि बस के ऊपर भी लोग बैठे थे। कांस्टेबिल उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत वेस्टेड इन्टरेस्ट है जो नेशनलाईजेशन को नहीं होने देता है। हो सकता है एक–आध बसों की इस प्रकार की स्थिति रही हो लेकिन उसके बाद वह व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के अनुसार यहां जयपुर के जो एस. पी., पुलिस हैं उन्होंने पूरी दक्षता के साथ इसको सफल बनाया है और उसको कामयाब करने में उनका सराहनीय योगदान रहा। प्रारम्भ में जरूर यह अव्यवस्था रही लेकिन उसको तुरन्त ठीक कर दिया गया। इस प्रकार की सुविधा की गई कि जनता अधिक से अधिक वहां पहुँचे और बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से पहुँचे, इसकी व्यवस्था की गई। बाद में जनता की शिकायत नहीं हुई। जितनी केपेसिटी के अनुसार पैसेन्जर जाने चाहिये थे, ऐसी व्यवस्था की गई। निगम में 550 के करीब बसें हैं उनमें से आधी के करीब आफ दी रोड हैं–वे नहीं चलती हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन के जवाब में यह कहा था कि जो बसेज आफ दी रोड पड़ी हुई हैं उनको ठीक करा कर लगाने

(श्री अमृतलाल यादव)
का सवाल आता है तो जिस किसी राष्ट्रीय मार्ग को नेशनेलाईज करने की कोशिश करते हैं, उसमें कानूनी बाधायें और कई अड़चने खड़ी हो जाती हैं। लोग हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पंचर रिपेयर करने की व्यवस्था नहीं। कोई स्टेपनी नहीं मिलती। यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने निवेदन किया है कि मुझे यह सूचना मिली है कि वेस्टेड इन्टरेस्ट वाले लोगों ने फोटो ली है, भीड़ को उकसाया है। वह तो किया है, वह साफ जाहिर है उसका प्रश्न नहीं है लेकिन उससे कोई नेशनेलाईजेशन रुकने वाला नहीं है। नेशनेलाईजेशन रूट्स पर जो बसें कार्पोरेशन की चलें, उसमें जनता को प्राथमिकता देनी चाहिये। राजस्थान सरकार का ध्यान निश्चित तौर से है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी तरफ सुधार हो और इसमें हम लोग लगे हुये हैं। जो बसें आफ दी रोड्स हैं, वह राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलें इसके अलावा जो बसेज रहती हैं उनका उपयोग इन्टर स्टेट रूट में हो सकता है, उनके लिये प्रयत्न करें। फिलहाल गाड़ियां पड़ी न रहें और जो गाड़ियां सुधर सकती हैं उनको सुधार करके लगाया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। असल में सैन्ट्रल वर्क शाप के न होने से और इस प्रकार की कोई व्यवस्था न होने से इस प्रकार की दिक्कत सामने आई है। इतना बड़ा निगम है और इतनी सारी बसें है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि मेकेनिकल्लो गाड़ियां ठीक रहें।। जनता को कोई दिक्कत और परेशानी न हो जो गाड़िया सुधर सकती हैं वे सुधारेंगे और जो बिलकुल सुधर नहीं सकती हैं, उसको किस प्रकार से डिसपोज आफ किया जाय यह भी हम सोचते हैं। जहां तक घाटे का प्रश्न है, यह साफ है कि निगम घाटे में चल रहा है। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि पिछले साल निगम में 21 लाख का लगभग घाटा था। वह इस साल प्रयत्न करते करते लगभग 10-12 लाख तक पहुंच गया है। कुछ इस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है कि घाटा पूरा हो सके। मैं यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जब हम अगले बजट सैशन में मिलें तब तक हमारी यह कोशिश रहेगी यह घाटा पूरा हो सके और कुछ मुनाफा भी हो सके, इस बात की कोशिश करना चाहते हैं। जहां तक यह सवाल है कि घाटा न रहे–सरकार की इस ओर पूरी तवज्जुह है। किलोमीटर का जहां तक आपने फरमाया किलोमीटर से अधिक खर्चा आता है आज ट्यूब-टायर और जो सामान मोटर वाहन का है वह आप जानते है कि काफी मंहगा है और उस सामान के मंहगे होने के साथ साथ···

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्राईवेट वाले इस तरह चलावें तो उनका दिवालिया फुक जाय।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने बहुत विस्तार से निवेदन किया कि प्राईवेट बसों वालों के कोई नियम और कानून नहीं हैं—

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : निगम बहुत हैं। आपकी जिद् कहिये या जो कुछ कहना है। मैंने तो ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री अमृतलाल यादव : मेरा तो यह कहना है कि इसमें कोई जिद् का सवाल नहीं है। हमारे निगम में दो प्रकार के एम्पलाईज है। एक तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लेवल के हैं वे उन्हीं नियमों से गवर्न होते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार उनको वेतन दिया जाता है, सारी सुविधायें उनको उसी प्रकार की दी जाती हैं। इसके अलावा जो एम्पलाईज हैं, वे लेबर एक्ट के अनुसार गवर्न होते हैं। सभापति महोदया, माननीय अपोजीशन के नेता एप्रीशियेट करेंगे कि इस प्रकार की दिक्कतें, हमारे सामने हैं। इसलिये वे कैसे भी हो अपने ढंग से करते हैं। उनके वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं जो नेशनेलाईज को नहीं होने देते हैं। हमारे निगम की गाड़ी है, हम किसी रूट पर चलाना चाहते हैं तो प्राईवेट वाले हाई कोर्ट में चले जाते हैं और वहां से स्टे ले आते हैं। अब जो कानूनी अड़चनें हमारे सामने आती हैं तो उनको कानूनी तरीके से ठीक करनी पड़ती है। जहां तक गाड़ियों को ठीक कराने का सवाल है, गवर्नमेंट उसको पूरी सजगता के साथ देख रही है और जो निगम को घाटा है वह पूरा हो, यात्रियों की सुविधायें बढ़ें, यात्रियों के लिये बस स्टेन्ड हो, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो कुछ व्यवस्था हो सकती है, इस निगम के सीमित क्षेत्र में, जितनी आर्थिक स्थिति है, उससे अधिक से अधिक अर्थ लाभ होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अपनी सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुये बसों के लिये सेन्ट्रल वर्क शाप का जो अधिक से अधिक अमाऊन्ट चाहिये, उस स्थिति में नहीं है-- इसमें से ही निकालने की है। दूसरा आपने फरमाया कि डूंगरपुर में जो प्राईवेट लोगों को बस के परमिट मिले हुये हैं, उनमें से एक चला रहा है और दूसरे नहीं चला रहे हैं। मैं इसके बारे में आश्वासन देना चाहता हूं कि आपने जो आर. टी. ओ. को लिखा है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया है तो मैं आश्वासन देता हूं कि निश्चित तौर से इसको देखूंगा। जिनको परमिट मिले हुये हैं और अगर वे नहीं चलाते हैं तो चाहे जो भी हो, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। यह आप निश्चित मानकर चलें।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा इसका राजस्थान में बहुत स्कोप है। हम निगम में धीरे धीरे सन्तुलन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि निगम में जो भी खामियां हैं वह जल्दी से जल्दी पूरी हों ताकि इसका काम सेटिसफेक्टरी ढंग से चल सके।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि गाड़ियों में डाइनुमा नहीं होता है ब्रेक ठीक नहीं होता है फिर भी ड्राइवरों को कम्पेल किया जाता है गाड़ियां चलाने को मैंने इस बारे में आपको डी. ओ. लेटर द्वारा सूचना दी थी। आपने उस पर कोई एक्शन लिया है उसको दिये हुए तीन महीने हो गये।

श्री अमृतलाल यादव : आपका लेटर तो नहीं मिला।

श्री विजयसिंह रावत : आपने उसका जवाब दिया है आपके दिये हुए सुझावों को क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। अलवर के अन्दर सामान पकड़ा गया। इसके बारे में भी मैंने आपको लिखा था आपके फोरमैन विदाउट डायनुमा और विदाउट ब्रेक गाड़ी

(श्री विजयसिंह रावत)
चलाने को बाध्य करते हैं जो खतरे से खाली नहीं। मेरे सुझाव पर तीन महीने से कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अमृतलाल यादव : उस पर कार्यवाही की है, कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही की जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि अष्टमी के मेले पर जो चाकसू के लिये बस चालू की गई वह किराया 1.40 पैसे पर सवारी लिया गया जब कि बस अजमेरी गेट से चली और चाकसू के पहले तीन मील पहले वह स्थान है तो आपने 1.40 पैसे किस हिसाब से लिये, यह जो ज्यादा वसूली की गई उसका क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव : एक्स्ट्रा सर्विसेज जो चलायी जाती हैं उसके एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं शिड्यूल्ड सर्विसेज में नहीं करते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या इस तरह से रेलवे भी किसी मेले के लिये अतिरिक्त गाड़ियां चलाती है तो लेती है क्या ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हवा रुख बदलती है किराये की दर हवा की रुख की तरह बदलता रहता है।

श्री अमृतलाल यादव : रेलवे का मालूम नहीं यहां की व्यवस्था की सूचना दे सकता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो प्राइवेट बस चलाते हैं क्या उनको भी आप इस तरह से अलाउ करते हैं क्या ?

श्री अमृतलाल यादव : राष्ट्रीयकृत बसेज का और प्राइवेट बसेज का मुकाबला किसी हालत में हो नहीं सकता।

विधायी कार्य

राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल–अनुपस्थित।

श्री विजयसिंह रावत, –अनुपस्थित।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मेरे दल के सचेतक महोदय कुछ टाइप कराने के लिये गये हुए हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा आध घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव था....

श्रीमती सभानेत्री : उसका कल उत्तर दे दिया जायगा।

श्री रामनारायण–अनुपस्थित।

श्री दुर्गालाल बादृदार !

श्री दुर्गालाल बाद्दार (हवामहल, जयपुर): माननीय सभापति महोदया, यह राजस्थान बिक्री कर संशोधन विधेयक जो हमारे सामने विचारार्थ लाया जा रहा है उस अधिनियम के सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें वित्त मंत्री महोदय के सामने निवेदन करना चाहता हूं।

पहला प्रश्न तो यह है कि जिस विषय पर सदन में पूर्ण रूपेण चर्चा हो चुकी है। हम जिस समय अपने राज्य के, वित्तीय आंकड़ों के विषय में विचार विमर्श करने जा रहे हैं उस समय भी वित्त मंत्री महोदय के सामने उन समस्याओं को स्पष्ट रूप से रखा गया था। राजस्थान की स्थिति किस प्रकार चल रही है और राज्य की इस आर्थिक विकृति की स्थिति में जो वित्तीय वर्ष के आंकड़े वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं उसमें जनता को गुमराह करने की चेष्टा की गई है। हमसे बजट पास करा लिया, मांग भी पास करवाली गई जिन पर कटौती प्रस्ताव के जरिये बहुत से सुझाव व माननीय मंत्री महोदय को दिये राज्य सरकार उनको कितनी मान्यता देगी यह तो भविष्य का प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं। यह अमेन्डमेन्ट बिल जो हमारे सामने है वह इस सदन से जो सुझाव दिये गये उसी आधार पर बनाकर लाया गया है।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : मैं सुझाव इसी पर दे रहा हूं।

श्री रामकिशन : वैसे तो यह नहीं पढ़ते हैं लेकिन आज तो पढ़कर आये हैं।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : पढ़कर आते हैं या नहीं आते यह तो वित्त मंत्री महोदय अनुमान लगा सकते हैं।

श्रीमती सभानेत्री: अगर आप तैयार नहीं हों तो श्री सतीशचन्द्र जी को बोलने दें।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : अब मैं इस सन्शोधन विधेयक के सम्बन्ध में जो सुझाव इसमें परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में दिये जा चुके हैं एक बात अवश्य निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रक्रिया से आप कर लगाते हैं उसके उपरान्त कर की वसूली करने में तब्दिलियां और परिवर्तन करते हैं उसमें जिस प्रकार की, कठिनाइयां आती हैं उनका मैं दिग्दर्शन कराना आवश्यक समझता हूं।

एक जो छोटी सी समस्या सामने आयी वह मैं बता देना चाहता हूं। हाल ही में जो कर जवाहरात पर कर लगाया गया है उसके सम्बन्ध में एक प्रश्न सामने आया है। आपने, अधिक से अधिक जो विक्रय करेगा उसी को एक प्रकार से कर मुक्त किया गया है। जो व्यक्ति स्वयं निर्माण करके विक्रय करता है उदाहरण के लिये खरड़ लेकर वह उसको काट छांट कर छोटे व्यापारी को बेचता है और वह दूसरे व्यापारी को और फिर तीसरे व्यापारी को देते हैं। इस तरह से तीन-चार व्यापारियों से होकर वह एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचता है उस पर एक परसेन्ट और दो परसेन्ट के हिसाब से टैक्स आता है तो वह टैक्स कितना हो जायगा? इससे डाइरेक्टली गरीब तबका ही इफेक्टेड है। इसके बारे में आपसे भी प्रतिनिधि मंडल मिला होगा उसने इस चीज को आपको भी बताया होगा जयपुर में विशेष तौर पर नगीनों का निर्माण कार्य भी होता है। नगीनों

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
की घडाई और पोलिश करने का जो तरीका जयपुर में है वह राजस्थान के और भागों में

(1.00 म. प.)

नहीं है। बल्कि मैं यहां तक भी कहने को तैयार हूँ कि देश में भी इतनी सुन्दर कला नहीं है जितनी जयपुर में है। तो आप इस पर अवश्य विचार करने की चेष्टा करें कि जो कारीगर नगीना बनाते हैं वे इससे डारेक्टली अफेक्टेड न हों और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस से पलने वाले छोटे छोटे कारीगर को नुकसान न हो। केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, राजस्थान सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक जो सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने की दृष्टि से मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदया, यह विधेयक वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है इसके सम्बन्ध में विचार प्रकट करने से पूर्व मैं इसको स्वीकार करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर विधेयक में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन करने की दृष्टि से हम लोगों ने सदन में मांग की थी यह सही है कि मैंने पिछली बार भी अपने विचार प्रकट करते हुए यह सदन में वित्त मंत्री से मांग की थी और मैंने उनको अपने क्षेत्र की जो प्रमुख व्यवसाय और विशेष रूप से जयपुर के प्रमुख व्यवसाय जवाहरात के हैं उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में वित्त मंत्री और सदन का भी ध्यान आकर्षित किया था।

मुझे इसकी तो खुशी है कि राज सरकार ने इन सुझावों पर विचार कर यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। पर सभापति महोदया, जिस प्रकार सुझाव हमने प्रस्तुत किये उन सबका समावेश नहीं किया गया है इसका दुख है।

सभापति महोदया, जिस प्रकार से कोई भी विधेयक लाते समय जो सरकार की मंशा और कारण होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है कि अपोर्चुनिटी हैज़ आलसो बीन अवेल्ड आफ फोर मांइनर अमेण्डमेन्ट्स।

इस प्रकार से उस विधेयक पर विचार प्रकट करते समय में इस विभाग के सम्बन्ध में भी एक दो बात कहूंगा और अवसर का लाभ उठाना चाहूंगा। विधेयक के सम्बन्ध में तो कहूंगा पर विभाग के सम्बन्ध में भी सरकार की नीति के अनुसार मैं भी लाभ उठाना चाहूंगा दो-तीन मुद्दों की ओर राज्य सरकार का ध्यान खींच कर।

सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि जो आपने टैक्स की इसमें व्यवस्था की है उसके कारण बड़ों को तो लाभ मिल गया पर छोटे व्यापारी मर गये। उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता।

इसके कारण यह होगा कि बड़े व्यापारी माल बेचेंगे तो टैक्स लगेगा। पर वह छोटे व्यापारी तक पहुँचते पहुँचते इतना महंगा हो जावेगा टैक्स लग लग कर कि जिसके कारण इस व्यवस्था पर ही विपरीत असर पड़ेगा।

इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि दफा 5 और 5 एफ जो जोड़ने को आपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
व्यवस्था की है उस पर भी विचार किया जावे। इस व्यापार से राजस्थान सरकार को और केन्द्र की सरकार को करोड़ों रुपयों का एक्सचेंज मिलता है। इसके माध्यम से आज जयपुर शहर में दस हजार लोग ऐसे होंगे छोटे छोटे कारीगर उनके परिवार के लोग इससे पलते हैं और ऐसा धन्धा जो राजस्थान के लिए गौरव की बात है उसकी तरफ सरकार का ध्यान देना और इस प्रकार छोटी सी छूट देना यह पर्याप्त नहीं है।

इसमें छोटे छोटे व्यवसाइयों पर पड़ने वाले विपरीत असर पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। टैक्स जिस तरह से आपने घटाया है उससे आपको तो घाटा होगा नहीं पर अगर सरकार की यह मंशा हो कि बड़ों पर से टैक्स घटाकर छोटों पर लगा दिया जावे तो भी मुझे कुछ कहना नहीं। पर निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे व्यापारियों को इससे काफी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। असन्तोष है उनमें। और वे महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने उनका गला घोंट दिया है और बड़े व्यवसाइयों को छूट दे दी है। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसलिए मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने की भी बात कह रहा हूं।

राजस्थान में विशेष रूप से चेम्बर आफ कामर्स, कामर्स आफ इन्डस्ट्री, जैसी काफी संस्थाएं हैं सबने मांग की है कि राजस्थान में बिक्री कर की दरें दूसरे पड़ौस के राज्यों से ज्यादा है। और इसके कारण राज्य के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नतीजा यह होता है कि आज व्यापार का केन्द्र दिल्ली बन रहा है। जयपुर न आकर राजस्थान के उसके सीमावर्ती लोग दिल्ली चले जाते हैं। भरतपुर के लोग आगरा चले जाते हैं। कोटा के मध्यप्रदेश में चले जाते हैं। जोधपुर, सिरोही के लोग गुजरात की तरफ जा रहे हैं। गंगानगर के लोग पंजाब में जाकर आराम से व्यवसाय करते हैं। इसका कारण यह है कि राजस्थान में बिक्री कर की दरें ज्यादा हैं और इस कारण यहां का व्यवसाय भी घट रहा है। पड़ौसी राज्यों का बढ़ रहा है।

राजस्थान सरकार ने इस सदन में भी यह आश्वासन दिया था और इसके लिए कमेटी भी बिठाई थी। जोनल कान्फ्रेन्स में भी सरकार ने विचार किया है। और पड़ौसी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी विचार विमर्श हुआ है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि राजस्थान की बिक्री कर की दरें पड़ौसी राज्यों से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। समानीकरण किया जाना चाहिये।

बिक्री कर विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि एक कमेटी आपने बिठाई थी जो राशनेलाइजेशन करने के बारे में थी। बिक्री कर की प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से जो समिति बनाई और जहां तक मुझे जानकारी है भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चन्दनमलजी बैद की अध्यक्षता में वह बनी थी।

उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है, और उस रिपोर्ट के आधार पर···

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, क्या यह व्यवस्था हो सकती है कि जनसंघ के लोग

(श्री रामकिशन)
पान न खायें, इसकी कोई व्यवस्था हो सकती है ?

श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदया इसके साथ साथ क्या यह भी व्यवस्था हो सकती है कि संयुक्त समाजवादी दल के आदमी हैं वे अपने घर का खाना न खायें ?

श्रीमती सभानेत्री : पान खाकर सदन में बोलना तो अच्छा नहीं लगता है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है।

श्री रामकिशन : बोलने में तो आकर्षण रहता है पान खाने के बाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको आकर्षण है सभापति महोदया को नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य को भ्रान्ति हुई थी कृष्ण भगवान के सम्बन्ध में कि तुम्हारे मुंह में क्या है ? लड्डू खा रहे हो तो उन्होंने अपना मुंह खोलकर दिखाया था तो ब्रह्माण्ड दिखाई दिया। मैं आपको मेरा मुंह खोलकर दिखा रहा हूं (मुंह खोलते हुए आ······आ····आ·······कोई पान नहीं है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि भूतपूर्व उप वित्त मंत्री, श्री चन्दनमल जी वेद की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन इस राज्य सरकार ने किया और जो प्रतिवेदन उसने राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है उस प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है सरलीकरण की दिशा में। जो प्रक्रिया इन बिक्री कर कानूनों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही है वह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जिसके कारण इतना हैरेसमेंट व्यापारियों को होता है कि सैल्स टैक्स का कर्मचारी कोई भी जाकर उन पर धावा बोल सकता है, कोई भी जाकर रेड कर सकता है, किसी की भी बहियें जब्त कर सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। इन पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

इसके अतिरिक्त एक बात और मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदया, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि मैं इस विधेयक के वाद-विवाद के सम्बन्ध में उस अवसर का लाभ उठाना चाहूंगा जो कि कई बार सरकार विधेयक को सदन में लाते समय उठाया करती है और संशोधन करने का लाभ उठाया करती है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि बिक्री कर विभाग है, आपका जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है इस टैक्सेशन की बकाया इतनी क्यों बढ़ जाती है। लगभग 2 करोड़ रुपये की बकाया सब मिलाकर आज भी इस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत हैं जिसमें बिक्रीकर भी है, टैक्सेशन की भी है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में इतनी बड़ी भारी बकाया निकलना यह दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो आप टैक्स लाते जा रहे हैं और इन टैक्सों को लगाने का अधिकार इस सदन से लेना चाहते हैं। इस वर्तमान कानून के अन्तर्गत आपने दफा 50 (5) को जोड़ी है उसके अन्तर्गत 6 पर्सेन्ट तक का टैक्स लगाने का अधिकार लेना चाहते हैं। आप टैक्स लगाते जायं लेकिन टैक्स लगाने का अधिकार सदन से लेने के बाद और टैक्स लगाने के बाद व्यापारियों से टैक्स वसूल न करें, यह सारा सरकार की अकर्म-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ण्यता और निष्क्रियता का द्योतक है। इसलिए सरकार को सदन में स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर इस विभाग में बकाया क्यों बढ़ रही है। एक तरफ बकाया बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ टैक्स लगाने के अधिकार लेते चले जा रहे हैं तो इस सदन को आम तौर से विचार करना चाहिए कि जो सरकार सदन में दिए हुए अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग नहीं करे और टैक्स की बकाया बढ़ती जाय तो इस सरकार के निकम्मेपन पर सदन को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदया, इसके साथ साथ मैं एक बात और कह रहा था उदाहरण के तौर पर कि इस विभाग के काम करने का जो तरीका है उस तरीके में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं एक मिसाल, सभापति महोदया, दूंगा और माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा कि किस प्रकार से रेड्स किये जाते हैं और किस प्रकार से सैल्स टैक्स के अधिकारी और सैल्स टैक्स के इन्सपेक्टर मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि जब जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस अधिवेशन के लिए सैल्स टैक्स के अधिकारी कांग्रेस पार्टी के लिए चन्दा इकट्ठा कर रहे थे मैं उस बात का इस तरह से जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन, सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं और आज वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं खास तौर से उस मसले के बारे में कि इस विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जो पकड़े जांय उनके बारे में विभाग कितनी लापरवाही करता है प्रोसीक्यूशन की इजाजत देने में, प्रोसीक्यूशन की सेन्क्शन देने में। इन भ्रष्टाचार के मामलों में आज से नहीं अनेक वर्षों से यह विभाग लापरवाही बरतता आ रहा है। माननीय वित्त मन्त्री जी यह कह सकते हैं कि यह मामला मेरे समय का नहीं है, जब मैं इस विभाग का मन्त्री बना हूं तब से लापरवाही नहीं है, लेकिन मुझे माननीय वित्त मन्त्री से मतलब नहीं है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, और मेरी शिकायत इस सरकार से है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त विभाग के अधिकारियों के मामलों में गलत प्रोसीक्यूशन की सेन्क्शन देती है और उसका नतीजा यह होता है कि जब ऐसे आदमी के खिलाफ मुकदमा चलता है और मुकदमें के बाद कन्विक्शन हो जाता है तो हाई कोर्ट में मामला जाता है और वहां पर अपील इस आधार पर मन्जूर होती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने और डिपार्टमेंट के आफिसर्स ने जो सेन्क्शन दी है प्रोसीक्यूशन की, वह वास्तव में डिफेक्टिव है, उनको इसका अधिकार नहीं था, वह गलत तरीके से दी गई है। नतीजा यह होता है कि हाई कोर्ट में अपील मन्जूर होती है। मुकदमा रिमान्ड होता है। फिर मुकदमा चलता है और बरसों तक चलता है तो इसके आधार पर, प्रभाव के आधार पर मामला खत्म हो जाता है। कई बार देखने में यह आया है कि प्रोसीक्यूशन की सही सेंक्शन नहीं दी जाती है और उसके बाद प्रोसीक्यूशन की सही सेन्क्शन मिलती है तो सारे मामले में 6-8 वर्षों का समय निकल जाता है।

उदाहरण के तौर पर, सभापति महोदया, ज्यादा विस्तार में न जाते हुए माननीय वित्त मंत्रीजी का एक ग्लेरिंग केस की ओर और सदन का ध्यान उस मामले की ओर ले जाना चाहता हूं कि जो मामला यहां पर एक दूसरे रेफरेन्स में इस सदन में उठा था, और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वह मामला बहुत इम्पार्टेन्ट मामला है। सभापति महोदया, वह मामला है श्री जसराजजी का। मैं कोई उनके पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं। श्री जसराजजी जो आज राज्य सरकार के संसदीय सचिव के रूप में शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर, सभापति महोदया, जब वे सैल्स टैक्स के इन्सपेक्टर थे अजमेर स्टेट में तो 200 रु रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगा। 200 रु. रिश्वत लेने के आरोप में वे गिरफ्तार किये गये। मुकदमा अदालत में चालान किया गया, और चालान करने के बाद अदालत ने फैसला दिया और फैसला देने के बाद 30-1-59 को वहां की अदालत ने यह फैसला दिया कि जसराज को भ्रष्टाचार के आरोप में 200 रु० रिश्वत लेने के आरोप में 18-18 महीने की सजा दी जाय, वह 18-18 महीने की सजा प्रदान कर दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की गई। हाई कोर्ट में मुकदमें में मुद्दा यह उठाया गया कि मेरे खिलाफ प्रोसीक्यूशन की जो सेंक्शन दी गई है वह सेंक्शन कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी ने नहीं दी। हाई कोर्ट ने उस बात को माना और हाई कोर्ट ने उस बात को मानकर अपील को मन्जूर किया, और केस को रिमाण्ड किया अजमेर में स्पेशल जज को। अजमेर के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे और स्पेशल जज थे उनकी कोर्ट में यह मुकदमा रिमाण्ड किया गया। मुकदमा रिमाण्ड करने के बाद, सभापति महोदया, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने 10-11-59 को उनकी अपील मन्जूर की और केस को रिमाण्ड किया, और राज्य सरकार को यह लिखा कि इसके बारे में दुबारा प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन उचित तौर पर ली जाय। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं और इस सदन में पूछना चाहता हूं कि 59 के बाद जब यह मुकदमा आया वापिस तो उसके बाद करीब करीब मैं समझता हूं कि सन् 63 में जाकर दुबारा चालान पेश हुआ। उसमें 3 साल के बाद जाकर प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन मिली। मैं समझता हूं कि यह बड़े शर्म और कलंक की बात है। उसका कारण मैं इस समय इस सदन में नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की गई। दबाने की कोशिश के कारण प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन नहीं मिली और मुकदमें को अदालत में भेजते हैं तो उसको इस तरह से रफा दफा कर दें। तो इस प्रकार की कार्यवाही चलती हैं। इस सारे मामले में प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन देने में जो गपोलबाजी हुई है यह भविष्य में नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदया, इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद मुकद्दमा वापस आया, स्पेशल जज की कोर्ट में दुबारा ट्रायल हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि देर करने के कारण इन श्री जसराज ने गवाहान को मुकद्दमें में उपस्थित न होने के लिए बहकाया और बहकाने के कारण सारा मामला गड़बड़ हो गया और इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सरकार को सारे गवाहान पर फोर्जरी के मुकद्दमें चलाये। उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूलें इस विभाग ने की हैं, वे भूलें भविष्य में न हों इस बात की आवश्यकता है इसको ध्यान में रखने की।

इसी सिलसिले में, सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से स्पष्टिकरण करना चाहूंगा

Page No.58

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि श्री जसराज का मामला जब इस सदन में उठाया गया और मेरे द्वारा उठाया गया था तो, सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने जिस समय यह मामला उठाया, जिस समय मैंने यह मामला उठाया कि श्रीमान् जसराजजी आज भी राज्य सरकार की सेवा में हैं। इनके डिसमिसल के आर्डर नहीं हुए हैं।

इनका डिसमिसल ग्रोर्डर सैट असाइड होता है, या तो ये सस्पेन्शन हैं या राज्य के कर्मचारी हैं, उस समय मुख्य मंत्रीजी ने जानकारी दी कि यह बात गलत है, उनको डिसमिस कर दिया गया। इस बारे में पत्र है वह मैं सदन की मेज पर रखूंगा। ओर्डर डिसमिसल का जारी जरूर किया था, उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखो वह 1 मार्च सन् 68 को रखो, डिसमिसल ग्रोर्डर 1959 का है। इस ग्रोर्डर के माफिक श्रीमान् जसराजजी, जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट थे, इसमें लिखा है :

It is, therefore, ordered that shri Jasraj is hereby dismissed from the Government service from the date of suspension i.e. 22.11.56.

आपने इनको 22-11-56 से रिट्रोस्पेक्टिवली डिसमिस किया, 1959 में डिसमिस किया। आपका कहना है कि यह ओर्डर उसके बाद बदस्तूर कायम रहा, यह फाइनल है, उसके बाद श्री जसराजजी का डिसमिसल नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है सन् 59 के ओर्डर को गवर्नर ने गलत माना और सैट एसाइड कर दिया? यह कहां तक सही है कहां तक गलत है यह सदन के सोचने की बात है, सदन अपना मानस बनावे और सोचे कि आया मुख्य मंत्रीजी ने जो आर्डर सदन की मेज पर रखा वह सही है, फाइनल है या गवर्नर द्वारा उसको सुपरसीड किया गया या उसमें संशोधन किया गया या सैट असाइड किया गया यह सदन मानस बनावे, इस संबंध में मैं तर्क देना नहीं चाहता हूं।

इसके अलावा श्रीमान् जसराजजी ने अजमेर के सीनियर सिविल जज की कोर्ट में दावा पेश किया। उसके प्लेन्ट में उन्होंने क्या लिखा है यह मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : चेप्टर इज क्लोज्ड नाउ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, यह प्लेन्ट है जो सीनियर सिविल जज अजमेर की कोर्ट में पेश किया गया :

Civil Miscellaneous 41 of 1963-Civil suit No. of 1963 Shri Jas Raj s/o Shri Keshav Ram Major r/o outside Delhi gate Ajmer V/s. State of Rajasthan through Secretary to Govt. of Rajasthan, Finance Deptt. Jaipur.

और फिर उसमें लिखा है, आगे लिखा है :

7 (e) That the Commissioner Excise and Taxation Rajasthan Udaipur is not competent to dismiss the plaintiff from service and as has been held by Rajasthan High court vide their judgment above held dated 17-11-59 and accepted by Governor of

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Rajasthan in his order No. F. 2 (ii) Apptts (A) 60/ Group III Dated 20-6-61, order dated 16-3-59 are without jurisdiction and of no legal effect whatsoever

आगे लिखा है :

"That the cause of action accrued to the plaintiff within the jurisdiction of this Hon'ble Court on 15-4-1959 when the plaintiff was dismissed on 17-11-59 when the conviction, the basis of which the plaintiff was dismissed was set aside on 20-6-61 when the order dated 15-4-1959 were set aside by the Governor of Rajasthan and finally on 21-8-1959 when the order dated 20-6-61 were made known to the plaintiff."

मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे कि यह 15-4-59 का ग्रोर्डर आपने सदन की मेज पर रखा है जिसको आप डिस्मिसल का ग्रोर्डर कहते हैं उसके बारे में प्लेन्ट में उन्होंने लिखा है कि 20-6-61 को राजस्थान के गवर्नर ने उसको सेट एसाइड कर दिया। या तो आप यह कहें कि जसराजजी ने जो दावा किया वह सही नहीं है, गलत है, राज्यपाल ने डिस्मिसल ग्रोर्डर को सेट असाइड नही किया। ग्रौर यदि सेट असाइड किया है तो यह ग्रोर्डर पहले वाला जो आपके सामने रखा है वह अंतिम नहीं था। श्री मूलचन्दजी डागा जो पाली से आते हैं वे इस केस की पैरवी कर रहे हैं ग्रौर कहते हैं कि श्री जसराजजी के खिलाफ चेप्टर क्लोज हुआ। क्योंकि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों को हटाने वाली नहीं है यह मैं मानता हूं कि यह सरकारी भ्रष्टाचारियों को हटाने वाली नहीं है। आपको भी यदि तरक्की चाहिये तो दो चार सौ रुपयों का घोटाला कर जाइये आप पर आंच आने वाली नहीं है इन शब्दों के साथ आपने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मैं समझता हूं आज लोगों की धारणा यह है कि या तो डाकू महकमा पुलिस है या डाके डालने वाला महकमा यह सेल्स टैक्स का है जो लोगों की इज्जत लूटता है, सरे आम डाके डालता है ग्रौर भ्रष्टाचार करता है। इस बिक्री कर महकमे के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं है। इसलिये यह जरूरी है कि इस डिपार्टमेंट का शुद्धिकरण करें, अधिकारियो के खिलाफ जो शिकायतें है उनकी जांच करें ग्रौर भविष्य में जनता की जो धारणा इस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के प्रति बन गई है उसका निराकरण हो जाय, इसका नव निर्माण हो जाय, यह आशा करता हुआ मैं अपने विचार ग्रौर संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शिवनाथसिंह।

अनुपस्थित :

श्री विजयसिंह रावत।

अनुपस्थित :

श्री कृष्णकुमार गोयल।

अनुपस्थित :

श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी : (मंडावा) सभापति महोदया, मैंने भी संशोधन दिया

(श्री रामनारायण चौधरी)

हैं कि राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन विधेयक, 1968 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ और पहले भी निवेदन किया है कि राजस्थान में सैल्स टैक्स से 30 करोड़ रुपयों की आमदनी होती है और सबसे अधिक आमदनी आज हमारे बजट की पूर्ति हेतु सैल्स टैक्स की मारफत हो रही है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार ने कुछ प्रस्ताव सदन के सामने रखे हैं। मेरा निवेदन है कि इस पूरे बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय और जितने संशोधन करने हैं उन सब पर एक साथ बैठ कर विचार कर लिया जाय सोच समझ कर। बार बार संशोधन करने से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है और इस बात का आभास होता है कि हम किसी काम को करने के लिये दृढ़ संकल्प नहीं है इसलिये बार बार संशोधन लाते हैं। आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस विभाग में चल रहा है और इस विभाग की सरविसेज की जो हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्सटैक्स सरविसेज में आपको सुधार करना चाहिये और किसी तरह से विशेष तौर पर एफिशियेन्ट और ओनेस्ट स्टाफ इस विभाग में रखना चाहिये तभी हमें सैल्स टैक्स से पूरी इन्कम मिल सकती है और इंन्कम बढ़ सकती है। आज जो सैल्सटैक्स में चोरी होती है उसमें सैल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों का सेन्ट परसेन्ट हाथ रहता है। वे लोग व्यापारियों से मिलकर चलते हैं और उनको मदद करते हैं। केसेज पकड़ते हैं पर पैसे खाकर उनको छोड़ देते हैं। यह आम शिकायत सैल्स टैक्स अधिकारियों के खिलाफ है।

हमने सुना था कि वित्त मंत्रीजी ने बड़े व्यापारियों को सहूलियतें दी हैं। मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। इस घोषणा के बाद भी जिस प्रकार की धारणा वित्त मंत्रीजी के प्रति व्यापारियों में हुई हैं वह अच्छी नहीं है। बड़े व्यापारियों को उन्होंने फायदा या लाभ पहुंचाया है लेकिन छोटे व्यापारी हमारे प्रदेश के सैल्सटैक्स विभाग के अधिकारियों से बहुत परेशान और दुखी हैं, उनको विशेष रियायतें देनी चाहिये और उनको अपने जीवन यापन के लिये मदद देनी चाहिये। मैं सभानेत्री महोदया, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस प्रकार के संशोधन या अमेंडमेंट इस कानून में लाने चाहिये जिसके जरिये हम सैल्स टैक्स में होने वाली चोरी को रोक सकें और छोटे व्यापारी जो अपने छोटे व्यापार से जीवन-यापन करते हैं उनको अधिकारी परेशान नहीं कर सकें। इन शब्दों के साथ में जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 में मेरा एक संशोधन है। माननीय सदस्यों ने जो सैल्स टैक्स के बारे में विचार रखे हैं उनके बारे में सदन को जानकारी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज देखने में आती है वह यह है कि आज रूरल एरिया में सैल्स टैक्स की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं और शायद इस ओर और उस ओर के माननीय सदस्यों ने पिछले सेशन में और इस सेशन में इस बात को उठाया था

(श्री विजयसिंह रावत)

कि यह चांदी के जेवरात के ऊपर टैक्स लगता है, यह चांदी के जेवरात पर प्रति बिन्दु से टैक्स लगाने की चीज की है। इससे जन साधारण को अधिक से अधिक नुकसान होगा। गांवों के अन्दर, रूरल एरिया के अन्दर अधिकतर किसान लोग, खेतीहर लोग चांदी के गहने पहनते हैं। उनके ऊपर चांदी के जेवरात के ऊपर दो पर्सेन्ट टैक्स लगाया है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि रूरल एरिया में जो भी गहने काम में आते है उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात को कतई खत्म करें।

दूसरी चीज यह है कि गांवों के अन्दर जो दुकानें हैं, जिनके अन्दर कोई व्यापारिक रूप के अन्दर धन्धा नहीं चलता है, गांव के अन्दर परचून का सामान रखने वाले हैं, और गांव की आवश्यकता का दूसरा सामान रखने वाले हैं, जो शहर से खरीद कर ले जाते हैं और वहां बेचते हैं—आपके सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी, इन्सपेक्टर वगैरह उन लोगों को इतना हैरान करते हैं कि यदि दुकान के ऊपर प्राइसेज नहीं लिखी होती हैं बोर्ड पर तो उन पर पचास-पचास रुपया जुर्माना करते हैं। अगर वह लोग हटवारी या मन्थली उनका पैसा नहीं बांधते हैं तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर वगैरह उनको नियमों के तहत फंसा कर हैरान करते हैं और वह लोग सेल्स टैक्स आफिस और गांव के बीच में दौड़ धूप करते रहते हैं। मैं जानता हूं कि जो लोग सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं उन लोगों से तो सेल्स टैक्स वापिस नहीं लिया जाता है, उनसे पांच पांच साल तक सेल्स टैक्स की उगाई नहीं की जाती है, उनके अन्दर सेल्स टैक्स की रकम लेप्स हो जाती है। मेरा निवेदन है कि इस विभाग के अधिकारी हैं उनसे गांव के अन्दर लोग बड़े आतंकित हैं, आप कम से कम इतना तो करिये कि जो परचून की दुकानें हैं, जिनकी कोई आमदनी नहीं हैं और जो व्यापार के रूप में वह काम नहीं करते हैं, उनका कोई धन्धा नहीं है उन लोगों को यह तंग न करें। आज जिस प्रकार उनको तंग करते हैं उससे ग्रामीण जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। गांव का हर व्यक्ति आज यह सोचता है कि गांव के अन्दर जो चीजें मिलती हैं, उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होने की वजह से वह मंहगी मिलती हैं। गांव के लोगों के अन्दर इस कारण से बहुत प्रतिक्रियायें होती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमिततायें हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करें।

दूसरा निवेदन यह है कि सेल्स टैक्स की जितनी बकाया रकम है उस बकाया रकम को आप राजनैतिक आधार पर वसूल नहीं कर रहे हैं—यह बात स्पष्ट है। इस सदन में यह बात कई दफा तारांकित प्रश्नों के रूप में आ चुकी है। और माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि सेल्स टैक्स की या दूसरी जो बकाया रकम हैं, रायल्टी की है माईन्स की है—इसमें गवर्नमेंट को जो जो पार्टियां सहायता करती हैं, और मैं स्पष्ट कहूं कि कांग्रेस पार्टी को सहायता करती हैं इनको सम्मेलन बुलाने और अन्य प्रकार के कामों के लिए उन लोगों से न तो सेल्स टैक्स वसूल होता है, न अन्य कोई बकाया वसूल होती है। हर पांच साल के अन्दर इनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। उस दीवार को पार करने के लिए इन पैसे वालों का सहारा

(श्री विजयसिंह रावत)

आपको लेना पड़ता है। इसलिए जो यह बात कही जाती है कि पैसे वाली पार्टियां प्रतिक्रियावादी पार्टी होती हैं—इसके ऊपर आप थोड़ा मनन करें। आपको जो सैल्स टैक्स वसूल करना चाहिए वह आप वसूल नहीं कर पाते हैं और फिर नियमों में, कानून में संशोधन करके दिन प्रतिदिन....

श्री शंकरलाल : किस से वसूल नहीं करते हैं, आप उदाहरण बताइये !

श्री विजयसिंह रावत : आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

श्री शंकरलाल : आप एक्जाम्पल बताइये।

श्री विजयसिंह रावत : आप जोधपुर के केस ले लें। कई चीजें हैं, वह आप एश्योरेन्स कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ लें।

श्री शंकरलाल : आपने पढ़ी होगी, आप बता दें।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी अनियमिततायें है, भ्रष्टाचार के केसेज हैं और दूसरी चीजें हैं, उस कारण से आप सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान में दूसरे नम्बर का डिपार्टमेंट हो गया है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वह पहले नम्बर पर आता है जो अधिकतर लोगों को परेशान करता है। मैं तो यह कहूंगा कि कोटा-परमिट-लाइसेन्स की प्रथा रखकर आपने अपनी आजीविका, या कहिये भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा कमाने का साधन बना लिया है।-यह रखने से ही सेल्स टैक्स की रकम रुकी हुई है। सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर जाकर दूसरे नम्बर की किताबें पकड़ते हैं। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट कोटा–लाइसेन्स और परमिट की प्रथा को खत्म कर दे तो दो नम्बर की किताबें नहीं मिले। दो नम्बर की किताबें रखने के लिए आप मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यापारी इंडिपेंडेंट रूप से व्यापार कर रहे हैं, तो ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं उनके काम के अन्दर आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी जाकर हस्तक्षेप करते हैं। उनके साथ उनका जो व्यवहार होता है वह इतना भद्दा होता है कि कोई भी व्यापारी आपके इस डिपार्टमेंट से इन्सपेक्टर से संतुष्ट नहीं है। यह मानी हुई बात है कि आपके सैल्स टैक्स अधिकारी मनमाने तौर पर हटवारी या मन्थली रूप से उनसे रुपया लेते हैं और जो नहीं देते हैं उनके साथ में बहुत ही खराब व्यवहार करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन सब चीजों के ऊपर नियंत्रण करें और स्वस्थ रूप से परम्परा कायम कर दें जिससे व्यापारी स्वतन्त्र रूप से अपना व्यापार बढ़ा सकें। अगर व्यापार बढ़े तो निश्चित रूप से यह मानी हुई बात है कि उससे आगे जाकर हमारे प्रान्त को फायदा होगा और इसके साथ ही आप लोगों को जनता कहेगी कि सरकार के अधिकारी किस हद तक व्यापार और उत्पादकों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छे व्यवहार के कारण आपके शासन की प्रशंसा होगी, गवर्नमेंट की आगे बढ़ने की प्रवृति दिखाई देगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी ऐसे मामले हैं इनको आप रोकें और रोकने के बाद इन पर आप नियंत्रण करें।

श्री मूलचन्द डागा : थैंक्यू फोर योअर एडवाइस।

श्रीमती सभानेत्री : श्री फूलचन्द बाफना।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभानेत्री महोदया, जिनका प्रस्ताव के अन्दर नाम है उनके अलावा नाम मत बोलिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जनमत जानने के लिए अमेंडमेंट दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : आपने न अमेंडमेंड दिया है और न जनमत जानने के लिए लिख कर भेजा है।

श्री मथुरादास माथुर : पार्टी के एक सदस्य के विचार आ जाते है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : मैं अभी लिखकर देखता हूं। बहुत संक्षेप में बोल देता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य। जनमत के लिए आपने प्रस्ताव नहीं दिया है इसलिये आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं एक सेन्टेन्स में कह देता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाय।

श्री मथुरादास माथुर : सभानेत्री महोदया, जो प्रस्ताव इस सदन के अन्दर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने रखे हैं कि इस विधेयक को संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजा जाय। मेरा नम्र निवेदन है कि यह विधेयक और विधेयक की जो मूल धारायें मैंने रखी हैं वह जनमत को समझ कर, जनमत की रेस्पेक्ट करते हुए रखी हैं। जनमत या तो सदन के माननीय सदस्यों के विचारों से प्रकट होता है, या जनमत उस व्यवसाय में काम करने वाली संस्थायें हैं उनके विचारों से प्रगट होता है। इसमें मैंने जवाहरात के काम करने वाले व्यवसाइयों की जितनी संस्थायें है, उनके द्वारा प्रतिवेदन दिये गये, जितने डेपूटेशन मेरे से मिले, लिखित रूप में या जबानी रूप में जो भी उनके विचार थे उन विचारों को सामने रखते हुए और साथ साथ माननीय सदस्य, जो जयपुर से आने वाले हैं, ने यह प्रस्ताव रखा है, उनके मत को जान कर और समझते हुए और दूसरे माननीय सदस्यों के विचार को समझ कर मैंने यह फैसला किया। हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा व्यवसाय और खास तौर से जयपुर शहर का जवाहरात का व्यवसाय हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा व्यवसाय हमारे यहां है। ज्वेलस कटिंग का व्यवसाय, जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, हजारों मध्यम श्रेणी के व्यापारी इस धन्धे में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस व्यवसाय को जिन्दा रखा जाय। इसकी वजह से हम विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं, और जो कुछ भी कहा जाता है, वह बात ठीक है, उसको मैं मानता हूं। इस दृष्टिकोण को रखते हुए जो 1951 का पूरा कानून है उसकी मन्शा को मैंने बदला है। इसके ऊपर पहले सिंगल पाइन्ट का सैल्स-टैक्स था। सिंगल पाइन्ट सबसे आसान तरीका सैल्स टैक्स का होता है। लेकिन क्योंकि इस व्यवसाय में बारीकी हैं, जो खण्ड बाहर से आती है वो कई व्यापारियों के हाथ से निकलती है मुख्तलिफ जगह पर उसकी कटिंग होती है, मुख्तलिफ जगह पर पालिश होती है। इसलिए कई हैंड्स के अन्दर, कई हाथों में एक दाना एक्सचेंज होता है, इस वजह से हमने यह फैसला किया है

(श्री मथुरादास माथुर)

कि इस व्यवसाय में मल्टीपल पाइन्ट टैक्स लगाया जाय। मल्टीपल पाइन्ट टैक्स लगाने के सम्बन्ध में निवेदन है, सभापति महोदया, जो टैक्स पहले लगता था वह टैक्स पांच पर्सेन्ट था। मैंने इसमें जो टैक्स रखा है, मैंने दो बातें इस कानून में कही हैं एक बात तो यह कही कि राज्य सरकार को मल्टीपल पाइन्ट टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाय। दूसरी बात यह कही है कि इस टैक्स की दर की सीमा कितनी हो इसमें एक पर्सेन्ट कहा है।

मगर एक्चुअली जो लगाया है नोटिफिकेशन के जरिये आपसे अधिकार प्राप्त करने के बाद, वह मल्टीपल पाइन्ट टैक्स मैंने एक पर्सेन्ट से कम लगाया है। इसलिये जो लेजिस्लेशन से, आपसे अधिकार मांगा है वह इसमें मलाज आया है। इसके साथ साथ हमने इस अमेंडिंग बिल के अन्दर फिर दूसरा प्रावीजन यह रखा है कि राज्य सरकार को इस टैक्स को कम्पोज करने का अधिकार हो जाय, वह अधिकार होकर नोटिफिकेशन निकाल कर जो टैक्स लगाये वह फिक्स्ड टैक्स होगा वह एक पर्सेन्ट से कम पड़ता है। इस सदन में जो गत साल बहस हुई है, और जो इस साल बहस हुई है, उसे समझ कर और लोगों को सुनकर, व्यापारियों के डेपूटेशन से मिलने के बाद और यहां के जवाहरात के व्यवसाय की हालत देखकर राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है और जो उसने घोषणा की है, उसका राजस्थान के व्यापारियों ने और माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ जो सुझाव रखे हैं, और कई कानूनी बातें कही है, इसके लिए यहां तक कह दिया कि छोटे व्यापारियों को इससे तकलीफ होती है, हमारे यहां की टैक्स दर ज्यादा है। यह बातें कही गई। मेरा निवेदन यह है कि जहां जहां सिंगल पाइन्ट टैक्स लगाया गया है, वह वेस्ट बंगाल में छः पर्सेन्ट है, आन्ध्र में सात पर्सेन्ट है, गुजरात में 8 पर्सेन्ट है, आसाम में पांच पर्सेन्ट है, बिहार में दस पर्सेन्ट है, आन्ध्र में पांच पर्सेन्ट है मध्य प्रदेश में 7 पर्सेन्ट है इतना पर्सेन्ट टैक्स दूसरी जगह लगता है। मेरे यहां जो सिंगल पाइन्ट टैक्स था वह तब पांच पर्सेन्ट था, अब मल्टीपल पाइन्ट टैक्स किया है तो उसको रिड्यूस करके एक पर्सेन्ट से कम कर दिया है। एक पर्सेन्ट तो इसमें लिखा है लेकिन जिस ग्रुप पर जो लेते हैं वह आधा पर्सेन्ट से एक पर्सेन्ट पड़ता है। यह मेरे ख्याल से इस व्यापार को कायम रखने के लिए ठीक होगा। व्यापारियों को जो सबसे बड़ी कठिनाई थी, जब सिंगल पाइन्ट टैक्स लगता था, इतने हैंड्स बदल जाते हैं इस व्यवसाय के अन्दर तो उसके अन्दर परेशानी होती थी अकाउन्टिंग की। तो उसको अब हटा करके कन्सोलिडेटेड कम्पोज्ड टैक्स लगाया है, इससे सबसे बड़ी समस्या हल हुई है। मेरे ख्याल में इस बिल सम्बन्धित जो बातें कहीं—उनके लिए मैंने यह निवेदन किया।

इसके अलावा दूसरी बातें इस बिल से बाहर की जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही हैं। वह बिल की परिधि से बाहर की कई बातें सदन में कहना पसन्द करते हैं। वैसे अमूमन बिल की परिधि के अन्दर उनको बातें कहनी चाहिए। लेकिन बिल की परिधि के बाहर की बातें कहीं, तो मैं भी अपना फर्ज समझता हूं कि उनका जवाब दूं।

दूसरी बात माननीय सदस्यों द्वारा, माननीय सभानेत्री महोदया, यह कही गई है

Page No.65

(श्री मथुरादास माथुर)

कि राज्य सरकार में, और खासतौर से मेरे विभाग, जो कर विभाग कहलाता है, के अन्दर बकाया रकम बहुत बाकी है, दो करोड़ की बकाया रकम बाकी होने की बात यहां कही गई। मैं हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कहूंगा कि यह बकाया की रकम क्या चीज है, इसका भी एनेलेसिस करना जरूरी है। अभी दो करोड़ की बकाया है, उसमें आज राजस्थान में इतने व्यापारी हैं, असेसीज हैं राजस्थान में, वह नौ दस हजार के बीच में असेसीज हैं, नौ-दस हजार असेसीज में राजस्थान सरकार की आमदनी करीब अठारह-उन्नीस करोड़ रुपये की है। अठारह-उन्नीस करोड़ की आमदनी और नौ-दस हजार असेसीज हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस एरियर्स के अन्दर पुराने एरियर्स बहुत कम हैं, और जो हैं, वह हैं जो हाई कोर्ट से, या रेवेन्यू बोर्ड से या कम्पीटेन्ट लीगल आथोरिटी से स्टे कर दिये गये हैं। वह रकम ही बकाया में बाकी रही है, और उसके अलावा और कोई नहीं है।

मैंने जो निवेदन किया था उस उक्त, वह असेसीज के लिए, वह अस्सी हजार असेसीज मैंने फिगर्स दिये हैं, 1966-67 के अन्दर नम्बर आफ केसेज असेस्ड। वहां 1966-67 में एक साल के दो साल के दो करोड़ की बकाया के लिए कह रहे हैं। उसके अन्दर भी मैंने आपसे निवेदन किया, नये असेसीज क्रियेट होकर कुल एडीशनल डिमाण्ड क्रियेट हुई है दो करोड़ छप्पन लाख की। इस साल में दो करोड़ छप्पन लाख की एडीशनल डिमाण्ड क्रियेट हुई है। 1966-67 में 209-210 रुपये हुई है। वहां अब एडीशनल डिमाण्ड एक साल के अन्दर दो करोड़ छप्पन लाख हुई हैं, वहां एडीशनल डिमाण्ड इस साल क्रियेट हुई है उसकी पूरी पूरी वसूली नहीं हो सकती। उसका मैं आपको ब्रेक-अप देना पसन्द करूंगा। जो एडीशनल डिमाण्ड क्रियेट हुई 1966-67 के अन्दर वह 260.56 है, उसके बाद में जो लेस रिकवरी हुई है वह 77.60 है, और अपील की वजह से नहीं हुई वह 51 है। तो इस प्रकार 11 की रिकवरी नहीं हो सकी उसमें से जो एडीशनल डिमाण्ड हमारे यहां क्रियेट हुई है, यह बैलेन्स आफ एडीशनल डिमाण्ड क्रियेटेड है, 122.45 और बाकी जितना रुपया है, जो हर साल बीस करोड़, अठारह करोड़, उन्नीस करोड़, सौलह करोड़ वसूल करते हैं, उसमें कुछ के अन्दर तो हाई कोर्ट से स्टे हो जाने की वजह से, रेवेन्यू बोर्ड से स्टे हो जाने की वजह से है, कई आदमी लापता हो जाते हैं, कई आदमी मर जाते हैं इन कारणों से कम डिपोजिट होता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां तक कर विभाग और कर विभाग के बारे में मुझे जो कुछ भी कहना चाहें वह कहें लेकिन मैं इतना निवेदन करता हूं कि बुरे आदमी को, बुरा काम करने वाले आदमी को बुरा कहना चाहिए। लेकिन इस कर विभाग ने इन वर्षों में जो कुछ भी एस्टीमेट्स हमने दिये हैं, उन एस्टीमेट्स को इन लोगों ने पूरा किया है, और यहां तक कि उससे ज्यादा वसूली की है, कम नहीं की है। उसके साथ जो हमारे एरियर हैं, उसके लिए बताया कि एक साल के एरियर एक करोड़ 2? लाख हुए हैं, बाकी पुराने एरियर हैं, जो भी वसूल किये जाने चाहिए। इसलिए जहां यह कर विभाग अठारह, बीस करोड़ को रेवेन्यू ईल्ड करता है, उसमें दो करोड़ की रेवेन्यू का एरियर 1960 से लेकर आज तक हो जाता है, तो यह

(श्री मथुरादास माथुर)

बकाया ज्यादा नहीं है। इस माध्यम के जरिये से अमूमन मेरी आदत नहीं यह कहने की, लेकिन क्योंकि यह बातें कही गई हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं और इस सदन के सदस्य भी इसकी ताईद करेंगे कि कर विभाग को बकाया की वसूली करनी चाहिए, लेकिन जो कर हम सेंक्शन करते हैं बजट के अन्दर उसकी यह सेंट परसेन्ट वसूली करते हैं, इसलिए इस कर विभाग के अधिकारी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

तीसरी बात जो उठाई गई, जैसा हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह क्लोज्ड केस है। मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कहूंगा, मैं अभी इस केस के राजनैतिक दृष्टिकोण और राजनैतिक पहलू में नहीं जाता क्योंकि इस सदन में इस पर बहुत बहस हो चुकी है। एक पाइन्ट मेरे विभाग से सम्बन्धित उठाया गया, इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्रीजी और मैं दोनों इस सदन में पहले दे चुके हैं इसलिए उसके बारे में दुबारा कह कर मैं सदन का समय फिजूल जाया नहीं करना चाहता। इतना मैं निवेदन कर सकता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो आर्डर डिस्मिसल का सदन की मेज पर रखा गया है और जिनका जिक्र आपने किया, उसका जिक्र मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में किया था वह आर्डर फाइनल है। माननीय जसराजजी, अजमेर में, जिस समय अजमेर स्टेट था, उस वक्त इस विभाग में मुलाजिम हुए थे, उस वक्त मुकर्रर करने का अधिकार चीफ कमिश्नर में था, राजस्थान में विलीनीकरण होने के बाद इस ओहदे के अधिकार, अपाइन्टमेंट के अधिकार, डिस्मिसल के अधिकार चीफ कमिश्नर को थे, अजमेर में इन पावर्स को चीफ कमिश्नर एक्सर्साइज करता था। लेकिन इन्टीग्रेशन करने के बाद सेल्स टैक्स कमिश्नर इन पावर्स को एक्सर्साईज करता है, उसका आर्डर हाई कोर्ट ने, कम्पीटेन्ट आथोरिटी ने रिफ्यूट नहीं किया है। नलीफाई नहीं किया है तब तक वह आर्डर रिकार्ड में फाइनल है। उसकी कानून में सेंक्टिटी है उसको माननीय सदस्य, आप जानते हैं, दौराने वकालत फरीकेन कई पाइन्ट उठा लेते हैं लेकिन जिस पाइन्ट पर फैसला नहीं हो जाय, वह पाइन्ट फाईनल समझा जाता है। इसलिए जो आर्डर हैं डिस्मिसल का, वह फाइनल है। पहले इन्टीग्रेशन आफ स्टेट के पहले, आप कह सकते हैं, कान्स्टेबल तक अपाइन्ट करने का अधिकार सोवरिन को था, रूलर को था, आज भी यह कहें कि यह अधिकार सोवरिन को है, इसलिए लेजिस्लेटिव असेम्बली जो सोवरिन में, इसलिए एक कान्स्टेबल का अपाइन्टमेंट भी लेजिस्लेटिव असेम्बली के प्रस्ताव से होना चाहिए या किसी व्यक्ति को अधिकार देकर उसके द्वारा होना चाहिए। तो वह आज हो नहीं सकता है। वह स्थिति खत्म हो गई। काम्पीटेन्ट आथोरिटी के द्वारा जो काम किया जाता है वह कानून के जरिये फाइनल आर्डर समझा जाता है। इसलिए इस आर्डर को फाइनल समझना चाहिए। आपने इस केस को प्रस्तुत करने में बहुत कष्ट किया। मुझे खुशी है कि आपकी वकालत की प्रतिभा है वह बढ़ी है और फैली है बारीक से बारीक पाइन्ट को निकाल कर रखने में। लेकिन बावजूद इसके होने पर, मै समझता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य काबिल वकील हैं, वह मुकदमे को कमजोर जानते हुए भी मुकदमे की बड़े जोर से पैरवी करते हैं ताकि जिसका कमजोर अन्दर ग्राउन्ड

(श्री मथुरादास माथुर)

है, वह छिप जाय। मैं समझता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उनको मेरी बात से संतोष हुआ होगा, वह इकबाल करें या नहीं करें लेकिन मैंने संतोष दिलाने की पूरी कोशिश की है।

इसके साथ साथ हमारे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने चांदी के जेवरात के ऊपर टैक्स कम करने को कहा है। चांदी के जेवरात के ऊपर दो परसेंट है और अगर बाजार में जाकर कोई चांदी के जेवर खरीदता हैं तो दो परसेंट टैक्स है।

मगर वे शायद समझ नहीं सके। कोई चांदी खरीदता है, बुलियन खरीदता है तो उस पर 1 परसेंट टैक्स है, उस चांदी के गहने घड़वा ले तो उस पर भी 1 परसेंट ही सेल्स टैक्स लगेगा। उनका कहना था कि बाजार में सीधे चांदी के जेवर खरीदता है तो 2 परसेंट सेल्स टैक्स लगेगा। तो यह तो सीधीसी बात है कि सीधे बने बनाये जेवर यदि कोई खरीदता है तो उसको तो अधिक देना ही पड़ेगा, 2 परसेंट सैल्स टैक्स उसे देना ही चाहिये। यह कर हमारे पड़ौसी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों से मिलता जुलता है। हमारी यह नीति है कि हमारे जो पड़ौसी राज्य हैं, उनसे हमारे करों का समानीकरण रहे। यदि किसी कर में दूसरे हमारे पड़ौसी राज्यों से एक प्रतिशत का फर्क हो तो वह कोई ऐसी बात नहीं। पर हमें देखना यह है कि राजस्थान में ऐसी कोई कर की दर नहीं की जाय कि दूसरे हमारे पड़ौसी राज्यों से वह दर ज्यादा हो जिससे की हमारे सेल्स टैक्स की चोरी हो, हमें सेल्स टैक्स प्राप्त न हो। दिल्ली से कोई खरीद कर लाये, वैसे कोई सैर करने दिल्ली गया और कुछ सामान खरीद लाया, वह बात अलग है पर कोई दिल्ली में करों की दर कम होने के कारण दिल्ली जाय और वहां से सामान खरीद कर यहां आये और जो आने जाने का भाड़ा और खर्चा लगा उसको काटने के बाद भी वह यहां के बाजार भाव से उन चीजों को सस्ती दर पर बेच दे और हमारे सेल्स टैक्स की चोरी हो जाय, ऐसी सेल्स टैक्स की दर यहां पर नहीं होनी चाहिये। यह हमें देखना है। वैसे दिल्ली राज्य के स्पेशल सर्कमस्टान्सेज हैं, वहां लेंड रेवेन्यू की इन्कम नहीं है, सेल्स टैक्स आदि की ही इन्कम है, वहां सेल्स टैक्स की कम दर से ज्यादा टर्न ओवर हो और ज्यादा सेल्स टैक्स मिले, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, दिल्ली की एब्नोर्मल काम्प्लीकेसी है, मैं दिल्ली की सब नकल नहीं करता। मैंने दिल्ली वालों को भी कहा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सब मिलकर सेल्स टैक्स की दरों में समानीकरण करें, मिटिंगें भी हम करते हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी कोशिश यह रहती हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों की दरों में और हमारी दरों में ज्यादा डिफरेन्स नहीं हो हमें हमारे यहां मोटरों में, आटोमोबाइल्स में फर्क नजर आया तो हमने हमारे यहां सेल्स टैक्स की दर को कम कर दिया। तो हम सब बातें देखकर हमारी कर नीति को निर्धारित करते हैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां नहीं हैं, मैं समझता हूं अब वे इसे कम करने को नहीं कहेंगे।

(श्री मथुरादास माथुर)

जो अमेंडमेंट मैंने रखा है, यह जयपुर के जवाहरात वालों के लिये फायदे का है, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके, सब तरह की पूछताछ करके, उनके रिप्रेजेन्टेशन का साल भर अध्ययन करके यह किया गया है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को उनका सहयोग मिलेगा और राज्य सरकार चाहती है उतने कर इससे मिलेंगे तो इस कानून से हमें फायदा मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): एक स्पष्टीकरण कर दें। सेल्स टैक्स को अबोलिश करके किसी दूसरे सरल माध्यम से कर वसूल करने के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के स्तर पर कोई बातचीत चल रही है कि सेल्स टैक्स को अबोलिश कर दिया जाय और दूसरी व्यवस्था से कर वसूल किया जाय, ऐसा कोई विचार, या डेलिबरेशन सेन्टर और राज्यों के बीच में चल रहा है क्या, जिससे कि सेल्स टैक्स की सारी दिक्कतें दूर हो जायं ?

श्री मथुरादास माथुर: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि गत नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की बैठक के समय यह प्रश्न उठा था। राज्य सरकार बार बार केन्द्रीय सरकार को कहती रही है कि सेल्स टैक्स को हटा दिया जाय और मेन्युफेक्चरिंग स्टेज पर ही एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाय जैसे शुगर वगैरह में है। तो जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है, हम इसमें आपत्ति नहीं समझते पर हमारे पड़ोसी दूसरे प्रान्तों की सरकारों को इसमें विरोध है और अभी तक भारत सरकार को तरफ से इस बारे में कोई इनिशियेटिव नहीं लिया है। क्योंकि मुख्तलिफ राज्यों में इस सम्बन्ध में मतभेद है। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने वित्त मंत्रीजी को एक पत्र लिखा है. उसकी प्रतिलिपि मेरे पास भी आई है और मुख्य मन्त्री के पास भी आई है। शुगर डिपोज के बारे में सेन्टर को एक्साइज ड्यूटी का कह दिया था, बाद में जो हिस्सा उसका हमें मिलता है, उसके बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि वह हमें वापिस दे देना चाहिये, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी से जो हमें मिलता है, उससे कई गुना हम सेल्स टेक्स से ले सकते थे। मीटिंग में भी उन्होंने जोर दिया था और पत्र भी लिखा है।

इसलिये इस सम्बन्ध में काफी मतभेद हैं और कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्रीमती सभानेत्री: प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

(श्रीमती सभानेत्री)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को पारित किया जाय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभानेत्री महोदया, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बड़े तार्किक ढंग से बसों और ट्रकों के ओनर्स को सुविधाएं देने के नाम पर, बसों और ट्रकों के टायरों और ट्यूबों पर बिक्री कर में छूट दी । पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने आपको समाजवादी कहने वाली सरकार ने जहां बसों और ट्रकों के टायर और ट्यूबों पर सैल्स टैक्स की छूट दी है वहां मजदूर और किसान साइकिलें चलाते हैं, वे मजदूर अपने पापी पेट की भूख को मिटाने के लिये ठेले चलाते हैं, उन ठेलों और साइकिलों के टायरों और ट्यूबों पर सैल्स टैक्स में किसी प्रकार की छूट क्यों नहीं दी ?

दूसरा प्रश्न, माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि वाणिज्य कर विभाग में शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट है, इसमें से 4 व्यक्तियों को लिया गया है, जो चारों ही मैट्रिक्युलेट हैं, इन चारों को इन्स्पेक्टर की पोस्ट पर सहायक वाणिज्य कर अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्त किया जबकि उनकी पोस्ट के लिये योग्यता निर्धारित की गई है वह ग्रेज्युएट होने चाहिये, पर इनको मेट्रिक्युलेट होते हुए भी शीप एण्ड वूल से लिया । इसी प्रकार से आपने सहकारी विभाग से एक निरीक्षक श्री माथुर जो आपके छोटे साढू हैं, उनको लिया है, उनकी योग्यता भी ग्रेज्युएट नहीं है पर उनको जयपुर के अन्दर मनोरंजन कर निरीक्षक के रूप में लगाया है । आपने इस प्रकार सैल्स टैक्स विभाग की नियुक्तियों के नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां की हैं ।

इसी तरह से श्री हुक्माराम जो कि कांग्रेस के एक विधायक के दामाद हैं, उनको लिया है, उनकी योग्यता क्या है । जो इस पोस्ट की योग्यता के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने नियम बना रखे हैं, उन नियमों के विपरीत आपने यह नियुक्ति कैसे की है ।

इतना ही नहीं, सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1964 में जिन व्यक्तियों को इन्स्पेक्टर्स की पोस्ट्स के लिये चुना था, और जिनका प्रोबेशनल पीरियड समाप्त हो गया था, उसकी समाप्ति के बाद भी आज तक उनको स्थाई क्यों नहीं किया ? उनके स्थान पर 1967 में आपने नया आदेश जारी किया, उस नये आदेश को जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? 1964 में जो व्यक्ति इन्स्पेक्टर्स की पोस्ट्स के लिये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त हुए थे, उनका दो वर्ष का प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया, उनको तो नियुक्त नहीं किया और 1967 में नया आदेश जारी किया, उस आदेश के आधार पर 31 व्यक्तियों की नियुक्ति की । 64 में पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सैलेक्ट हुए, उनको क्यों नहीं कन्फर्म किया, उनके स्थान पर 31 की

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
नियुक्ति नये आदेश से कैसे की ? किस आधार पर आपने ये नई नियुक्तियां कीं ? इन नियुक्तियों के कारण पुराने लोगों के अधिकार मारे गये, उनकी सीनियोरिटी समाप्त हुई, अब उन लोगों की क्या हालत होगी ? उनकी सीनियोरिटी कैसे काउन्ट की जायगी। इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(2 म. र.)

दिनांक 27-12-67 को जिन व्यक्तियों को आपने सहायक बिक्री कर अधिकारी के पदों पर पदोन्नत किया और उनसे पहले जो व्यक्ति थे उनको आपने क्यों नहीं पदोन्नत किया. उनकी सीनियोरिटी का क्या होगा ? उनके अधिकारों का क्या होगा ? और आपने जो नाना प्रकार के एक एक दिन में दो दो आदेश जारी किए, उनकी प्रतिलिपियां भी मैंने कुछ दिन पहले सदन की मेज पर रखीं। क्या उन प्रतिलिपियों का आपने अध्ययन किया ? उनका स्पष्टीकरण करने का कष्ट करेंगे ? एक ही विभाग है। सहायक वाणिज्य कर अधिकारी और उनकी नियुक्ति राजस्थान पी. एस. सी. द्वारा की जाती है और इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति जो राजस्थान पी. एस. सी. द्वारा नियुक्ति की जाती थी, उनको आपने पी. एस. सी. के जुरिस्डिक्शन से क्यों निकाला ? इन सारे मुद्दों पर ध्यान देने से एक ही बात नजर आती है कि आपने नियुक्तियों को राजनैतिक आधार पर किया, जिसके कारण सेल्स टैक्स और एक्साइज विभाग के सहायक वाणिज्य कर अधिकारी और इन्स्पेक्टर्स के बीच में, जो नियुक्तियां हुई, उनमें काफी झगड़ा हो रहा है। इस कारण कई इन्स्पेक्टर्स के अधिकार मारे गए और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो राजस्थान पी. एस. सी. से 1964 के अन्दर सिलेक्ट हुए थे, उनको आज तक किन कारणों से, जिनका दो साल का प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया, उनको आज तक क्यों नहीं ऐसे पदों पर नियुक्ति किया और उसके बाद 31 आदमियों को स्थाई किया, उसका क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर (श्री रामकिशन के खड़े होने पर) : आपको थर्ड रीडिंग पर बोलना शोभा नहीं देता।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : जो छूट मोटर के टायरों पर दी गई है, उसके लिए मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। जो चमड़ा कानपुर से आता है, उस पर बिक्री कर लिया जाता है और जो गांवों से चमड़ा लिया जाता है, उस पर डबल बिक्री कर लिया जाता है और किसी नमूने से वह कर वसूल किया जाता है। इतना ही नहीं जूतियों के चमड़े पर जो कर लगता है वह ज्यादा है और बड़े अन्याय की बात है। इसके अलावा पुरानी बोरियां हैं जिनको 3-4 बार बदली हुई उन पर आपने करीबन 4-5 बार कर लगाया है और 4-5 बार वसूल की जाती है। सेल्स टैक्स मंत्री, एक्साइज मंत्री ने विश्वास दिलाया था। कि इन पर कर नहीं लिया जायगा। आपने गरीबों पर डबल कर लगाया। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग 5-6 रुपए का चमड़ा लाकर जूती बनाएं और उन पर सेल्स टैक्स लगाएं, कितना उनके साथ अन्याय है। यह हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स पर जुल्म का टैक्स थोपा गया है। वित्तमंत्री ने जो बोरियों पर टैक्स लगाया है

Page No.71

(श्री परसराम गंगाराम)

या आले चमड़े पर, वह वाजिब नहीं है। वित्त मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हरिजनों का सवाल है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हरिजनों के वास्ते जो टैक्स लगाया है कच्चे चमड़े पर, जो जूतों बनाते हैं, उन पर कर हटाया जाय और पुरानी बोरियों पर से भी कर हटाया जाय।

श्री डूंगाराम (दौसा–सु.) : सभापति महोदया, शिड्यूल्ड कास्ट्स का जब एक सदस्य बोलने लगा और कच्चे चमड़े के लिए मंत्रीजी से निवेदन किया तो ध्यान ही नहीं दिया, क्या उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा। आप उसका स्पष्टीकरण किस रूप में करेंगे? यह रवैया है आपका इन जातियों के प्रति और फिर आप कहते हैं कि आप हमारे प्रति उदारता बरतते हैं। मेरा निवेदन भी कच्चे और पक्के चमड़े के बारे में है। कच्चे पक्के, दोनों पर जो सैल्स टैक्स लगाया हुआ है, वह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जूतों पर टैक्स लगाया। एक चीज पर कई बार टैक्स ले लेना कहां तक उचित है। दूसरी बात जो चमड़े की रंगाई के काम में बबूल आता है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक भेड़ बकरी का चमड़ा है, उनमें पहले आप जानवर पर टैक्स लेते हैं। नगरपालिका उन पर एक रुपया प्रति जानवर पर टैक्स लेती है, उसके बाद में कच्चे चमड़े पर टैक्स ले लेते हैं। कच्चे माल के अलावा फिर पक्के पर लिया जाता है। तो कई प्रकार के टैक्सिज जो चमड़े पर लिए जाते हैं। यह जो छोटा चमड़ा भेड़ बकरी का है इस पर कितना प्रतिशत टैक्स लेना चाहिए और कितनी बार लेना चाहिए इसका स्पष्टीकरण करें। अगर आप 5–5 बार चमड़े पर टैक्स लें तो 15–20 प्रतिशत हो जाता है। चमड़े की कीमत को देखते हुए इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए।

ऊन का भी उनसे आप 3 प्रतिशत टैक्स वसूल करते हैं, वह कच्ची ऊन पर लेते हैं, उधर ऊन से धागा जो बनते हैं उस पर एक प्रतिशत टैक्स वसूल करता है। या तो आप धागे पर लो या कच्ची ऊन पर लो। 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत ज्यादा है, यह कतई नहीं होना चाहिए। यह छोटी जातियों का पेशा है, मंत्री महोदय के पास यह बदबू का पेशा हो तो वह ठहरेंगे भी नहीं एकदम भाग जायेंगे। इसलिए इसको आप टैक्स से मुक्त करें। सरकार अगर पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहन देना चाहती है और आपकी नीति है पिछड़े वर्ग को सुविधायें देने की तो पहली बात यह है कि चमड़े को बिल्कुल टैक्स से मुक्त करो।

(घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि इस कर को मंत्री महोदय वापस ले लें।

श्री रामकिशन (वैर) : सभानेत्री महोदया, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगी जिससे मंत्री महोदय को तकलीफ हो। मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है, खास तौर से चाहे जनमत की दृष्टि से कहूं या व्यापारियों की दृष्टि से कहूँ लेकिन दो चीजें हैं, एक तो एकदम टैक्स लेने की प्रवृति, उस प्रवृत्ति का मैं विरोध करता हूं उसका कारण यह नहीं है कि राज्य सरकार किसी प्रकार से व्यापारियों को सुविधायें देना चाहती है या वह असुविधा के कारण है। सरकार जब इस प्रकार का

(श्री रामकिशन)

खर्चा और पैसा ले लेती है उस संबंध में टैक्स वसूल करने के आफिसर्स की प्रवृत्ति शायदा वह सही असेस नहीं कर पाते । मैं लम्बे समय से इसका विरोधी हूं । राजस्थान के विकास के लिए पैसा जरूरी है और सारे दृष्टिकोणों को नजर में रखना पड़ेगा जिससे अधिक से अधिक बगैर असुविधा के पैसा मिले सके ।

दूसरी बात विधान सभा से सरकार अधिकार ले लेती है समय समय पर टैक्स लगाने का । मैं समझता हूं कि दोनों प्रवृत्तियां खराब हैं । लोकतन्त्र में सरकार को ऐसे अधिकार नहीं लेने चाहिए । यह सरकार का पहला धर्म है जब एक नया पैसा भी सरकार खर्च करें तो विधान मण्डल के सामने आये । क्योंकि हम जिस स्थिति में सरकार को अधिकार देते हैं कि सरकार कभी जरूरत पड़े तो सरकार खर्च को घटाये-बढ़ाये । नोटिफिकेशन के द्वारा लगा देते हैं, उससे असुविधा हो जाती है । माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह अधिकार लेने की चेष्टा की है, उसका मैं विरोध करता हूं । बिक्री कर हमारे राजस्थान का ही नहीं सारे देश की आमदनी का जरिया है और राजस्व को सबसे ज्यादा यही बढ़ाता है । यह एक ऐसा विभाग है जिससे आमदनी होती है लेकिन इस आमदनी के साथ साथ यह देखना पड़ेगा कि यह घटे नहीं । जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनके समान हो । हमारे वित्त मंत्रीजी ने माना भी है । उन्होंने मोटर व्हिकल्स पर टैक्स बढ़ाया, हमने सदन में उसका विरोध किया । हमने उन्हें यह कहा था कि इससे व्यापार दूसरी तरफ डाईवर्ट हो जायगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको महसूस किया और उन्होंने इस पर टैक्स घटाया । हमने यह कहा था जो इस प्रकार के टैक्स बढ़ा देते हैं उससे राज्य की आमदनी बढ़ने के बजाय घट जाती है । क्योंकि इस प्रकार के कर अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे राज्य में ज्यादा हैं । हमारी आमदनी के सोर्सेज, आमदनी के स्रोत हैं वह बढ़ें, इसके लिए विचार करना चाहिए । खासतौर से पड़ोसी 4–5 राज्यों में है, उनसे हमारे यहां ज्यादा हैं । वित मंत्रीजी यह घोषणा करें और राज्य की नीति स्पष्ट कर दें, बढ़ने और घटने के बारे में स्पष्ट निर्णय हो जाय कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें टैक्स बढ़ता है तो हमारे यहां भी टैक्स बढ़ा दिया जाय और पड़ोसी राज्यों में कम है तो हमारे यहां भी टैक्स घटा दिया जाय । राज्य सरकार कैसे विचार विमर्श करें, बजट में प्रावधान है । मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री जी की विवशता है, दिक्कत है । लेकिन जो औपचारिक है उससे साफ हो जायगा सोमावर्ती जो जिले हैं जैसे भरतपुर है, वहां के छोटे छोटे व्यापारियों की बार बार शिकायत हो जाती है जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है जितनी आमदनी बिक्री कर से हुई है उतनी किसी दूसरे सीगे से नहीं हुई है । 32 करोड़ का जो लक्ष रखा था वह पूरा नहीं हुआ है लेकिन आपके बिक्री कर से जो 3 करोड़ 72 लाख वसूल करते थे वह तीसरी पंच वर्षीय योजना में वह आमदनी 18 करोड़ पहुँच गई । हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वह अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा ऊंचा है । प्रति व्यक्ति जो टैक्स पड़ता है वह अन्य राज्यों से ज्यादा है । वित्त मंत्रीजी जवाब देते वक्त कहीं ऐसा न करें कि राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है और फिर अन्य दूसरे जो औद्योगिक राज्य हैं उससे तुलना कर दें । उनसे तुलना हमारे राजस्थान की नहीं की जा सकती है । हमारे राज्य की तुलना गुजरात, महाराष्ट्र

(श्री रामकिशन)

से नहीं की जा सकती है। असल में हमारे जो खेती वाले राज्य हैं, उन राज्यों के मुकाबले तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि राजस्थान में बिक्री कर प्रति व्यक्ति सब राज्यों से ज्यादा है। महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य है, उसकी अवस्था बिलकुल दूसरी है। यह टैक्स सभापति महोदया, सबसे ज्यादा हमारे राज्य में है। इसकी तुलना करें तो देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में 7-16 है, मैसूर में 6-44 है, बिहार में 5-26 है, मध्य प्रदेश में 7-14 है, उड़ीसा में 7-29 है, उत्तर प्रदेश में 7-43 है। राजस्थान को लेते हैं तो हमारे 66-67 के वर्ष में यह 7-4 आता है और जो अब अन्दाज लगाया है वह 9·25 पहुँच गया है। प्रति व्यक्ति टैक्स का भार ज्यादा है। हमने टैक्सों को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है तो आमदनी घटती है। वित्त मंत्रीजी ने इसको ध्यान में रखा है और टैक्स कम करने की घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस दृष्टि से उनका विरोध है कि उन्होंने किसी एक वर्ग का समर्थन किया है। सारे वर्गों का समर्थन प्राप्त करते तो अच्छा होता। उन्होंने इस बात में तो अपना कमाल दिखाया है। लेकिन साधारण उपभोक्ता के सामान पर टैक्स कम करते तो छोटे आदमियों को सस्ता भोजन मिल सकता था। उन्होंने तो एक तीर से दो ही नहीं 15 शिकार किये हैं, कि टैक्स कम कर रहे हैं। आपने पान पर टैक्स कम किया है, अब सारी जनता तो पान खाती नहीं। उन्होंने सभापति महोदया दो चार वर्गों को खुश किया है और इस सदन में दो चार व्यक्तियों को खुश किया है। मैं तो कहता हूं इस सदन का नहीं बल्कि इस तरह का टैक्स कम करके जो नगर वधूयें हैं, उनकी भी प्रशंसा प्राप्त कर ली है। उनका भी समर्थन प्राप्त करने की वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है . . .

श्री भैरोंसिंह : यही शायद आपके जलन का कारण है।

श्री रामकिशन : आखिर वित्त मंत्रीजी ने बिक्री कर में कमी की है तो पान ऐसी चीज नहीं है जो आम जनता उपयोग में लाती हो, गरीब को आवश्यकता है नहीं तो फिर क्या धार्मिक दृष्टि से किया है कि हिन्दू सभ्यता में पान का बहुत महत्व है और वह हर जगह काम में आता है। लेकिन इस दृष्टिकोण को तो स्वीकार नहीं करता उन्होंने तो दूसरे दृष्टिकोण से ही विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। एक सभापति महोदया, राज्य में बच्चों को ताजा दूध नहीं मिलता है और जो बन्द डिब्बे में दूध मिलता है उसको 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया है। मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे कितने बच्चे हैं जो टीन का दूध पीते हैं। कुछ वर्ग के लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, आम लोग इसका कतई उपयोग नहीं करते हैं। बकरी, गाय, भैंस का दूध ही लोग उपयोग में लाते हैं। मैं तो मध्यम वर्ग के लोगों को शामिल करता हूँ और उनकी ही बात बता रहा हूं। इसका उपयोग तो बहुत कम करते हैं। मेरी दृष्टि से तो इसका उपयोग एक तो वे करते हैं जिनके माता नहीं है, जिनके मां मर जाती है और उनको मां का दूध नहीं मिल पाता है और वे टीन के दूध का उपयोग करते हैं अगर आपने उन बच्चों के लिये किया है तो वास्तव में मैं आपका आभारी हूँ लेकिन यह भी मैं जानता हूं कि आपने इस

(श्री रामकिशन)

दृष्टि से नहीं किया है। दूसरे यह उन बच्चों के उपयोग में आता है, जिनके माताएं तो हैं; लेकिन बीमार हैं। बीमारी के कारण वे अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती हैं या बीमारी के कारण उनके दूध नहीं होता है—सूख जाता है या और कोई बात हो जाती है, उन बच्चों के लिये आपने नहीं किया है। अब एक तीसरा वर्ग है जिनके माताएं भी हैं, स्वस्थ भी हैं लेकिन वे बच्चों को इसलिये दूध नहीं पिलाती है कि कहीं उनके अंग कमजोर न हो जायं, उनका जो गठा हुआ बदन है वह कहीं खराब न हो जाय सुन्दरता न चली जाये, बदन में जो आकर्षक है वह कम न हो जाय। इन तीनों बातों में मैं पहली दो बातों को अच्छी तरह से जानता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने पहले दो बातों की ओर तो कोई ध्यान नहीं रखा है, उन्होंने उस दृष्टिकोण को तो जाना ही नहीं है लेकिन सुन्दरता की जो सभ्यता है वह कहीं नष्ट न हो जाय, यूरोपियन सभ्यता को······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक केटेगरी रह गई, जिनके बच्चे नहीं पीते बड़े पी जाते है।

श्री रामकिशन : आखिर में सरकार से कहना चाहता हूं। इससे दस परसेंट से ज्यादा मातायें भी नहीं आयेंगी। उच्च मध्यम वर्ग है लेकिन वह दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। इस तरह से इस पर टैक्स लगा रहता है तो राज्य को आमदनी होगी और विकास के काम में आयगी। इस तरह से आपने इस में छूट दी है उससे किसी को लाभ नहीं हुआ है इस तरह से आपने दो चार प्रतिशत लोगों का समर्थन पाने की कोशिश की है इससे और ज्यादा लाभ नहीं।

इसके अलावा आपने दो तीन चीजों पर जैसे कुम्हार, बढ़ई, ठठेरा जवाहरात आदि पर कर की राहत दी है। ये दो तीन तरह के व्यवसाय हैं। इसमें आप बड़े व्यापारियों से टैक्स लें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी गरीब लोगों के लिये आपने सेल्स टैक्स एक्ट के सिम्प्लीफिकेशन की बात कही है उससे मैं सहमत हूं। इसके अलावा आपका विभाग राजनैतिक कारणों से भी टैक्स वसूल नहीं करता है इसकी वजह से आपने 21 करोड़ का अनुमान लगाया है मैं समझता हूं यह पच्चीस तीस करोड़ तक बन सकता है वह पूरा आजाने पर राज्य सरकार को और कोई टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसमें राजस्थान नहर का भी काम पूरा हो सकता है। कई बार आप टैक्स वसूल करने में राजनैतिक कारणों से दब जाते हैं। मैं आपको बताऊं तीन चार साल पहले नीम-का-थाना के एक विशेष परिवार के यहां प्रसेस हुआ जिसके यहां चार पांच लाख का असेसमेन्ट हुआ लेकिन उसको दबा दिया गया। इससे यह साबित होता है कि शासक अपने आदेशों का भी पालन ठीक प्रकार से नहीं करवा सकता। जहां शासक अपने उज्वल चरित्र के लिये आदर्श उपस्थित कर सकता है वह, अपने आदेशों के पालन करवाने में असमर्थ होता है तो उसका असर अच्छा नही पड़ता। दूसरा चुनाव के दिनों में घोषणा की गई कि हम कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप कहेंगी कि वह भूतपूर्व वित्त मंत्री का काम था किसी भी वित्त मंत्री का हो टैक्स की कोई चोरी करता है चाहे वह सरकार का समर्थक भी हो चाहे उसका विरोधी हो, कभी भी किसी को माफ

(श्री रामकिशन)

नहीं करना चाहिये। मैं कर न देने वालों को राष्ट्र का द्रोही मानता हूं। मैं चीन के आक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक उसको मानता हूं। चीन को हम पराजित कर सकते हैं जब हमारे देश की आमदनी बढ़ जायगी नये नये हथियारों के लिये हमारे पास पैसा होगा हम छीनी हुई भूमि को वापस ले लेंगे। आज कांग्रेस के उत्थान का समय नहीं अब पतन का समय आगया है। कांग्रेस आज गिरावट की ओर जा रही है आपको चाहिये कि इन सालों में आप कोई बढ़िया आदर्श उपस्थित करें ताकि आने वाली दूसरी पार्टियों के सामने एक मिसाल बन सके, नहीं तो क्या होगा जनता उनको भी जल्दी ठुकरा देगी। यह तो आप मानकर चलिए कि आने वाली दूसरी पार्टियां भी कोई दूध की धुली हुई पार्टियां नहीं हैं। अगर आप बढ़िया आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन दूध की धुली हुई पार्टियां ही सत्ता में आये। इसलिये आप इसका ध्यान रखें।

रेडियोज को मैं मानता हूं यह आराम की चीज नहीं हैं पंखे आराम की चीज नहीं है। रेडियो और पंखे जिनको और आराम की चीजें माना जाता था वह आज मध्यम वर्ग का प्रतीक बन गये हैं। रेडियों पर टैक्स उत्तर प्रदेश से हमारे यहां ज्यादा है। इसलिये व्यवसायी कोई आगरा जाकर लाना पसन्द करता है डेढ रुपया बस का दिया वह वहां से ला सकता है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें आप एक रूपता लाने की चेष्टा करेंगे।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि आपने पान पर टैक्स जो माफ किया है उसको वापिस लेंगे। इससे आपने दस बारह रोज मुख्य मंत्रीजी को खुश कर लिया वह बहुत है। नगर वधुओं को खुश कर लिया यह ठीक है. जनसंघ वालों को खुश कर लिया बहुत है। इससे भी पान की कीमतें गिरी नहीं। आपके बजट में घाटा ही गया है यह कोई बड़ी छूट भी नहीं। इससे तो आप उपभोक्ता सामग्री पर छूट देते तो जनता को वह सहती और सुलभ होती, तो ज्यादा ठीक रहता।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): इस विधेयक को पारित करने से पूर्व दो तीन माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे उस बारे में किसी ने कोई खास मुद्दा नहीं उठाया जिसका कि मैं उत्तर दूं। सिवाय दो तीन अहम मसले हैं एक तो चमड़े के ऊपर कर लगाया कच्चा चमड़ा इसका भी जिक्र किया गया। हमारे राजस्थान के अन्दर मटेरियल पर एक परसेन्ट टैक्स है। कोई चमड़े का व्यवसायी अगर चमड़े के जूते बनाकर बेचता है तो उस पर एक पर्सेन्ट टैक्स है माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे मैं कहना चाहता हूं चमड़े से अगर कोई चीज बनाकर बेचता हो तो जैसे लग्जरी गुड्स जैसे चमड़े के बैग हैं, चमड़े की अटेची हैं तो उस पर टैक्स लगेगा ही। लेकिन लग्जरी गुड्स नहीं बनता है तो खाली चमड़े पर रा मटेरियल की तरह एक पर्सेन्ट टैक्स रहता है। चमड़े की चीज बनाकर बेचता है और उसका टर्न ओवर दस हजार रुपये से कम है तो वह कर से मुक्त है। जब चमड़ा बेचता है चमड़े को मेन्यूफेक्चर करके उससे चीजें बना लेते हैं और उस पर व्यापारी टैक्स देता है तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट का सम्बन्ध है इसमें कोई बेजा बात नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ऐसा कोई व्यापारी नहीं जो चमड़े का बड़ा धन्धा करता हो।

श्री मथुरादास माथुर : चाहे चमड़े का धन्धा ही करने वाला हो लेकिन जब तक उसका दस हजार तक का टर्न ओवर न हो उस पर कोई कर नहीं है। लेकिन जो चमड़े से चीजें बनाते हैं जैसे सूटकेस, अटेची, या जूते बनाते हैं उनको चमड़े के नाम पर टैक्स माफ करना, मैं समझता हूं कोई पसन्द नहीं करेगा।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल-सु.) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं-

श्री मथुरादास माथुर : जो जूते हाथ से बनाते हैं उनके ऊपर टैक्स माफ है। ऐसी सूरत के अन्दर आपकी कठिनाई अपने आप हल हो जाती है चमड़े के नाम पर बड़े बड़े व्यापारी लाभ उठाना चाहें उसको मैं मंजूर करने वाला नहीं।

श्री गोकुलचन्द जाटव : सभापति महोदया, वित्त मंत्री महोदय ने इस बात की घोषणा की है कि पहले चमड़े पर तीन प्रतिशत कर था क्या उसको तीन से घटाकर एक कर दिया है ?

दूसरा मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 52 विधायकों ने एक पत्र पर दस्तखत करके आपको दिया था जिसमें कहा गया 56 में इस एक्ट में जिस प्रकार संशोधन हुआ उसके आधार पर हाथ से बने चमड़े पर टैक्स नहीं लिया जाता है लेकिन बराबर टैक्स लिया जाता रहा है। मैंने खुद ने वित्त मंत्री महोदय के सामने एक आदमी ले जाकर कहा इससे टैक्स लिया गया जिसको वापिस करवाया गया। चमड़े की डेफीनेशन में यह हाथ से बना, कच्चा पक्का सब रा मटेरियल है। कच्चा चमड़ा वह है जो मवेशी की खाल से निकाला जाता है, पक्का उनको रंग करके साफ कर दिया जाता है। इस पर आप एक पर्सेन्ट लगा दीजिये। दूसरा कच्चा और पक्का सब चमड़ा आ जाता है, इसके अलावा आपके आदेशों का बराबर पालन नहीं होता।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने कहा कि टैक्स लौटा दिया गया यह अपने आप में सबूत है कि इस पर टैक्स नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : नागरमल धरमचन्द थोई वाले से इस विभाग के अधिकारियों ने 700 रु. दुबारा जमा कराये। उन्होंने जमा करा दिये। रसीद ले ली। 30 तारीख को सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी वहां आये और कुछ चपरासी साथ लाये और अटैचमेन्ट करने लग गये और कहा कि 700 रु. लाओ। व्यापारी ने कहा कि मैंने रुपया जमा करा दिया है रसीदें मेरे पास हैं, मेरा भाई अभी यहां है नहीं, रसीदें उसके पास हैं। मैं आपको रसीदें थोड़ी देर में पेश कर दूंगा। पर उन्होंने कुछ सुना नहीं और सामान दुकान से बाहर निकालने लग गये और दुबारा रुपया वसूल किया। मैं उसकी चार रसीदें यहां सदन में पेश करता हूं।

इस तरह से ये लोग जनता को तंग करते हैं। इससे भ्रष्टाचार को भयंकर प्रोत्साहन मिलता है। शिकायत इनके खिलाफ करते हैं तो कोई सुनता नहीं। आप इसका जांच करें और जिस अधिकारी का दोष साबित हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि आगे से दूसरों की हिम्मत न पड़े।

(श्री मोहनलाल मोदी)
सेल्स टैक्स विभाग को जो डाइरेक्ट वसूली के अधिकार दिये हैं के वापिस लिए जावें। क्योंकि इस विभाग वाले टारगेट को पूरा करने के लिए व्यापारियों के साथ जबर्दस्ती करते हैं इस जुल्म को रोका जावे।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे आप लिख कर सब बिगत दे दें। मैं केस देख लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): यह मामला गम्भीर है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह रहा हूं कार्यवाही की जावेगी। चमड़े के टैक्स के बारे में मैंने स्पष्ट किया है कि हाथ से बनी हुई चीजें जो चमड़े से बनती हैं उन पर टैक्स नहीं है।

श्री डूंगाराम : सभापति महोदय ऐसा नहीं है, ये बाहर के लोगों को देहात के लोगों को बड़ा तंग करते हैं और छोटे छोटे चमड़े के काम करने वालों से टैक्स वसूल करते रहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कानून की मंशा के खिलाफ कर लिया जाता है तो इसके बारे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री डूंगाराम : छोटा आदमी कानून को क्या समझे और कहां जावे। दो चार दस बीस रुपया लूट ले जाते हैं और वह बेचारा चुप होकर बैठ जाता है। यह सब जगह का हाल है। गांव गांव का किस्सा है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे खेद इस बात का है कि जब कानून की मंशा यह है तब इसके बारे में यह बात कह कर कि कुछ को तकलीफ हो जाती है कुछ अधिकारी ऐसा कर लेते हैं तो क्या इसके लिए कानून बन्द कर दिया जावे। आप यह चाहते हैं यह दलील तो मेरी समझ में नहीं आती।

श्री डूंगाराम : फिर आप यह न कहें कि छोटे व्यापारियों को छोड़ दिया।

श्री मथुरादास माथुर : आप कोई बात समझने की कोशिश करिये। इसके बाद तकलीफ हो तो कहिये। हाथ से चमड़े से जब बनाते हैं तो टैक्स नहीं लगता है।

श्री डूंगाराम : धन्धे ये कई प्रकार के हैं। मैं प्रार्थना करता हूं गांवों में कच्चा चमड़ा रखते हैं फिर भी उनसे टैक्स वसूल कर लेते हैं। अब वे कहां मारे मारे फिरें। आप अपने अधिकारियों को कुछ नहीं कहना चाहते।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने जो कहा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि साफ बात नहीं थी। हैण्ड मेड लेदर गुड्स पर टैक्स एग्जम्प्ट है। इसके बाद में इसके अलावा जो मशीन से बनते है उसके ऊपर भी टर्न ओवर पर है।

इसके अलवा अगर कानून के खिलाफ कुछ कोई करता है तो आप ध्यान में लाइये।

•

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): मैंने निवेदन किया उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कोई टैक्स एग्जम्पट करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। यह तो स्टेज बहुत पहले निकल चुकी है। बजट की बहस भी निकल चुकी। अब तो एक परटीकूलर टैक्स के बारे में राज सरकार ने अपनी बात आपके सामने रखी है। अब मान

Page No.78

(श्री मथुरादास माथुर)

नीय सदस्यों ने अपने प्रवचनों से हमें लाभ पहुंचाया इसलिये कह रहा हूं कि कभी का कोई अनाउन्समेन्ट कर दूंगा ऐसी बात नहीं है।

श्री देवदत्त गाडिया : टायर ट्यूब पर आपने टैक्स कम किया है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आप उनकी कठिनाई को हल नहीं करना चाहते। अपने अफसरों को जो ऐसा करते हैं सजा नहीं देते। आपके हुक्म की अवहेलना होती है। पर आपको गुस्सा नहीं आता है।

श्री मथुरादास माथुर माननीय सदस्य के दिमाग में एक केस आता है तो समझ लेते हैं कि यह राज्यव्यापी है। आपने एक केस बताया आप और बताएं उसमें और कार्यवाही करेंगे। यह समझने की बात है।

मैं यह कह देता हूं खासतौर से कि अगर कोई अधिकारी अगेन्स्ट रूल्स टैक्स ले लेता है तो शिकायत करनी चाहिये। हम जांच करेंगे। कभी कभी इन्टरप्रीटेशन में भी अफसर से गलती हो जाती है।

अब जैसे पान को कर मुक्त किया तो न तो किसी सदस्य की प्रशंसा लेने के लिये जैसे जनसंघ के माननीय सदस्य पान ज्यादा खाते हैं तो सोशलिस्ट सदस्य नहीं खाते। वे प्रशंसा नहीं कर सकते। तो यह तो उनके शोक का प्रश्न है।

श्री देवदत्त गाडिया : ये तो उबासी ज्यादा खाते हैं, पान नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : कोई यदि ज्यादा दूध पी जाता है तो माफ करना पड़ता है। अब बच्चों का दूध समझकर माफ किया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : रामकिशनजी बच्चों का दूध पी जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामकिशनजी पान नहीं खाते, उनकी पत्नी खाती हैं और इस पर उनमें झगड़ा है। जनसंघ वालों पर तो वे वैसे ही नाराज हो जाते हैं।

श्री परसराम गंगाराम : फटी बोरियों पर टैक्स का।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे ध्यान में है। मैं विचार करूंगा इस पर।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अब दूसरा अपना विधेयक प्रस्तुत करें।

राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1968

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली साथ में पेश करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर संशोधन विधेयक, 68 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

श्री मथुरादास माथुर, मूलचन्द डागा, वृद्धिचन्द जैन, गुलाबसिंह शोशराम, रणजीत सिंह, सावरमल बासोतिया, कान्ता खतूरिया, बनवारीलाल, मुहम्मद उस्मान, प्रमीलाल यादव, हरलाल मीणा, महेन्द्रकुमार, जगन्नाथ पटेल, पृथ्वीराज, नाथूलाल, रामकिशन, सतोशचन्द्र अग्रवाल, भैरोंसिंह, दौलतराम सारण, दुर्गालाल बाढदार, दिग्विजयसिंह, फतेहसिंह, फूलचन्द बाफना, रामानन्द अग्रवाल और श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्रीमती सभानेत्री : जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें क्या आवश्यक है।

श्रीमती सभानेत्री: जो इसके विपक्ष में हों वे ना कहें।

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

इसके चेयरमैन श्री मथुरादासजी माथुर होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति कैसे नोमीनेट कर सकता है? वह तो स्पीकर करेंगे बाद में?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: शी हेज नोमीनेटेड।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं हूंगा तो बड़ी गड़बड़ हो जायगी। यह तो प्रोसीजर की बात है। चेयरमैन बाद में स्पीकर बनेंगे। चाहे आप ही होंगे।

राजस्थान नगरीय भूमि कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1968 का . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बृजसुन्दरजी कहां हैं? बुलाइये साहब उनको। यह क्या बात हुई कि जो प्रभारी मंत्री हैं वे हाउस में प्रेजेन्ट नहीं हैं। इतनी नेग्लीजेन्स उनको है कि वे पायलाट करने के लिए हाउस में प्रेजेन्ट नहीं है। वे गायब रहते हैं तो हम किस लिए बैठे हैं यहां?

श्री मथुरादास माथुर : कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलीटी है मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उत्तर देने की क्षमता आप में है उसका प्रश्न नहीं है। पार्लियामेंट में भी आपको मालूम होगा कि मिनिस्टर जो पायलाट करने वाले थे एक बिल को वे प्रेजेन्ट नहीं थे तो चेयर ने उसका बड़ा एक्सेप्शन लिया था और हाउस को एडजोर्न कर दिया था।

श्री मथुरादास माथुर : बिल जल्दी पारित हो गये। उन्हें यह मालूम था कि इनमें टाइम लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल जल्दी निपटाने की बात नहीं है, बुलाइये उनको ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केदारनाथ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब । उनको आने दें । बिल पेश नहीं हुआ है ।

श्री मथुरादास माथुर : छुट्टी करानी हो तो ऐसे बोलो । क्यों झगड़ा करते हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बुलाकर लाईये उनको ।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक मंत्रीजी के कारण सदन का अमूल्य समय इस प्रकार से बेकार हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मामला बड़ा गम्भीर है ।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : शरीर भी बड़ा गम्भीर है उनका ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय नही हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मैं, सभापति महोदया प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केदारनाथ, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, यह जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का मैंने प्रस्ताव रखा है । मैं इस प्रस्ताव पर अधिक जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूँ, वे अगर जानकारी दे दें तो उसके बाद भी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा । माननीय राजस्व मंत्रीजी, अजी राजस्व मंत्रीजी, (श्री बृजसुन्दर शर्मा के श्री मथुरादास माथुर से बात करने पर) आप खड़े होकर यह बता दीजिये कि यह जो कानून है यह कानून है क्या ? आप बिना पढ़े हुए हैं इसको ? खैर, इसको आप रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से क्यों लागू करना चाहते हैं एक क्लास का बिल है । आपका यह सदन मई में चला, जून में चला, जुलाई में चला, जनवरी में चला, फरवरी में चला मार्च और अप्रेल में चला । करीब करीब 7 महीनों से हर महीने सदन की बैठकें हो रही हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इस कानून को रिट्रास्पेक्टिवली लागू क्यों करना चाहते हैं ? आप इस सदन के समक्ष पहले यह कानून क्यों नहीं लाये ? । कानूनों को रिट्रास्पेक्टिवली लागू करवाने की व्यवस्था यह मैं समझता हूं सरकार का निकम्मापन है । यह सदन इस सारे समय में चलता रहा और सरकार इसको मौके पर न लाये तो यह बिल इस सदन में जल्दी पेश क्यों नहीं किया और इस बिल को सदन में रिट्रास्पेक्टिवली लागू करवाने की नौबत क्यों आई ? यह स्पष्टिकरण दे दें उसके बाद विचार करेंगे । इस पर ज्यादा बोलना नहीं । इसका स्पष्टिकरण दे दें । इसके बाद हम सदन में विचार करेंगे ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदया, इस कानून में जो असेसमेंट की बात है कि किस तारीख से वसूल किया जाय तो उसकी मयाद 31 मार्च, 1968 को खत्म होती है जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी दिन तीन साल पहले का असेसमेंट होकर तीन साल के टैक्स की वसूली की जा सकती है। इसमें एस. डी. ओज को पावर्स दिये गये थे कि वे, जिन-जिन कस्बों पर इसको लागू किया गया, जिन जिन शहरों पर लागू किया गया उसका असेसमेंट करें, और असेसमेंट करने के बाद उन पर आब्जेक्शन्स इनवाइट करें और आब्जेक्शन्स इन्वाइट करके उनको डिसाइड करें, और डिसाइड करने के बाद उस असेसमेन्ट का निकास करें।

जयपुर में एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी इसके लिए कि वह जयपुर शहर का जो असेसमेंट है उसको कम्प्लीट करे। उसके बाद असेसमेन्ट का जहां तक ताल्लुक है वह असेसमेंट किया गया। करने के बाद जो आब्जेक्शन्स इन्वाइट किए गए, वे इतने सारे आये हैं कि उनका इस अवधि में फैसला करना मुमकिन नहीं है। इसलिए वे सारे आब्जेक्शन्स पेंडिंग हैं। इस दौरान असेसमेंट और आब्जेक्शन्स को डिसाइड करने की मयाद खत्म हो रही है। इसलिए इसे डिपार्टमेंट से रिट्रास्पेक्टिव से इसको इफेक्ट देने की मांग आई है कि 3 साल के बजाय 5 साल की मयाद कर दी जाय। शुरू से ही 5 साल का अर्सा माना जाय ताकि 2 साल के अन्दर अन्दर जो बाकी का समय रहा है ये असेसमेंट और आब्जेक्शन्स सारे कम्प्लीट होकर हम उस तारीख से जिस तारीख से यह असेसमेंट शुरू हुआ है और जिस तारीख से यह कानून शुरू हुआ है उस तारीख से 5 साल का समय माना जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लागू कब किया?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : लागू तीन साल पहले हुआ है। 64 में आया था और उसमें इसकी तीन साल की मयाद रखी गई थी कि तीन साल तक वसूल कर सकते हैं। तीन साल तक के आब्जेक्शन्स डिसाइड नहीं हुए हैं। इसलिए 3 साल की मयाद उसी तारीख से 5 साल की मानी जायगी। आब्जेक्शन्स डिसाइड हो जायं उसके बाद उसको हम वसूल कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने हजार पर लगा रहे हैं?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले पर लगा रहे हैं। जो म्युनिसिपल टाउन्स हैं जिनको अर्बन टाउन्स हम कहते हैं।

श्रीमती सभापति : श्री केदारनाथ, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री रामनारायण, श्री हरिवल्लभ शर्मा, श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री दुर्गालाल बादवार, श्री विजयसिंह रावत।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : सब गणगौर मनाने गये हैं।

श्रीमती सभापति : आप पुट अप कीजिये।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले विचारार्थ तो लीजिये।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : विचारार्थ लिया जाय वह पहले ही कर चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वोटिंग कहां लिया। मैं प्रोसीजर की बात कहना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय······

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदया, इस पर मेरा एक एमेंडमेंट है।

इस बजाज पर जो माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया कि 3 साल का अर्सा बहुत कम है इसलिए 5 साल का रखा जाता है ताकि असेसमेंट ठीक तरह से हो सके। मेरा इसमें यह एमेंडमेंट है कि 5 साल का भी पीरियड कम होगा इसलिए 12 साल का समय रखना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि डिक्री की इजराय वह प्राइवेट व्यक्तियों का जो लेन देन होता है उसमें 12 साल की मयाद रखी गई है। 5 साल में असेसमेंट हम कर सकेंगे यह सम्भव नहीं दिखता है और 5 साल का पीरियड कम रहेगा। इसलिए कम से कम 12 साल का पीरियड रखना चाहिए। यह सरकारी रकम का सवाल है और टैक्स की चोरी करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। पूरा असेसमेंट इस पीरियड में नहीं हो सकता है इसलिए लम्बा समय रखकर 12 साल में असेसमेंट करने के लिए यह प्रावधान इसमें होना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, इसमें दिक्कत यह है कि जितना ज्यादा पीरियड बढ़ता है उतने सालों की वसूली की पहले से करेंगे तो कितना वजन बढ़ेगा और ऑब्जेक्शन्स का टाइम और बढ़ेगा इसलिये 5 साल ही ठीक है इसमें ऑब्जेक्शन्स होकर वसूली की कार्यवाही हो सकेगी। इसलिये यह 5 साल का पीरियड ही ठीक है, 12 साल का ज्यादा है इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप इस अमेन्डमेन्ट को वापिस लेते हैं क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : जी हां। मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

Page No.83

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 2 अप्रेल, 1968 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक म. प. 2.51 बजे, दिनांक 2-4-68 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1007 को सूची)

जिला गंगानगर की देशी मदिरा की दुकानों की सूची वर्ष 68-69

क्र. सं.	नाम दुकान	नाम उप-दुकानात
1	2	3
	सिटी गंगानगर सर्कल	
1.	गोल बाजार गंगानगर	1. बनवाली 2 कालीयां 3. मोहमपुरा 4 दलीयावाली 5. वानयर 6. बुवरवाली
2.	लकड़मंडी	1. मधकोराजपुरा 2. मैटीलीराठाम 3. दोलतपुरा 4. मंगलपुरा 5. चक 13 जेड 6. कामी
	बैकन गंगानगर	
3.	मुजाबलपुर (हिन्दूमलकोट)	1. कोठा 2. केरोदुलापुर 3. रोहीडावाली 4. ख टलवाना
4.	उदयपुरसुखाल (जूनागढ)	1. सागरवाला 2. बुर्जवाली 3. लतारसर 4. चक 18 जेड़
5.	भादुिगांवाली	1. लाडूयाला 2. चक 1 बी. बी. 3. गनेशगढ 4. बालेवाला 5. नैनेवाला
6.	लालगढ	1. अर्कांवाली 2. जोगीवाला 3. पनीवाली 4. पण्डलेश
	करनपुर	
7.	करनपुर	1. दलपतसिंहपुरा 2. बुरलां 3. चक 62 एफ 4. नगा 5. ग्रोराबापुरा 6. रहेवाला

1	2	3
8.	केसरीसिंहपुर	1. थराबन 2. फतेवाला 3. मलकाना छोटा 4. सुन्दरपुरा 5. धनूर
		पदमपुर
9.	पदमपुर	1. मववाला 2. तारकोट 3. जलोकी 4. रतवाला 5. फकीवाली
10.	गजसिंहपुर	1. ददामोडा 2. बलाराजपुरा 3. बुटरसर
11.	अमुड़वाली	1. छीवाबुटर 2. जीवनवाला 3. रोहमलसर 4. जोड़लिया 5. गीजदावला
		सूरतगढ़
12.	सूरतगढ़	1. पीलीबंगा 2. सराबाली 3. गालकी 4. गोलूवाला 5. ढाबा
13.	अनुपगढ़	1. रोजड़ी
14.	रामसिंहपुर	1. चक 67 जी. बी.
15.	जैतसर	1. सरूपसर चक 12 जी. बी.
16.	विजयनगर	1. कल्याण कोटा 2 चक 40 जी. बी.
		रायसिंह नगर सरकल
17.		1. जगतसिंह वाला 2. मंगवाला 3. मकलाना 4. मोहननगर 5. बगीची 6. चक 34 पी. एस. 7. लखा हाकम 8. ख्यालीवाला
		हनुमानगढ़ सरकल
18.	हनुमानगढ़ जंगशन	1. भंडावाली 2. बोलीपाल 3 ढाणी भांमुवाली 4. सुरवाला 5. मा रंगदसर

Page No.86

1	2	3
19.	हनुमानगढ़ टाउन	1. डबली 2. मुन्डा 3. पीरकामड़िया 4. लखुवाली 5. फतेहगढ़
20.	टी. बी.	1. तलवाड़ा 2. मसीतावाली
	संगरिया सरकल	
21	सादुल शहर	1. पक्कासाहरणा 2. पतली 3. मलीपुरा 4. मोरजड़खारी
22.	बोलावाली	1. ढाबर 2. रतनपुरा 3. संगरिया 4. मोरजसिखान 5. नगराना
23.	सिंहपुरा	1. बीलावाली 2. मनीवालाली 3. साहमोनी 4. हरिणवालो 5. खेरवाला
24.	किशनपुरा	1. मातारामपुरा 2. अमरगढ़ 3. इन्द्रगढ़ 4. रासुवाला 5. बीगंतानियां
25.	नुकेरा	1. हरीपुरा 2. झंडावाला 3. साहरणी 4. खारखेड़ा 5. मालरावाली 6. सतपुरा 7. चक हीरासिंहवाला
	नोहर सरकल	
26.	नोहर	1. रावसर 2. मोनामेड़ी 3. फेफाना 4. जसाना 5. बीनानीय 6. मन्धुली 7. अबरालर 8. कानसर 9. मुनकरता
27.	भादरा	1. अबकाना 2. बीरान 3. झांसल 4. अनुपशहर 5. अजीतपुरा 6. शरड़ा 7. मीरानी 8. खानी बड़ी 9. नीठराना 10. गांधी बड़ी।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 1013 की सूची)

सूची

विधान सभा प्रश्न संख्या 2841पं० म०

राजस्थान में गत तीन वर्षों के उत्पादन की सूचना

(आंकड़े टनों में)

1964–65	53,07,556	(53.07 लाख टन)
1965–66	38,39,174	(38.39 लाख टन)
1966–67	43,25,100	(43.25 लाख टन)

Page No.88

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 1017 की सूची)

तहसील देवली की पंचायतवार काश्त शुदा व चरागाह रकबे की सूची एकड़ों में

क्र०सं०	नाम ग्राम	काश्त शुदा रकबा	रकबा चारागाह
1.	हिसामपुरा	5352	914
2.	नासीदा	5349	1981
3.	असिलपुर	4174	1362
4.	सांडला	4069	833
5.	धावला	4555	1349
6.	मासेडा	4749	777
7.	बीजवाड़	6303	1285
8.	कासीर	5548	1585
9.	राजमहल	4340	836
10.	गांवडी	6732	933
11.	पनवाड़	4033	1364
12.	देवली	5139	288
13.	सांथली	5319	899
14.	सांवतगढ़	3635	1981
15.	चांदली	4555	1299
16.	राजकोट	2143	2020
17.	टोकरावास	6714	1209
18.	सीतापुरा	3840	1500
19.	आंबा	1935	538
20.	दुनी	5188	1064
21.	निवारिया	3352	384
22.	देवली	3106	529
23.	जूनिया	3989	1004
24.	देवड़ा वास	5612	1124
25.	धाड़	4397	536
26.	चांदवाड़	5244	580
27.	भैरोली	6047	885
28.	धुआकलां	6502	814
29.	कनवाड़ा	6734	1034
30.	बालुन्दा	4879	665
31.	बारनेट	8242	1168
32.	गुराई	6989	894
33.	नगर	1529	215
	योग	160334 एकड़	33854 एकड़

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 1019 की सूची)

भारत पाक संघर्ष के दौरान हुई फसलों का नुकसान।

क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल नुकसान	सहायता दी गई
1	2	3	4
(क)	डिवारी प्लान	560	167
(ख)	पिपरली	470	176
(ग)	सिरवा	640	165
(घ)	चैनपुरा	315	129
(ङ)	कारवार	56	18
(च)	पूर्वला ग्राम	50	18
(छ)	वंनचोर	45	20
(ज)	भदवालिया	200	125
(झ)	विषामनी	14	—
(ञ)	खेतडो	50	27
(ट)	जोधपुर	800	250
	कुल योग	3230	1098

भारत पाक संघर्ष के दौरान हुई खड़ी फसलों का नुकसान

क. सं.	नाम ग्राम	नाम तहसील	फसल को नुकसान का अनुमान	सहायता दी गई
1	2	3	4	5
1–	बोपला	चौहटन	2725.50	•
2–	सोमराड	,,	6580.00	
3–	मीठराऊ	,,	29182.00	
4–	मेलनोर	,,	91365.20	
5–	समता का तला उर्फ केलरा का तला	,,	5150.00	
6–	मोली का पता	,,	22804.80	
7–	सोमाला वेरुमालीतान	,,	75004.50	
	योग तहसील चौहटन		242812.00	

Page No.90

1	2	3	4	5
1–	तलव का पार	बाड़मेर	3414.00	
2–	सधे का पार	,,	1456.00	
3–	चाडवा सहताभद	,,	2052.00	
4–	मीरे का पार	,,	3383.40	
5–	बिन्दू सिवानी	,,	7966.00	
6–	चाबनिया का पार	,,	14270.00	
7–	बुठिया	,,	34922.00	
	योग तहसील बाड़मेर		66563.40	
	(–) पाक गये मुसलमानों को फसल का नुकसान		11234.40	
	शेष योग तहसील बाड़मेर		55329.00	
1–	मुनावा	शिव	27117.90	
2–	अकली	,,	44000.00	
3–	सुन्दरा	,,	226575.00	
	योग तहसील शिव		297692.00	
	कुल योग		595833.00	

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

गांधी आश्रम छात्रावास कुशलगढ

1020. श्री जयनारायण सालंदिया-क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गांधी आश्रम, कुशलगढ़ को छात्रावास के लिए सहायता दी जाती है?

(2) वह छात्रावास अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जन जाति का तथा इसमें किस किस जाति के कितने छात्र रहते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उन छात्रों को क्या क्या सुविधायें संस्था द्वारा दी जाती है व रहने के लिए किस किस नाप के कितने कमरे हैं?

(3) छात्रावास के छात्रों का गत तीन वर्षों का पढाई का रिजल्ट क्या रहा है?

(4) इस संस्था के संस्थापक व संचालक मण्डल के पदाधिकारी कौन कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या इस संस्था को अन्य विभागों से भी अनुदान मिलता है? यदि हां, तो किस किस कार्य के लिए व किस किस विभाग से कितना? गत तीन साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा इस छात्रावास को सहायता दी जाती है।

(2) यह छात्रावास अनुसूचित जन-जाति का है व इसमें जो छात्र इस सत्र में प्रविष्ठ है किए गए हैं उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं कमरों के नाप की सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची 'द' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) संस्था एवं समाज कल्याण अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार संस्था को अन्यत्र किसी विभाग से अनुदान नहीं मिलता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिलाधीश चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में आबादी हल्के में परिवर्तन की पेंडिंग फाइलें

1021. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में आबादी हल्के में परिवर्तन करने सम्बन्धी फाइलें पेन्डिंग हैं? यदि हां, तो कुल कितनी तथा कब से हैं? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक भूमि आबादी में परिवर्तित क्यों नहीं की गई?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत द्वारा जो भूमि आबादी में परिवर्तन हेतु रिपोर्ट भेजी जाती है उसमें तहसीलदार देरी करते हैं ? यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ?

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

तेन्दु के पत्तों का ठेका

1022. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला उदयपुर के पानरवा कोटरा ब्लाक के तेन्दु पत्तों के ठेके सन् 67-68 में किस को दिये गये और किस आधार पर ? क्या खुली नीलामी से दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? खुली बोली से न देकर अवधियां बढ़ाई गई ?

(2) जिला उदयपुर के (1) खेरवाड़ा जवास (2) पताड़ा (3) पाटिया गांव (4) श्रवण (5) कवरा (6) प्रसाद (7) सलूम्बर (8) बशीवाड़ा (9) बड़ी सादड़ी (10) कनौड़ (11) सानमान लसाड़िया (12) कनौद (13) लूणंद के तेन्दु पत्तों के ठेकों से सन् 66 में कितनी हानि हुई थी और सन् 67 में खुली नीलामी से कितनी आय बढ़ी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सिरोही रेंज के आबू रोड, माउन्ट आबू, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज कुम्भलगढ़ (उदयपुर) के ठेकों से सन् 66 में कितनी आय हुई थी और सन् 67 की खुली बोली पर ठेके देने से कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(4) जंगल के ठेके देने में राज्य सरकार खुली बोली पर ठेके नीलाम करती है ? यदि नहीं, तो किस आधार से देती है ?

उत्तर

1. खुले नीलाम से दिये गये। सूची संलग्न है।

2. सूची संलग्न है। हानि का प्रश्न नहीं उठता।

3. सिरोही वन मण्डल की आबू रोड, माउन्ट आबू पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज तथा उदयपुर वन मण्डल के कुम्भलगढ़ क्षेत्र में 1966-67 तथा 1967-68 की पत्ता तेन्दु की आय निम्नानुसार है:–

आबूरोड से	1966-67 में प्राप्त आय	1967-68 में प्राप्त आय
आबूरोड़	3615	18961
माउन्ट आबू	2651	6035
पिंडवाड़ा	3201	8515
स्वरूपगंज	2421	8731
कुम्भलगढ़	501	3100
योग	12289	45282

4. जी हां, केवल पंचायतों को घास के बीड़ के ठेके त्रिसाला औसत पर तथा वन श्रमिक सहकारी समितियों को गत वर्ष में आई उच्चतम बोली पर ठेके देने का प्रावधान है।

सूची

सन् 167-68 में पानरवा कोटडा ब्लोक में तेन्दु पत्तों के ठेकों का विवरण

क्रमांक	नाम रेंज	नाम ब्लाक	नाम ठेकेदार	नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली
1.	पानरवा	ब्लोक मामेर	श्री बस्तीराम पिता परसराम ब्राह्मण, नि0 जालौर	20,000)00
2.	,,	नाका पाबरमाडी	श्री फकरुदीन पिता कुरबान हुसैन बोहरा, नि0 उदयपुर	18,100)00
3.	,,	नाका माहूद मय जेडा	श्री कोवरलाल पिता नारायण दास बारोठ, नि0 गुजरात	17,051)00
4.	,,	ब्लोक माहूडी	श्री बस्तीराम पिता परसराम ब्राह्मण, नि0 जालौर	15,000)00
5.		,, बिरोडी	श्री भागीरथ पिता मेघराज आचार्य, नि0 जोधपुर	5100)00
6.	,,	,, पानरवा मय माडाहल्दू	श्री हुसैन पिता अब्दुलगनी रंगरेज नि0 स्वरूपगंज	8100)00
7.	,,	,, ओडा	श्री गुलाम पिता जसराज लोहिया, बोहरा नि0 उदयपुर	201)00
8.	कोटडा	ब्लोक जोगीबड	श्री जेठमल पिता अखराजा लोहिया, नि0 अजमेर	27,000)00
9.	,,	कूकाबास	श्री मदनलाल पिता गोपीलाल मूंदडा, नि0 जोधपुर	45,100)00
10.	,,	मेरपुर	श्री हसन पिता ईसा नागौरी नि0 बासनी	10,000)00
11.	,,	ब्यारी	श्री बख्तावरमल पिता भगवान दास नि0 बाडमेर	13,500)00
12.	,,	ग्वालिया बेरी	श्री हसन पिता नागेरी, स्वरूपगंज	251)00
13.	,,	पडावली	श्री नवरतन पिता भागीरथ आचार्य नि0 जोधपुर	250)00

क्रम सं0	नाम जंगल	सन् 66 में नीलाम में प्राप्त रकम।	सन् 67 में नीलाम में प्राप्त रकम।
1.	जावस (खेरवाडा)	425)00	825)00
2.	पताडा (पहाड)	615)00	810)00
3.	पाटिया	901)00	2025)00
4.	मरवण	651)00	2435)00
5.	कवरा	इस नाम से इस वन मण्डल में कोई जंगल नीलाम नही हुआ है।	
6.	परशाद	207)00	755)00
7.	सलुम्बर	4825)00	14521)00
8.	बंशीवाडा (बामसी)	9000)00	16000)00
9.	बडी सादडी	9271)00	12011)00
10.	कानोड	651)00	2511)00
11.	सानमाल लसाडिया	8700)00	15001)00
12.	कनोद	इस वन मण्डल में इस नाम से पता तेन्दू का कोई ठेका नीलाम नहीं हुआ।	
13.	लेणोद (लूणादा)	227)00	711)00

पंचायत समितियों को कर्जा व अनुदान

1023. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों को राज्य सरकार द्वारा जो भी कर्जा व अनुदान दिया जाता है वह समय पर नहीं दिया जाकर प्रत्येक वर्ष के मार्च में देकर उक्त धनराशि का उपयोग तुरन्त करने के आदेश दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इससे धन का दुरुपयोग होता है ? और कार्य भी ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं ? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति लाडनूं द्वारा उत्पादन कार्यों पर व्यय

1024. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.95

(1) पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के पास दिनांक 1-1-65 को निजी आय के हैड में कितने रुपये थे और उक्त तारीख के बाद कितने रुपये उक्त हैड में आये और उपरोक्त तारीख के बाद अब तक इस हैड में से कितने कितने रुपये किस किस कार्य में कब कब खर्च किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि निजी आय की रकम खर्च करने के संबंध में राज्य सरकार ने हिदायतें दे रखी हैं कि कुछ रकम उत्पादन कार्यों में खर्च की जावे ? यदि हां, तो उपरोक्त रकम में से कितनी रकम उत्पादन कार्यों में कब कब खर्च हुई है ? सूची सदन की मेज पर सरकार द्वारा दी गई हिदायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

तहसील दूदू में नहरी किस्म के लगान की वसूली

1025. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नहर के पानी से सिंचाई होने पर बारानी जमीन का लगान अधिक हो जाता है ?

(2) क्या सरकार तहसील दूदू में लगातार 10 साल से नहर की सिंचाई नहीं होने पर भी नहरी किस्म का लगान वसूल कर रही है जबकि जमीन बारानी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी नहीं देने पर लगान में कमी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भू-प्रबन्धक अभिलेख में भूमि के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित भू-राजस्व ही लिया जाता है। अतिरिक्त इसके नहर के पानी से सिंचाई होने की अवस्था में पिलाई की दरों के आधार पर पिलाई कर पृथक् से लिया जाता है।

(2) ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। राजस्व कर भू-प्रबन्ध अभिलेख में निर्धारित दरों एवं भूमि वर्गीकरण के आधार पर ही वसूल किया जाता है। यदि भूमि वर्गीकरण भू-प्रबन्ध के समय से नहरी अथवा बारानी अभिलिखित है तो लगान भी उसी के अनुरूप वसूल किया जाता है। नहर से पानी नहीं देने की अवस्था में पिलाई कर पृथक् से वसूल नहीं किया जाता है ?

बारां के हलवाइयों को चीनी के परमिट

1026. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बारां सप्लाई विभाग अधिकारी ने बारां के हलवाइयों को माहवारी कोटा के नाम पर गत 8-10 माह में सौ सौ बोरी का परमिट दिया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह सही है कि मांगरोल के कुछ व्यक्तियों को बारां सप्लाई विभाग के अधिकारी ने 8-10 माह में चीनी की बोरियां दी हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को किन किन व्यक्तियों को दी गई है ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

Page No.96

जवाई मेन डेम के फाटक खोलने से क्षति

1027. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (पाली) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष माह जनवरी में सिचाई मन्त्री के दौरे के वक्त जवाई मेन डेम के फाटक खोले गये तो काश्तकारों की खेती, टमाटर आदि नष्ट हो गये थे ?

(2) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों को कितनी कितनी हानि हुई ?

(3) जिन व्यक्तियों को हानि हुई उन्हें क्या क्या मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की गयी है अथवा की जा रही है ?

उत्तर

(1) इस साल जवाई बांध में प्रचुर मात्रा में पानी प्राप्त हुआ था इसलिए बांध की सुरक्षा हेतु रबड़ सीलों का निरीक्षण करना आवश्यक था इसलिए जवाई मेन डेम के फाटक खोले गये थे। इससे टमाटर के खेतों में मामूली नुकसान हुआ है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी

जवाई नदी में निम्नलिखित कार्यों ( ) में नुकसान हुआ

सन् 67-68

	रकबा जिसमें नुकसान हुआ	नुकसान प्रतिशत
1--परखू बल्द पुनमा कौम कीर साकिन बलवना।	1।) 1	20 प्रतिशत
2--समरथा वल्द रूपा कौम कीर साकिन कोलर।	1।) 4	20 प्रतिशत
3--घीसा वल्द लाला कौम कीर साकिन कोलर।	।।।)	20 प्रतिशत
4--जवाना बल्द केसा कौम कीर साकिन कोलर।	।) 4	25 प्रतिशत
5--हिमता वल्द पुनमा कौम कीर साकिन बलवना।	।।)	25 प्रतिशत
6--भानियां वल्द प्रेमा कौम कीर साकिन बलवना।	।।2	20 प्रतिशत
	0) 2	24 प्रतिशत
	।।)	75 प्रतिशत
	1।।) 4	
योग	6) 3	

चीनी के लापता वैगन

1028. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल से जयपुर के लिये भेजी गई चीनी के 50 वैगन लापता हो गये ?

(2) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त वैगनों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इससे सरकार का कितना नुकसान हुआ है ?

(3) सरकार इस सम्बन्ध में अब अग्रेतर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.98

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 1016 की सूची)

श्री कृष्णकुमार गोयल स. वि. स. द्वारा प्रस्तुत तारांकित प्रश्न संख्या 142/सि. मं के भाग 1 से 3 के क्रमवार उत्तर का विवरण

1. राजस्थान केनाल परियोजना पर अभी तक कितना कितना व्यय (1) वर्क्स (2) प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट व (3) बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट पर हुआ प्रत्येक का व्यय अलग अलग बताने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त वर्षों में बजट प्रोवीजन प्रत्येक वर्ष का कितना था?

3. डिपार्टमेंटल नार्म्स के अनुसार एस्टेब्लिशमेंट पर वर्क्स का कितना प्रतिशत व्यय होना चाहिए? उसके विरुद्ध राजस्थान केनाल परियोजना पर कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है? प्रत्येक वर्ष का अलग अलग बतावें।

Particulars	RAJASTHAN (In lacs of rupees) 1958-59	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	PUNJAB (In lacs of rupees) 1958-59	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67
Works Expdr.	70.15	98.88	328.07	303.09	319.95	276.65	368.29	376.43	411.94	106.62	314.76	283.23	314.68	262.93	173.19	108.34	0.29(—)	14.5
CE's Estab.	8.37	16.06	24.05	28.65	23.04	23.49	30.04	45.41	56.75	15.57	22.04	25.09	25.90	32.00	33.75	31.79	18.37	22.10
R.C.B.	0.09	0.70	1.99	1.49	1.75	2.46	2.90	3.69	4.14	0.14	2.22	1.79	1.56	1.44	1.54	0.86	0.92	1.04
C.A.O.	—	—	0.56	1.20	2.64	3.34	5.19	7.20	9.28	—	—	0.48	1.25	2.29	2.25	1.52	1.80	2.30
Total Estt. Expdr.	8.46	16.76	26.60	31.34	27.43	29.29	38.13	56.30	70.17	15.71	24.26	27.36	28.71	35.73	37.54	34.17	21.09	25.44
Budget provision		163.90	334.70	347.85	338.81	286.52	391.80	412.94	490.80	120.00	470.08	311.00	343.82	307.74	299.57	140.30	4.46	9.20
Norms for 10 CE's Estt. expdr. over works Expdr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Percentage of CE's Estt. Expdr. over Works Expdr.	11.93	16.25	7.33	9.45	7.22	8.50	8.21	12.06	13.77	14.68	7.01	8.08	8.23	12.12	19.42	29.35	—	—

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 547 की सूची)

विभिन्न जिलों में अध्यापकों के बराबर वेतन व वेतन वृद्धि का कारण

क्रमांक	जिला	संख्या अध्यापक	वेतन व वेतन वृद्धि की बकाया राशि	भुगतान बकाया रहने के मुख्य मुख्य कारण।
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	121	27226.88	(1) स्थानान्तरण पर आये हुए अध्यापकों का पूर्व रिकार्ड का प्राप्त नहीं होना। (2) रकम का समय पर शिक्षा विभाग द्वारा हस्तान्तरण न होना। (3) फिक्सेशन न होना।
2.	बाड़मेर	32	27000.00	"
3.	जोधपुर	100	12920.00	"
4	पाली	159	107400.00	"
5.	उदयपुर	294	63235.00	"
6.	डूंगरपुर	90	91200.00	"
7.	कोटा	26	9395.51	"
8.	बूंदी	55	6000.00	"
9.	सिरोही	4	5060.65	"
10.	चूरू	149	21453.00	"
11.	चित्तौड़गढ़	37	19277.82	"
12.	जालोर	51	11876.00	"
13.	सीकर	97	36550.86	"
14.	सवाईमाधोपुर	138	65906.00	"
15.	झुंझुनू	54	76485.00	"
16.	जयपुर	32	40520.00	"
17.	अलवर	202	138021.47	"
18.	बीकानेर	92	26797.75	"
19.	भरतपुर	197	105603.69	"
20.	गंगानगर	267	37450.10	"
21.	टोंक	5	10000.00	"
22.	झालावाड़	112	19759,21	"
23.	भीलवाड़ा	96	28000.00	"
24.	नागौर	76	38000.00	"

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 548 की सूची)

पंचायत किशनगढ़ रेनवाल के जमीन किराये की बकाया एवं वसूली की प्रगति संबंधित सूची

क्र.	नाम	बकाया	कुल बकाया राशि	वसूली	शेष
1.	सीताराम व्यास	16-12-66 से मार्च 67 तक	17-00	17-00	--
2.	कन्हैयालाल जैन	फर. 67 से मार्च 67 तक	6-24	--	6-24
3.	सीताराम सोनी	फर. 61 से मार्च 67 तक	431-00	49-00	382-00
4.	महेन्द्रकुमार जैन	सित. 65 से मार्च 67 तक	95-00	--	95-00
5.	सूरजमल सेठी	मार्च 67 के	2-00	2-00	--
6.	सोहनलाल जांगिड़	जून. 97 से मार्च 67 तक	12-00	12-00	--
7.	रिछपाल सोनी	फर. 66 से मार्च 67 तक	63-00	63-00	--
8.	रामदयाल फलोर	जुलाई 63 से मार्च 67 तक	122-60	—	122-60
9.	मदनलाल व्यास	अप्रेल 63 से मार्च 67	96-00	96-00	—
10.	नूरमोहम्मद	मई 66 से मार्च 67	44-00	20.00	24-00
11.	हीरामल सिन्धी	जून 64 से मार्च 67	262-00	--	262-16
12.	बुद्धाराम कुमावत	नव. 65 से मार्च 67	93-16	60-00	33-00
	योग		1244-00	319-00	925-00

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1968)

स्कम्भ सं. 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	2	विधन	विधान
2	अन्तिम से 7	जहां	जो
,,	,, 6 व 4	बोघोडी	बीघोड़ी
4	,, 12	कालुराम आर्य	श्री कालूराम आर्य
5	,, 14	बाराजी	बारानी
7	शीर्षक	अप्रेल	1 अप्रेल
9	अन्तिम से 4	श्री नाथूराम	श्री नाथूराम
,,	,, 3	सल	साल
10	6	श्री नाूराम	श्री नाथूराम
,,	8	अधि करी	अधिकारी
,,	,,	श्री नारा णसिंह मसूदा	श्री नारायणसिंह मसूदा
,,	अन्तिम	भता	भर्ती
11	अन्तिम से 3	श्री जयनरायण सालोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
12	8	श्री चुनीलाल इंदलिया	श्री चुन्नीलाल इंदलिया
,,	11	सही कि	सही है कि
,,	20	कक्टर	कलेक्टर
,,	अन्तिम से 3	कपके	करके
14	,, 12	श्री हरिवध्लभ शर्मा	श्री हरिवल्लभ शर्मा
,,	,, 9	मामनीय	माननीय
15	शीर्ष	(ी हरिवल्लभ शर्मा)	(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
16	शीर्षक	प्रश्नातर	प्रश्नोत्तर
17	अन्तिम से 10	श्री हरिवल्लभ देवपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा
19	3	श्री ीरबल (संगरिया सु:)	श्री बीरबल (संगरिया सु):
20	अन्तिम से 4	सही है पुराने	सही है कि पुराने
27	,, 4	श्री बृ सुन्र शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
28	,, 11	श्री उपाध्भ	श्री उपाध्यक्ष
31	1	श्री जुझारसिं	श्री जुझारसिंह
32	अन्तिम से 11	सूची संलग्न	सूची संलग्न है
33	7	70.71	70—71
34	अन्तिम से 11	श्री हंसराज आय	श्री हंसराज आर्य
37	,, 3	जनकारी	जानकारी
38	15	किसानों कब्जा	किसानों ने कब्जा
39	शीर्ष	(श्री नारायणसिंह) मसूदा	(श्री नारायणसिंह मसूदा)
,,	14	सरटन	मर्दन
40	11	श्री रामचन्द्र आर्य (नाहेर	(श्री रामचन्द्र आर्य)
,,	अन्तिम	इमरती	इमारती

1	2	3	4
43	10	श्र उपाध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	अन्तिम से 12	श्री रामचन्द्र अ ि	श्री रामचन्द्र आर्य
,,	,, 9	श्री मोह ा लाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाडिया
,,	,, 5	श्री उपाध्य ा	श्री उपाध्यक्ष
44	2	देवल	देवली
,,	अन्तिम	ा	हो
45	6	-964	1964
,,	12	199	1990
48	अन्तिम से 8	श्री सतीशच द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
50	10	पदान	प्रदान
,,	11	सहमति दी जाती है	सहमति दी है
51	2	आर	और
54	4	नुकसान है या नही	नुकसान हुआ है या नही
55	15	श्री महारावल लक्ष्मणसिह	महारावल श्री लक्ष्मणसिह
59	शीर्ष	(मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	अन्तिम से 7	1959 में लागू होते हैं।	1959 लागू होते हैं।
60	,, 3	केश	केस
61	9	1-10-0	1-10-60
,,	13	श्री भैरों ि ह	श्री भैरोंसिह
,,	16	छा	पूछा
64	अन्तिम से 9	भि	भूमि
,,	,, 6	श्री शिवना सिंह	श्री शिवनाथ सिंह
66	16	रिटलाई	रटलाई
67 से 71 तक	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अ. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
67	अन्तिम से 10	1064	1004
69	4	यद्	यदि
72 से 87 तक	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
80	अन्तिम से 7	ग ा र भूि	गोचर भूमि
82	9	नाम ो दे	नाम ठेकेदार
88	अन्तिम से 2	बड़ता	बढ़ती
94	3	कैंसिल	कौंसिल
102	अन्तिम से 6	श्री देवी रा गाडिया	श्री देवीदत्त गाडिया
103	,, 9	श्री मथु ा दास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
106	,, 5	व्यापारा	व्यापारी
107	,, 15	कठनाइयां	कठिनाइयां
114	16	गपोलबाजी	घपलेबाजी
120	शीर्षक	1'68	1968
129	अन्तिम से 11	अन्वर	अन्दर
130	3	आपकी	आपको
132	18	मैं	है

1	2	3	4
137	5	हुं	हूं
145	7	पन	पान
147	14	आकर्षक	आकर्षण
151	अन्तिम से 9	यदि	याद
153	7	श्री मथरा ।-। माथुर	श्री मथुरादास माथुर
"	9	श्री देवीदत्त गाडि।	श्री देवीदत्त गाड़िया
"	11	श्री मथुरा ास म थु	श्री मथुरादास माथुर
157	शीर्षक	नग	नगर
158	7	198	1968
159	अन्तिम से 10	श्री वृजसुन्द शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
161 से 166 तक	शीर्षक	राजस्थान बिक्री कर	राजस्थान नगर भूमि कर
"	1	श्री बजसुन्दर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
162	3	श्री तीश चन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
163	1	श्री ब्रनसुर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
"	4	श्री सती च द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
"	अन्तिम से 12	श्री मती सभाने त्र	श्रीमती सभानेत्री
183	शीर्ष	परिशिष्ट 6	परिशिष्ट 8